भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *46

<u>दिनांक 1 दिसंबर, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए</u>

पाटन-रोधी शुल्क

***46. डॉ.डी.रविकुमार :**

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यापार उपचार महानिदेशाल(डीजीटीआर) ने स्थानीय माल एवं सेवाओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए आयातित किए जा रहे माल एवं सेवाओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए आयातित किए जा रहे माल एवं सेवाओं पर पाटन-रोधी शुल्क अधिरोपित किए जाने की आवश्यकता के संबंध में टिप्पणी की है;

(ख) यदि हां, तो गत पॉच वर्षों के दौरान की गई ऐसी टिप्पणियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या डीजीटीआर द्वारा की गई ऐसी सभी टिप्पणियों को कार्यान्वित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

उत्तर
<u>वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री</u>
(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ड.) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

दिनांक 01.12.2021 को उत्तर के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 46 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क): डीजीटीआर ने केंद्र सरकार (राजस्व विभाग) को घरेलू उद्योग को नुकसान पहुंचाने वाले डंप किए गए मालों के आयात पर पाटन-रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की है। डीजीटीआर केवल कानून में दिए गए प्रावधान के अनुसार, डंप किए गए मालों के आयात के संबंध में पाटन-रोधी जांच करती है।

(ख): गत पांच वर्षों के दौरान पाटन-रोधी शुल्क लगाने या न लगाने की सिफारिशों का विवरण **अनुबंध-I** में संलग्न है।

(ग) और (घ): जी । इसका विवरण **अनुबंध-I** में उपलब्ध है।

(ड़): डीजीटीआर केवल एक सिफारिशी निकाय है और यह केंद्र सरकार को अपनी सिफारिशें अपने समक्ष प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर करता है और यह ऐसा खुली और समावेशी प्रक्रिया के माध्यम से करता है। राजस्व विभाग आम जन के समग्र हित और अन्य प्रासंगिक शर्तों जैसे आवेदक उद्योग, अन्य भारतीय उत्पादकों और डाउनस्ट्रीम उपयोगकर्ता उद्योग के हित को ध्यान में रखते हुए सिफारिशों की व्यापक जांच करता है।

*****

अनुलग्नक - I

2016-17 के दौरान जारी निष्कर्ष							
क्र.सं.	उत्पाद	शामिल देश	जाँच	प्रकार	अंतिम निष्कर्ष की तिथि	क्या उपाय डीजीटीआर द्वारा अनुशंसित है	क्या उपाय डीओआर द्वारा अधिरोपित है
1	मिथाइल एसीटोएसेटेट	चीन पीआर और यूएसए	एडी	ओआई	01-04-2016	हां	हां
2	पॉलीटेट्राफ्लुरोएथिलीन (पीटीएफई)	रूस	एडी	एसएसआर	12-04-2016	हां	हां
3	पॉली विनील क्लोराइड पेस्ट रेजिन	कोरिया आरपी, चीनी ताइपे, चीन पीआर, मलेशिया, थाईलैंड, रूस और यूरोपीय संघ	एडी	एसएसआर	26-04-2016	हां	हां
4	सादा मध्यम घनत्व फ़ाइबरबोर्ड	इंडोनेशिया और वियतनाम	एडी	ओआई	05-05-2016	हां	हां
5	1,1,2 टेट्राफ्लूरोथेंस या आर-134ए	चीन पीआर	एडी	एसएसआर	30-05-2016	हां	हां
6	विशुद्ध टेरेफ्थेलिक एसिड	चीन पीआर, ईरान, इंडोनेशिया, मलेशिया, चीनी ताइपे	एडी	ओआई	09-06-2016	हां	हां
7	पीवीसी फ्लेक्स फिल्में	चीन पीआर और कोरिया आरपी	एडी	एनएसआर	29-06-2016	हां	हां
8	पीवीसी फ्लेक्स फिल्में	चीन पीआर	एडी	एसएसआर	30-06-2016	हां	हां
9	फिनोल	जापान और थाईलैंड	एडी	एसएसआर	01-07-2016	नहीं	लागू नहीं
10	एसीटोन	जापान और थाईलैंड	एडी	एसएसआर	04-07-2016	नहीं	लागू नहीं
11	ग्लास फाइबर और उसके समान	चीन पीआर	एडी	एसएसआर	06-07-2016	हां	हां
12	बांस फाइबर को छोड़कर विस्कोस स्टेपल फाइबर	चीन पीआर और इंडोनेशिया	एडी	एसएसआर	08-07-2016	हां	हां
13	संकीर्ण बुने हुए कपड़े	चीन पीआर और चीनी ताइपे	एडी	एसएसआर	22-09-2016	हां	हां
14	सोडा पाउडर	चीन पीआर, ईयू, केन्या, पाकिस्तान, ईरान, यूक्रेन और यूएसए	एडी	एमटीआर	23-09-2016	समाप्त	लागू नहीं
15	सोडा पाउडर	तुर्की और रूस	एडी	एमटीआर	23-09-2016	हां	हां

2016-17 के दौरान जारी निष्कर्ष							
क्र.सं.	उत्पाद	शामिल देश	जाँच	प्रकार	अंतिम निष्कर्ष की तिथि	क्या उपाय डीजीटीआर द्वारा अनुशंसित है	क्या उपाय डीओआर द्वारा अधिरोपित है
16	4,4 डायमिनी स्टिलबेन 2,2 डाइसल्फ़ोनिक एसिड (डीएएसडीए)	चीन पीआर	एडी	एमटीआर	26-09-2016	हां	हां
17	एए ड्राई सेल बैटरी	चीन पीआर और वियतनाम	एडी	ओआई	27-09-2016	नहीं	लागू नहीं
18	ट्रेलरों के लिए एक्सल	चीन पीआर	एडी	ओआई	30-09-2016	हां	हां
19	जूट उत्पाद	बांग्लादेश और नेपाल	एडी	ओआई	20-10-2016	हां	हां
20	लो ऐश मैटरलर्जिकल कोक	ऑस्ट्रेलिया और चीन पीआर	एडी	ओआई	20-10-2016	हां	हां
21	सीमलेस ट्यूब पाइप और कच्चा लोहा के अलावा लौह मिश्र धातु या गैर-मिश्र धातु इस्पात के खोखले प्रोफाइल	चीन पीआर	एडी	ओआई	09-12-2016	हां	हां
22	डिक्लोफेनाक सोडियम (एंटी-सर्कम्वेंशन)	चीन पीआर	एडी	एसी	15-02-2017	हां	हां
23	लचीला स्लैबस्टॉक पॉलीओल (एफएसपी)	थाईलैंड	एडी	ओआई	21-02-2017	हां	हां
24	लिनियर अल्काइल बेंजीन	ईरान, कतर और चीन पीआर	एडी	ओआई	06-03-2017	हां	हां
25	एल्युमिनियम फॉइल	चीन पीआर	एडी	ओआई	10-03-2017	हां	हां
26	पॉलीटेट्राफ्लुरोएथिलीन (पीटीएफई) (सेस्टेट रिमांड केस)	रूस	एडी	एसएसआर	15-03-2017	हां	हां
27	क्लीयर फ्लोट ग्लास	ईरान	एडी	ओआई	20-03-2017	हां	हां
28	एल्यूमिनियम रेडिएटर	चीन पीआर	एडी	ओआई	20-03-2017	हां	हां
29	इलास्टोमेरिक फिलामेंट यार्न	चीन पीआर, कोरिया आरपी, चीनी ताइपे और वियतनाम	एडी	ओआई	24-03-2017	हां	हां

2017-18 के दौरान जारी निष्कर्ष							
क्रम.सं.	उत्पाद	शामिल देश	जाँच	प्रकार	अंतिम निष्कर्ष की तिथि	क्या उपाय डीजीटीआर द्वारा अनुशंसित है	क्या उपाय डीओआर द्वारा अधिरोपित है
1	एमोक्सिसिलिन	चीन पीआर	एडी	ओआई	03-04-2017	हां	हां
2	3% से कम जल अवशोषण के साथ चमकता हुआ / बिलागू नहीं चमकता हुआ चीनी मिट्टी के बरतन / विट्रिफाइड टाइलें, पॉलिश या बिलागू नहीं पॉलिश की हुई	चीन पीआर	एडी	ओआई	08-04-2017	हां	हां
3	मिश्र धातु या गैर-मिश्र धातु इस्पात के कोल्ड रोल्ड फ्लैट उत्पाद	चीन पीआर, जापान, कोरिया आरपी, यूक्रेन	एडी	ओआई	10-04-2017	हां	हां
4	क्लीयर फ्लोट ग्लास	पाकिस्तान	एडी	एनएसआर	10-04-2017	हां	हां
5	मिश्र धातु या गैर-मिश्र धातु इस्पात के हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पाद	चीन पीआर, जापान, रूस, कोरिया आरपी, ब्राजील और इंडोनेशिया	एडी	ओआई	10-04-2017	हां	हां
6	हाइड्रोजन पेरोक्साइड	बांग्लादेश, चीनी ताइपे, कोरिया आरपी, इंडोनेशिया, पाकिस्तान और थाईलैंड	एडी	ओआई	11-04-2017	हां	हां
7	पेंटेयरीथर्टोल	चीन पीआर	एडी	एसएसआर	12-05-2017	हां	हां
8	सिलाई मशीन सुई	चीन पीआर	एडी	एसएसआर	23-05-2017	हां	हां
9	टेक्सचर्ड टेम्पर्ड ग्लास चाहे कोटेड हो या अनकोटेड	चीन पीआर	एडी	ओआई	20-06-2017	हां	हां
10	कास्टिक सोडा	ईरान, सऊदी अरब और यूएसए	एडी	एमटीआर	20-06-2017	हां	हां
11	पॉलीटेट्राफ्लोरेथिलीन (पीटीएफई)	चीन पीआर	एडी	एसएसआर	23-06-2017	हां	हां
12	ओपल ग्लासवेअर	चीन पीआर और यूएई	एडी	एसएसआर	03-07-2017	हां	हां
13	स्टाइरीन ब्यूटाडीन रबर	यूरोपीय संघ, कोरिया आरपी और थाईलैंड	एडी	ओआई	12-07-2017	हां	हां

2017-18 के दौरान जारी निष्कर्ष							
क्रम.सं.	उत्पाद	शामिल देश	जाँच	प्रकार	अंतिम निष्कर्ष की तिथि	क्या उपाय डीजीटीआर द्वारा अनुशंसित है	क्या उपाय डीओआर द्वारा अधिरोपित है
14	सोडियम नाइट्राइट (एसएसआर-3)	चीन पीआर	एडी	एसएसआर	19-07-2017	हां	हां
15	सोडा पाउडर	चीन पीआर, ईयू, केन्या, पाकिस्तान, ईरान, यूक्रेन और यूएसए	एडी	एमटीआर	22-07-2017	नहीं	लागू नहीं
16	सोडा पाउडर	तुर्की और रूस	एडी	एमटीआर	22-07-2017	नहीं	लागू नहीं
17	पवन संचालित बिजली जनरेटर / पवन चक्कियों के लिए कुछ कास्टिंग	चीन पीआर	एडी	ओआई	28-07-2017	हां	हां
18	कास्टिक सोडा	थाईलैंड चीनी ताइपे और नॉर्वे	एडी	एसएसआर	31-07-2017	नहीं	लागू नहीं
19	अमोनियम नाईइट्रेट	रूस, इंडोनेशिया, जॉर्जिया और ईरान	एडी	ओआई	01-08-2017	हां	हां
20	ट्यूब के साथ या उसके बिना रेडियल टायर अथवा नोमिना नहीं वाले ट्यूबलेस टायर सहित रबर के फ्लैप या फ्लैप	चीन पीआर	एडी	ओआई	01-08-2017	हां	हां
21	1-फिनाइल-3-मिथाइल-5-पाइराजोलोन (एसएसआर-2)	चीन पीआर	एडी	एसएसआर	09-08-2017	नहीं	लागू नहीं
22	सोडियम क्लोरेट	कानाडा, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाईना और ईयू	एडी	ओआई	10-08-2017	हां	हां
23	600 मिमी से 1250 मिमी चौड़ाई के स्टेनलेस स्टील के कोल्ड रोल्ड फ्लैट उत्पाद	चीन पीआर, यूरोपीय संघ, दक्षिण अफ्रीका, ताइवान, थाईलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और कोरिया	एडी	एसी	18-08-2017	हां	हां

2017-18 के दौरान जारी निष्कर्ष							
क्रम.सं.	उत्पाद	शामिल देश	जाँच	प्रकार	अंतिम निष्कर्ष की तिथि	क्या उपाय डीजीटीआर द्वारा अनुशंसित है	क्या उपाय डीओआर द्वारा अधिरोपित है
24	पैरा नाइट्रोएनिलिन पीएनए	चीन पीआर	एडी	एसएसआर	29-08-2017	हां	हां
25	रंग लेपित पूर्व चित्रित फ्लैट उत्पाद मिश्र धातु गैर मिश्र धातु इस्पात	चीन पीआर और यूरोपीय संघ	एडी	ओआई	30-08-2017	हां	हां
26	मिश्र धातु या गैर मिश्र धातु इस्पात की वायर रॉड	चीन पीआर	एडी	ओआई	30-08-2017	हां	हां
27	बिना बुना हुआ कपड़ा	मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, सऊदी अरब और चीन पीआर	एडी	ओआई	02-09-2017	नहीं	लागू नहीं
28	रबर रसायन, अर्थात्, टीडीक्यू और पीएक्स-13 यूरोपीय संघ में उत्पन्न या निर्यात किए गए और चीन के जनवादी गणराज्य में उत्पन्न या निर्यात किए गए एमओआर और एमबीटीएस	यूरोपीय संघ और चीन पीआर	एडी	एसएसआर	02-09-2017	हां	हां
29	अपने सभी रूपों में पॉलिएस्टर या ग्लास फाइबर से बने जियोग्रीड_जियोस्ट्रीपस_जियोस्ट्रेप्स	चीन पीआर	एडी	एसएसआर	09-11-2017	समाप्त	लागू नहीं
30	सिलोफ़न पारदर्शी फिल्म	चीन पीआर	एडी	एसएसआर	09-11-2017	समाप्त	लागू नहीं
31	मेट्रोनीडाजोल	चीन पीआर	एडी	एसएसआर	09-11-2017	समाप्त	लागू नहीं
32	कृषि / उर्वरक ग्रेड को छोड़कर सभी ग्रेड और सभी सांद्रता के फॉस्फोरिक एसिड	इज़राइल और ताइवान	एडी	एसएसआर	09-11-2017	समाप्त	लागू नहीं
33	फॉस्फोरिक एसिड- तकनीकी ग्रेड और खाद्य ग्रेड	चीन पीआर	एडी	एनएसआर	23-11-2017	समाप्त	लागू नहीं
34	सामान्य ब्यूटेनॉल या एन-ब्यूटाइल अल्कोहल	सऊदी अरब	एडी	ओआई	28-11-2017	नहीं	लागू नहीं
35	नेफ्थालीन-कच्चा और परिष्कृत	चीन पीआर, यूरोपीय संघ और ताइवान	एडी	ओआई	29-11-2017	विचाराधीन	लागू नहीं

2017-18 के दौरान जारी निष्कर्ष							
क्रम.सं.	उत्पाद	शामिल देश	जाँच	प्रकार	अंतिम निष्कर्ष की तिथि	क्या उपाय डीजीटीआर द्वारा अनुशंसित है	क्या उपाय डीओआर द्वारा अधिरोपित है
36	सिरेमिक टेबलवेयर और रसोई के सामान, चाकू और शौचालय की वस्तुओं को छोड़कर	चीन पीआर	एडी	ओआई	08-12-2017	हां	हां
37	पॉलीब्यूटाडाइन रबर	कोरिया पीआर, रूस, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और सिंगापुर	एडी	ओआई	11-12-2017	नहीं	लागू नहीं
38	टोल्यूनि डायसोसायनेट-(टीडीआई)	चीन पीआर, जापान और कोरिया आरपी	एडी	ओआई	14-12-2017	हां	हां
39	ओ-एसिड	चीन पीआर	एडी	ओआई	19-12-2017	हां	हां
40	ओफ़्लैक्सासिन	चीन पीआर	एडी	ओआई	22-12-2017	हां	हां
41	साकारीन	चीन पीआर	एडी	एसएसआर	30-12-2017	नहीं	लागू नहीं
42	सल्फोनेटेड नेफ़थलीन, फॉर्मल्डेहाइड	चीन पीआर	एडी	ओआई	30-12-2017	हां	हां
43	रिसोरसिनॉल	चीन पीआर, जापान	एडी	ओआई	04-01-2018	हां	हां
44	सिंथेटिक नायलॉन फिलामेंट यार्न (नायलॉन फिलामेंट यार्न)	चीन पीआर, चीनी ताइपे, मलेशिया, थाईलैंड और कोरिया आरपी	एडी	एसएसआर	05-01-2018	नहीं	लागू नहीं
45	कास्टिक सोडा	जापान और कतर	एडी	ओआई	10-01-2018	नहीं	लागू नहीं
46	पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर	चीन पीआर, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड	एडी	ओआई	25-01-2018	नहीं	लागू नहीं
47	मिथाइल एथिल कीटोन (एमईके)	चीन पीआर, जापान, दक्षिण अफ्रीका और ताइवान।	एडी	ओआई	01-02-2018	हां	हां
48	मोनोआईसोप्रोपाइल एमाइन (एमआईपीए)	चीन पीआर	एडी	ओआई	12-02-2018	हां	हां

2017-18 के दौरान जारी निष्कर्ष							
क्रम.सं.	उत्पाद	शामिल देश	जाँच	प्रकार	अंतिम निष्कर्ष की तिथि	क्या उपाय डीजीटीआर द्वारा अनुशंसित है	क्या उपाय डीओआर द्वारा अधिरोपित है
49	इंजीनियर्ड वुड फ्लोरिंग	चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया, यूरोपीय संघ	एडी	ओआई	13-02-2018	हां	हां
50	मेलामाईन	यूरोपीय संघ, ईरान, इंडोनेशिया और जापान	एडी	एसएसआर	19-02-2018	नहीं	लागू नहीं
51	डाइमिथाइल एसिटामाइड (डीएमएसी)	चीन पीआर और तुर्की	एडी	ओआई	21-02-2018	हां	हां
52	फिशिंग नेट्स	चीन, बांग्लादेश	एडी	ओआई	05-03-2018	हां	हां
53	ग्लासवेयर	चीन पीआर और इंडोनेशिया	एडी	ओआई	05-03-2018	हां	हां
54	फास्फोरस पेंटाऑक्साइड	चीन पीआर	एडी	ओआई	05-03-2018	हां	हां
55	प्लेइंग कार्ड्स	चीन पीआर	एडी	ओआई	07-03-2018	नहीं	लागू नहीं
56	सौर सेल, मॉड्यूल्स	चीन पीआर, ताइवान, मलेशिया	एडी	ओआई	23-03-2018	समाप्त	लागू नहीं
57	सिरेमिक रोलर्स	चीन पीआर	एडी	ओआई	26-03-2018	नहीं	लागू नहीं

2018-19 के दौरान जारी निष्कर्ष							
क्रम.सं.	उत्पाद	शामिल देश	जाँच	प्रकार	अंतिम निष्कर्ष की तिथि	क्या उपाय डीजीटीआर द्वारा अनुशंसित है	क्या उपाय डीओआर द्वारा अधिरोपित है
1	एक्रिलिक फाइबर	बेलारूस, यूक्रेन, चीन पीआर, चीनी ताइपे, यूरोपीय संघ और पेरू	एडी	ओआई	16-04-2018	नहीं	लागू नहीं
2	जिप्सम प्लास्टर बोर्ड	संयुक्त अरब अमीरात, चीन पीआर, थाईलैंड, इंडोनेशिया	एडी	एसएसआर	19-04-18	नहीं	लागू नहीं
3	विस्कोस फिलामेंट यार्न	चीन पीआर	एडी	एसएसआर	20-04-18	नहीं	लागू नहीं
4	आंशिक रूप से उन्मुख यार्न	चीन पीआर	एडी	एसएसआर	23-04-18	नहीं	लागू नहीं
5	डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स	चीन पीआर	एडी	एसएसआर	23-04-18	नहीं	लागू नहीं
6	फैटी अल्कोहल	इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, सऊदी अरब	एडी	ओआई	23-04-18	हां	हां
7	डियोक्टाइल फलाटेलेट	चीनी ताईपे, कोरिया आरपी	एडी	ओआई	27-04-18	नहीं	लागू नहीं
8	मेटा-फेनिलीन डायमीन-4-सल्फोनिक एसिड	चीन पीआर	एडी	ओआई	16-05-18	समाप्त	लागू नहीं
9	हाई टेनासिटी पॉलिएस्टर यार्न	चीन पीआर	एडी	ओआई	24-05-18	हां	हां
10	सोडियम डाइकोर्मेट	रूस, दक्षिण अफ्रीका, कजाखस्तान, तुर्की	एडी	ओआई	07-06-18	नहीं	लागू नहीं
1 1	ग्राइंडिंग मीडिया बॉल्स	थाईलैंड, चीन पीआर	एडी	एसएसआर	11-06-18	हां	हां
12	बेल्टिंग फैब्रिक्स	चीन पीआर	एडी	ओआई	30-06-18	नहीं	लागू नहीं
13	टेट्राफ्लूरोथेंस या आर-134ए	चीन पीआर	एडी	एनएसआर	26-07-18	नहीं	लागू नहीं

2018-19 के दौरान जारी निष्कर्ष							
क्रम.सं.	उत्पाद	शामिल देश	जाँच	प्रकार	अंतिम निष्कर्ष की तिथि	क्या उपाय डीजीटीआर द्वारा अनुशंसित है	क्या उपाय डीओआर द्वारा अधिरोपित है
14	सोडियम नाइट्राइट	रूस	एडी	ओआई	30-07-18	नहीं	लागू नहीं
15	चौप्ड स्ट्रेंड मैट (सीएसएम)	थाईलैंड	एडी	एसी	30-07-18	हां	हां
16	सोडियम नाइट्राइट	यूरोपीय संघ	एडी	एमटीआर	30-07-18	हां	हां
17	कास्टिक सोडा	सऊदी अरब, ईरान, जापान और यूएसए	एडी	एसएसआर	01-08-18	नहीं	लागू नहीं
18	नायलॉन के सिंथेटिक फिलामेंट यार्न (नायलॉन फिलामेंट यार्न)	यूरोपीय संघ और वियतलागू नहींम	एडी	ओआई	06-08-18	हां	नहीं
19	ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड	चीन पीआर	एडी	एमटीआर	08-08-2018	नहीं	लागू नहीं
20	फ्लैट बेस स्टील व्हील्स	चीन पीआर	एडी	एसएसआर	09-08-2018	हां	हां
21	मिश्र धातु या गैर मिश्र धातु इस्पात की सीधी लंबाई की छड़ें और छड़	चीन पीआर	एडी	ओआई	05-09-2018	हां	हां
22	फ्थेलिक एनहाइड्राइड	कोरिया, चीनी ताइपै, इसराइल	एडी	एसएसआर	12-09-2018	नहीं	लागू नहीं
23	70 ली काउंट . से नीचे के फ्लैक्स यार्न	चीन पीआर	एडी	ओआई	18-09-2018	हां	हां
24	स्पेशलिटी पॉलिएस्टर फिल्म	चीन पीआर, हांगकांग, कोरिया	एडी	ओआई	28-09-2018	नहीं	लागू नहीं
25	डाइमिथाइल फॉर्मामाइड	चीन पीआर, सऊदी अरब और जर्मनी	एडी	ओआई	23-10-18	नहीं	लागू
26	ओफ़्लॉक्सासिन एस्टर	चीन पीआर	एडी	एसी	24-10-2018	हां	हां
27	जिओलाइट-4ए	चीन पीआर	एडी	ओआई	29-10-18	हां	हां

2018-19 के दौरान जारी निष्कर्ष							
क्रम.सं.	उत्पाद	शामिल देश	जाँच	प्रकार	अंतिम निष्कर्ष की तिथि	क्या उपाय डीजीटीआर द्वारा अनुशंसित है	क्या उपाय डीओआर द्वारा अधिरोपित है
28	अनकोटेड पेपर	इंडोनेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर।	एडी	ओआई	30-10-18	हां	हां
29	पटसन उत्पाद अर्थात जूट यार्न/ट्वाइन	बांग्लादेश	एडी	एनएसआर	22-11-2018	समाप्त	लागू नहीं
30	पटसन उत्पाद" अर्थात - जूट यार्न/ट्वाईन (मल्टीपल फॉल्डेड/केबल्ड एंड सिंगल), हेसियन फैब्रिक एंड जूट सेकिंग बैग	बांग्लादेश और नेपाल	एडी	एनएसआर	22-11-2018	हां	हां
31	मीथाइलीन क्लोराइड	ईयू, यूएसए और कोरिया आरपी	एडी	एसएसआर	22-11-2018	हां	हां
32	मेटा फेनिलीन डायमीन	चीन पीआर	एडी	एसएसआर	13-12-2018	हां	हां
33	पर्सल्फेट्स	चीन पीआर और यूएसए	एडी	एसएसआर	14-12-2018	नहीं	लागू नहीं
34	कोटेड पेपर	चीन पीआर, ईयू, इंडोनेशिया, कोरिया, यूएसए	एडी	ओआई	26-12-2018	नहीं	लागू नहीं
35	फ्लोरोएलास्टोमर्स (एफकेएम)	चीन पीआर	एडी	ओआई	27-12-2018	हां	हां
36	नाइट्रोसेल्यूलोज, आइसोप्रोप्ल अल्कोहल (आईपीए बेस्ड एनसी) में डूबा हुआ	ब्राजील, इंडोनेशिया, थाईलैंड और चीन पीआर	एडी	ओआई	31-12-2018	हां	हां
37	स्टेनलेस स्टील के कोल्ड रोल्ड फ्लैट उत्पाद	कोरिया	एडी	एमटीआर (नाम परिवर्तन)	31-12-18	हां	हां

2018-19 के दौरान जारी निष्कर्ष							
क्रम.सं.	उत्पाद	शामिल देश	जाँच	प्रकार	अंतिम निष्कर्ष की तिथि	क्या उपाय डीजीटीआर द्वारा अनुशंसित है	क्या उपाय डीओआर द्वारा अधिरोपित है
38	स्टेनलेस स्टील के कोल्ड रोल्ड फ्लैट उत्पाद	कोरिया	एडी	एमटीआर (नाम परिवर्तन)	31-12-18	हां	हां
39	हाई टेनासिटी पॉलिएस्टर यार्न	चीन पीआर	एडी	एमटीआर (नाम परिवर्तन)	07-01-19	हां	हां
40	नोनील फिनोल	चीनी ताइपे	एडी	एसएसआर	11-01-2019	नहीं	लागू नहीं
41	4 4 डायमिनी स्टिलबेन 2 2 डायसल्फोनिक एसिड डीएएसडीए	चीन पीआर	एडी	एसएसआर	15-01-2019	नहीं	लागू नहीं
42	एपॉक्सी रेज़िन	चीन पीआर, यूरोपीय संघ, कोरिया आरपी, ताइवान और थाईलैंड	एडी	ओआई	15-01-2019	समाप्त	लागू नहीं
43	टेक्सचर्ड टेम्पर्ड कोटेड एंड अनकोटेड ग्लास	मलेशिया	एडी	ओआई	17-01-2019	हां	हां
44	पेरासिटामोल	चीन पीआर	एडी	एसएसआर	29-01-2019	नहीं	लागू नहीं
45	एथिल विनील एसीटेट शीट	चीन पीआर, मलेशिया, सऊदी अरब और थाईलैंड	एडी	ओआई	21-02-2019	हां	हां
46	एसीटोन	ईयू, एसए, सिंगापुर, यूएसए	एडी	एसएसआर	05-03-2019	हां	हां
47	सोडा एश	रूस और तुर्की	एडी	एसएसआर	14-03-2019	नहीं	लागू नहीं
48	जूट उत्पाद (सेकिंग बैग)	बांग्लादेश	एडी	एसी	19-03-2019	हां	हां
49	साकारीन	इंडोनेशिया	एडी	ओआई	29-03-2019	हां	हां

2018-19 के दौरान जारी निष्कर्ष							
क्रम.सं.	उत्पाद	शामिल देश	जाँच	प्रकार	अंतिम निष्कर्ष की तिथि	क्या उपाय डीजीटीआर द्वारा अनुशंसित है	क्या उपाय डीओआर द्वारा अधिरोपित है
50	एल्युमिनियम रोड व्हील्स	चीन पीआर, कोरिया आरपी, थाईलैंड	एडी	एसएसआर	29-03-2019	हां	हां

2019-20 के दौरान जारी निष्कर्ष							
क्रम.सं.	उत्पाद	शामिल देश	जाँच	प्रकार	अंतिम निष्कर्ष की तिथि	क्या उपाय डीजीटीआर द्वारा अनुशंसित है	क्या उपाय डीओआर द्वारा अधिरोपित है
1	तन्य लौह पाइप	चीन पीआर	एडी	एसएसआर	01-04-19	नहीं	लागू नहीं
2	जूट	बांग्लादेश	एडी	एनएसआर	02-05-19	नहीं	लागू नहीं
3	नए अप्रयुक्त न्यूमेटिक रेडियल टायर	चीन पीआर	एडी	एनएसआर	02-05-19	नहीं	लागू नहीं
4	मेलामाईन	चीन	एडी	एनएसआर	19-06-19	हां	हां
5	विशुद्ध टेरेफ्थेलिक एसिड	कोरिया और थाईलैंड	एडी	एसएसआर	28-06-19	हां	हां
6	विद्युत इन्सुलेटर	चीन पीआर	एडी	एसएसआर	17-07-19	हां	हां
7	पीवीसी निलंबन रेजिन	चीन पीआर, थाईलैंड, यूएसए	एडी	एसएसआर	17-07-19	हां	हां
8	उच्च गति स्टील	ब्राजील, चीन और जर्मनी	एडी	ओआई	01-08-19	हां	हां
9	जूट उत्पाद	बांग्लादेश	एडी	एनएसआर	19-09-19	हां	हां
10	सैचुरेटेड फैटी अल्कोहल	इंडोनेशिया	एडी	एनएसआर	24-09-19	हां	हां
1 1	जूट उत्पाद	बांग्लादेश	एडी	एनएसआर	03-10-19	हां	हां
12	जूट उत्पाद	बांग्लादेश	एडी	एनएसआर	03-10-19	हां	हां
13	हाई टेनासिटी पॉलिएस्टर यार्न		एडी	नाम परिवर्तन	24-10-2019	हां	हां
14	क्लीयर फ्लोट ग्लास	पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूएई	एडी	एसएसआर	07-11-19	हां	हां
15	क्लोरिनेटेड पोलिविनाईल क्लोराईड (सीपीवीसी)	चीन और कोरिया	एडी	ओआई	19-02-20	हां	हां

2019-20 के दौरान जारी निष्कर्ष							
क्रम.सं.	उत्पाद	शामिल देश	जाँच	प्रकार	अंतिम निष्कर्ष की तिथि	क्या उपाय डीजीटीआर द्वारा अनुशंसित है	क्या उपाय डीओआर द्वारा अधिरोपित है
16	एल्यूमिनियम और जस्ता लेपित फ्लैट उत्पाद	चीन, वियतनाम, कोरिया	एडी	ओआई	21-02-20	हां	हां
17	शीट ग्लास	चीन	एडी	एसएसआर	21-02-20	हां	हां
18	नायलॉन मल्टी फिलामेंट यार्न	चीन पीआर, कोरिया आरपी, ताइवान, थाईलैंड	एडी	ओआई	04-03-20	हां	नहीं
19	लचीला स्लैबस्टॉक पॉलीओल	सिंगापुर	एडी	एसएसआर	17-03-20	हां	हां
20	इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर	मलेशिया	एडी	ओआई	18-03-20	हां	हां
21	इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर	चीन पीआर	एडी	एसएसआर	26-03-20	हां	हां

2020-21 के दौरान जारी निष्कर्ष							
क्र.सं.	उत्पाद	शामिल देश	जाँच	प्रकार	अंतिम निष्कर्ष की तिथि	क्या उपाय डीजीटीआर द्वारा अनुशंसित है	क्या उपाय डीओआर द्वारा अधिरोपित है
1	सोडियम साइट्रेट	चीन पीआर	एडी	एसएसआर	30-04-2020	हां	हां
2	पोलिटेट्राफ्लोरेट हाईलिन (पीटीएफई)	कोरिया आरपी	एडी	एसी	08-05-2020	समाप्त	लागू नहीं
3	डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट	चीन पीआर, जापान, कोरिया, ताइवान, वियतनाम	एडी	ओआई	15-05-2020	हां	हां
4	पोलिस्टाइरेन	ईरान, मलेशिया, सिंगापुर, चीनी ताइपे, यूएई और अमेरिका	एडी	ओआई	12-06-2020	हां	नहीं
5	कोटेड/प्लेटेड टिन मिल फ्लैट रोल्ड स्टील-उत्पाद	यूरोपीय संघ, जापान, अमेरिका, कोरिया	एडी	ओआई	17-06-2020	हां	नहीं
6	मापन टेप	चीन पीआर	एडी	एसएसआर	18-06-2020	हां	हां

2020-21 के दौरान जारी निष्कर्ष							
क्र.सं.	उत्पाद	शामिल देश	जाँच	प्रकार	अंतिम निष्कर्ष की तिथि	क्या उपाय डीजीटीआर द्वारा अनुशंसित है	क्या उपाय डीओआर द्वारा अधिरोपित है
7	सभी ग्रेड और सांद्रता का फॉस्फोरिक एसिड (कृषि/उर्वरक को छोड़कर)	कोरिया आरपी	एडी	एसएसआर	06-08-2020	हां	हां
8	क्लियर फ्लोट ग्लास	मलेशिया	एडी	ओआई	20-08-2020	हां	हां
9	कोलाइन क्लोराइड	चीन, यूरोपीय संघ, मलेशिया, वियतनाम	एडी	एसएसआर	25-08-2020	हां	नहीं
10	एक्रिलिक फाइबर	थाईलैंड	एडी	एसएसआर	31-08-2020	हां	नहीं
1 1	एक्रिलिक फाइबर	बेलारूस, यूरोपीय संघ, पेरू, यूक्रेन	एडी	ओआई	01-09-2020	हां	नहीं
12	फ्लेक्सिबल स्लैबस्टॉक पोल्योल (एफएसपी)	सऊदी अरब और यूएई	एडी	ओआई	01-09-2020	हां	हां
13	डीपीपी लाल	चीन पीआर	एडी	एसएसआर	08-09-2020	हां	नहीं
14	एसीटोन	कोरिया, ताइवान और सऊदी अरब	एडी	एसएसआर	29-09-2020	हां	नहीं
15	स्टेनलेस स्टील-304 ग्रेड के हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पाद	चीन पीआर, कोरिया आरपी, मलेशिया	एडी	एसएसआर	29-09-2020	हां	नहीं
16	कुछ ग्लास फाइबर और उसके सामान	चीन पीआर	एडी	एमटीआर-पीएसआर	03-10-2020	नहीं	लागू नहीं
17	डाइमिथाइल एसिटामाइड	चीन और तुर्की	एडी	एमटीआर	14-10-2020	हां	हां
18	सन का कपड़ा	चीन पीआर और हांगकांग	एडी	एसएसआर	17-10-2020	हां	हां
19	फ्लोरो इलास्टोमर्स	चीन पीआर	एडी	एसएसआर	19-10-2020	हां	हां
20	पीवीसी पेस्ट रेजिन	कोरिया	एडी	एमटीआर (एनसी)	29-10-2020	हां	हां
21	टॉल्यून डीइसोसाईनेट (टीडीआई)	कोरिया	एडी	एमटीआर (एनसी)	29-10-2020	हां	हां
22	कास्टिक सोडा	चीन पीआर और कोरिया	एडी	एसएसआर	29-10-2020	हां	नहीं
23	नायलॉन टायर कॉर्ड फैब्रिक	चीन पीआर	एडी	एसएसआर	29-10-2020	हां	नहीं
24	मोनो एथिलीन ग्लाइकोल	कुवैत, ओमान, सऊदी अरब, यूएई और सिंगापुर	एडी	ओआई	20-11-2020	समाप्त	लागू नहीं

2020-21 के दौरान जारी निष्कर्ष							
क्र.सं.	उत्पाद	शामिल देश	जाँच	प्रकार	अंतिम निष्कर्ष की तिथि	क्या उपाय डीजीटीआर द्वारा अनुशंसित है	क्या उपाय डीओआर द्वारा अधिरोपित है
25	एक्रिलोनिट्राईल बुटाडाईन रबड़ (एनबीआर)	कोरिया आरपी	एडी	एसएसआर	24-11-2020	हां	नहीं
26	सभी पूरी तरह से तैयार यार्न	चीन पीआर और थाईलैंड	एडी	एसएसआर	24-11-2020	हां	नहीं
27	कुछ फ्लोट ग्लास	चीन पीआर	एडी	एमटीआर-पीएसआर	26-11-2020	हां	नहीं
28	फ्लोट ग्लास	चीन पीआर	एडी	एसएसआर	26-11-2020	हां	नहीं
29	न्यूमेटिक रेडियल टायर	थाईलैंड	एडी	ओआई	27-11-2020	हां	नहीं
30	पोलिटेट्राफ्लोरेट हाईलिन (पीटीएफई)	रूस	एडी	एमटीआर	18-12-2020	हां	नहीं
31	रोल्स में फेस्ड ग्लासवूल	चीन पीआर	एडी	ओआई	22-12-2020	हां	हां
32	रबर अनुप्रयोगों में प्रयुक्त कार्बन ब्लैक	चीन और कोरिया	एडी	एसएसआर	22-12-2020	हां	नहीं
33	फिनोल	दक्षिण अफ्रीका	एडी	एसएसआर	22-12-2020	हां	नहीं
34	स्टेनलेस स्टील फ्लैट उत्पाद	चीन, कोरिया, यूरोपीय संघ, जापान, ताइवान, इंडोनेशिया, अमेरिका, थाईलैंड, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात, हांगकांग, सिंगापुर, मैक्सिको, वियतनाम, मलेशिया	एडी	ओआई	23-12-2020	हां	नहीं
35	फ्रंट एक्सल बीम और स्टीयरिंग नक्कल्स	चीन पीआर	एडी	एसएसआर	24-12-2020	हां	हां
36	पीईटी रेजिन	चीन पीआर	एडी	ओआई	28-12-2020	हां	हां
37	विस्कोस स्पून यार्न	चीन पीआर, इंडोनेशिया और वियतनाम	एडी	ओआई	31-12-2020	हां	नहीं
38	फ्थेलिक एनहाइड्राइड	जापान और रूस	एडी	एसएसआर	05-01-2021	हां	नहीं
39	सिप्रोफ्लोक्सासिन हाइड्रोक्लोराइड	चीन	एडी	ओआई	07-01-2021	हां	हां

2020-21 के दौरान जारी निष्कर्ष							
क्र.सं.	उत्पाद	शामिल देश	जाँच	प्रकार	अंतिम निष्कर्ष की तिथि	क्या उपाय डीजीटीआर द्वारा अनुशंसित है	क्या उपाय डीओआर द्वारा अधिरोपित है
40	प्लेन मीडियम डेनसीटी फाइबर बोर्ड	चीन पीआर, मलेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड	एडी	एसएसआर	08-01-2021	हां	नहीं
41	न्यूजप्रिंट	ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपीय संघ, हांगकांग, रूस, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात	एडी	ओआई	10-01-2021	हां	नहीं
42	डायमिथाईल फोर्मामाइड (डीएमएफ)	चीन और सऊदी अरब	एडी	ओआई	11-01-2021	हां	नहीं
43	सोडा पाउडर	तुर्की और यूएसए	एडी	ओआई	19-01-2021	हां	नहीं
44	एनिलीन	चीन पीआर	एडी	ओआई	20-01-2021	हां	हां
45	कोल्ड रोल्ड स्टेनलेस स्टील	कोरिया, यूरोपीय संघ, दक्षिण अफ्रीका, ताइवान, थाईलैंड और यूएसए	एडी	एसएसआर	20-01-2021	हां	नहीं
46	मीथाइलीन क्लोराइड	चीन पीआर	एडी	एसएसआर	20-01-2021	हां	नहीं
47	नाईलॉन फिलामेंट यार्न	यूरोपीय संघ और वियतनाम	एडी	एमटीआर-पीएसआर	22-01-2021	हां	हां
48	पोलिटेट्राफ्लोरेट हाईलिन (पीटीएफई)	चीन पीआर	एडी	एसी	27-01-2021	हां	हां
49	ब्लैक टोनर	चीन पीआर, मलेशिया, ताइवान	एडी	ओआई	28-01-2021	हां	हां
50	1-फिनाइल-3-मिथाइल-5-पाइराजोलोन	चीन पीआर	एडी	ओआई	28-01-2021	हां	हां
51	टौलीन डि आइसोसाइनेट	यूरोपीय संघ, सऊदी अरब, ताइवान, यूएई	एडी	ओआई	28-01-2021	हां	हां
52	फिनोल	थाईलैंड और यूएसए	एडी	ओआई	28-01-2021	हां	नहीं
53	2 एथिल हेक्सानॉल	यूरोपीय संघ, इंडोनेशिया, मलेशिया, कोरिया आरपी, ताइवान, यूएसए	एडी	एसएसआर	08-03-2021	हां	हां

2020-21 के दौरान जारी निष्कर्ष							
क्र.सं.	**उत्पाद**	**शामिल देश**	**जाँच**	**प्रकार**	**अंतिम निष्कर्ष की तिथि**	**क्या उपाय डीजीटीआर द्वारा अनुशंसित है**	**क्या उपाय डीओआर द्वारा अधिरोपित है**
54	**एन-ब्यूटील एल्कोहल (एनबीए)**	**यूरोपीय संघ, मलेशिया, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका।**	**एडी**	**एसएसआर**	**30-03-2021**	**हां**	**हां**

ध्यान दें:-	
डीजीटीआर	व्यापार उपचार महानिदेशालय
डीओआर	राजस्व विभाग
एडी	पाटन-रोधी
एसएसआर	समापक समीक्षा
एनएसआर	नई शिपर समीक्षा
एमटीआर	मध्यावधि समीक्षा
एसी	प्रपंच-रोधी
एनए	लागू नहीं

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 474

दिनांक 01 दिसम्बर, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए

निर्यातकों का बकाया

**474 डॉ वेंकटेश नेता बोरलाकुंताः
श्री दयाकर पसुनूरीः
श्रीमती कविता मलोथूः
डॉ. जी. रणजीत रेड्डीः**

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निर्यातकों के 56,000 करोड़ रुपए के बकाया का भुगतान करने वाली है;

(ख) यदि हां, तो उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके तहत निर्यातकों के पैसे सरकार के पास बकाया है और इससे कितने एमएसएमई को लाभ मिलने वाला है;

(ग) तेलंगाना के निर्यातकों का ब्यौरा क्या है जिनके बकाया का भुगतान किया जाने वाला है; और

(घ) वर्ष 2021–22 के दौरान 400 बिलियन डॉलर के निर्यात के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख) सरकार ने निर्यातकों को लंबित निर्यात प्रोत्साहन बकाया राशि के भुगतान के लिए 56,027 करोड़ रु. जारी किए हैं जो विभिन्न स्कीमों हेतु हैं नामतः भारत से व्यापारिक वस्तुओं की निर्यात स्कीम (एमईआईएस)–33,010 करोड़ रु., भारत से सेवा निर्यात स्कीम (एसईआईएस)–10,002 करोड़ रु., राज्य और केन्द्रीय करों और लेवी की छूट (आरओएससीटीएल)–5,286 करोड़ रु. राज्य लेवी की छूट (आरओएसएल)–330 करोड़ रु., निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (आरओडीटीईपी)–2,568 करोड़ रु. अन्य पहले से चली आ रही स्कीमें जैसे टार्गेट प्लस स्कीम (टीपीएस), फोकस प्रोडक्ट स्कीम (एफपीएस) इत्यादि– 4,831 करोड़ रु.। इसमें वित्तीय वर्ष 2020–21 की चौथी तिमाही के दौरान आरओडीटीईपी और आरओएससीटीएल के अंतर्गत किए गए निर्यात हेतु दी गई सहायता शामिल है। अनुमान है कि ऐसे लाभ 45,000 से अधिक निर्यातकों को संवितरित किए जाएंगे जिसमें से लगभग 98 प्रतिशत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की श्रेणी में आ सकता है।

(ग) इन स्कीमों के अंतर्गत बकाया राशि का भुगतान आवेदक निर्यातक जिनके आवेदनों की किसी कमी हेतु जांच की जाती है, द्वारा पात्रता मानंदडों को पूरा करने पर निर्भर है। इन स्कीमों हेतु संपूर्ण आवेदनों के अनुमोदन की प्रक्रिया भिन्न–भिन्न है। कुछ स्कीमों जैसे एमईआईएस, आरओएससीटीएल और आरओएसएल में ऑनलाइन आवेदनों को आम तौर पर सिस्टम स्वीकृति दी जाती है जबकि एसईआईएस, टीपीएस और एफपीएस ऑनलाईन आवेदनों हेतु दस्तावेजों की मैनुअल संवीक्षा और जांच अपेक्षित है। इस कारण से निर्यातकों की बकाया राशि के राज्यवार ब्यौरे का रखरखाव नहीं किया जाता है।

(घ) लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा कुछ प्रमुख स्कीमें चलायी गई हैं/कार्रवाई की गई हैः

i. विदेश व्यापार नीति 2015–20 को कोविड–19 महामारी के दौरान एक स्थिर व्यवस्था प्रदान करने के लिए 31.03.2022 तक आगे बढ़ाया गया है जिसमें स्कीमें जैसे अग्रिम प्राधिकार–पत्र स्कीम और निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल (ईपीसीजी) स्कीम का कार्यान्वयन किया जा रहा है ताकि निर्यात उत्पादन हेतु कच्चे माल और पूंजीगत माल का शुल्क मुक्त आयात करना समर्थित हो सके।

ii. वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (आरओडीटीईपी) स्कीम को 12,454 करोड़ रु. के बजट के साथ प्रारंभ किया गया है।

iii. परिधान और मेड–अप्स के निर्यात हेतु राज्य और केन्द्रीय लेवी और करों की छूट (आरओएससीटीएल) स्कीम को मौजूदा दरो के साथ मार्च, 2024 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

iv. कृषि उपज के माल भाड़े और विपणन के अंतरराष्ट्रीय संघटक को सहायता प्रदान करने और विनिर्दिष्ट विदेशी बाजारों में भारतीय कृषि उत्पादों हेतु ब्रांड पहचान को बढ़ावा देने के लिए विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादों हेतु परिवहन और विपणन सहायता (टीएमए) स्कीम का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

v. निर्यातकों द्वारा मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के उपयोग को बढ़ाने के लिए उद्गम प्रमाण पत्र (सीओओ) के लिए एक सामान्य डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है।

vi. 200 देशों और 31 वस्तु समूहों हेतु निर्यात की मासिक निगरानी की जा रही है।

vii. ''आजादी का अमृत महोत्सव'' के तत्वावधान में 21 से 26 सितंम्बर, 2021 के दौरान वाणिज्य सप्ताह मनाया गया ताकि निर्यात और निर्यात संबंधी विभिन्न मुद्दों हेतु जागरूकता लाने और विचार विमर्श करने हेतु उद्योग जगत के सदस्यों, निर्यातकों, संघों और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को शामिल किया जा सके।

viii. समस्त निर्यात क्षमता को बढ़ावा देने के लिए, प्रत्येक जिले में निर्यात क्षमता वाले उत्पादों और सेवाओं को चिन्हित करके जिलों को निर्यात हबों के रूप में सवंर्धित किया जा रहा है।

ix. सेवाओं के निर्यात को बहुपक्षीय, क्षेत्रीय और द्विपक्षीय व्यापार समझौतों के माध्यम से सार्थक बाजार में पहुंच के संबंध में बातचीत करके, सेवाओं पर वैश्विक प्रदर्शनी जैसे अंतरराष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी और आयोजन के माध्यम से सहायता दी जा रही है।

x. अभिज्ञात नोडल मंत्रालयों/विभागों के माध्यम से चिन्हित किए गए चैंपियन सेवा क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 'एक्शन प्लान फॉर चैंपियन सैक्टर इन सर्विसेस' भी तैयार किया गया है।

xi. बाजार अभिगम पहल (एमएआई) स्कीम के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों जैसे निर्यात बाजार अनुसंधान, उत्पाद विकास, उत्पाद पंजीकरण, विदेश में मेलों, प्रदर्शनियों क्रेता–विक्रेता मीट (बीएसएम), रिवर्स क्रेता–विक्रेता मीट्स का आयोजन/भागीदारी इत्यादि के लिए निर्यातकों को सहायता प्रदान की जा रही है।

xii. निर्यात अवसंरचना के विकास पर समन्वित और फोकसयुक्त ध्यान के लिए, व्यापार सुविधा पर राष्ट्रीय समिति (एनसीटीएफ) के अन्तर्गत बुनियादी ढांचे के उन्नयन देने हेतु एक कार्य समूह का गठन किया गया है और एक राष्ट्रीय व्यापार सुविधा कार्य योजना (एनटीएफएपी) तैयार की गई है। इसमें बंदरगाहों तक सड़क और रेल संपर्क में सुधार और बंदरगाहों पर स्मार्ट गेट संबंधी उपाय करना शामिल हैं।

*****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.478

दिनांक 1 दिसंबर, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए

एनईआईए योजना

478. श्री परबतभाई सवाभाई पटेल :

श्री नारणभाई काछड़िया

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता योजना (एनईआईए) का उद्देश्य क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस योजना को जारी रखने की अनुमति प्रदान कर दी है और पांच वर्षों से ज्यादा समय के लिए वित्तीय सहायता को अनुमोदित कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस योजना के अंतर्गत निर्यात केंद्र के रूप में कार्य करने के लिए राज्यों के जिलों को प्रोत्साहन दिया जाता है; और

(ड.) यदि हां, तो गुजरात के वे कौन-से जिले हैं जिन्हें प्रोत्साहन दिया गया है/दिया जाएगा?

उत्तर

<u>वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री</u>

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता योजना (एनईआईए) ट्रस्ट का उद्देश्य परियोजनाओं और अन्य उच्च मूल्य वाले निर्यातों के लिए क्रेडिट जोखिम कवर की उपलब्धता सुनिश्चित करना है जो राष्ट्रीय हित के दृष्टिकोण से वांछनीय हैं लेकिन ईसीजीसी, क्षमता की कमी या इसकी नियमित नीतियों से भिन्न शर्तों के कारण अंडरराइट करने में असमर्थ है। एनईआईए, परियोजना निर्यात के लिए ईसीजीसी द्वारा प्रदान किए गए बीमा कवर को अतिरिक्त सहायता प्रदान करता है, जो भारतीय परियोजना निर्यातकों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाता है तथा विभिन्न क्षेत्राधिकारों में उनकी पैठ को मजबूत बनाता है जो विदेश में बड़ी परियोजनाओं को निष्पादित करने में भारत की क्षमताओं को विशेष रूप से दर्शाता है।

(ख) जी हाँ। सरकार ने एनईआईए ट्रस्ट को 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए वित्तीय सहायता की मंजूरी दी है।

(ग) सरकार ने 2021-22 से 2025-26 के दौरान एनईआईए ट्रस्ट में 1,650 करोड़ रुपये के सहायता अनुदान के इन्फ्यूजन की मंजूरी दी है।

(घ) जी नहीं।

(ड़) उपर्युक्त (घ) के उत्तर को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता है।

****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.519

दिनांक 1 दिसंबर, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) निधि

519. श्री सदाशिव किसान लोखंडे :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत निधियों का आवंटन किया गया है;

(ख)यदि हां, तो मंत्रालय के अंतर्गत ऐसे उपक्रमों का ब्यौरा और क्षेत्रों का शीर्ष-वार और व्यय की गई निधि तथा स्थान-वार लाभार्थियों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत निधियों के व्यय हेतु मानदंड निर्धारित किए हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा सीएसआर के अंतर्गत देश में विशेषकर अनुसूचित जाति/जनजातीय बहुल क्षेत्रों में निधियों के व्यय हेतु प्रभावी कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ड.)यदि हां, तो क्या अनुसूचित जातीय बहुल क्षेत्र विशेषकर महाराष्ट्र के शिरडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को योजना में सम्मिलित किया गया है अथवा सम्मिलित किए जाने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) : जी हां, मंत्रालय के तहत केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसयू) लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देश और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार सीएसआर (कारपोरेट सामाजिक दायित्व) के लिए रूपरेखा के तहत परियोजनाओं को लाने हेतु निधियां आबंटित कर रहे हैं।

(ख) से (च) विगत तीन वर्षों के दौरान मंत्रालय के तहत सीपीएसयू द्वारा आबंटित कुल सीएसआर निधियों और शीर्षवार तथा स्थानवार परियोजनाओं पर व्यय का ब्यौरा **अनुबंध-।** पर देखा जा सकता है। सामान्य सार्वजनिक जनोपयोगी सेवा, सार्वजनिक कल्याण निधियों में अंशदान आदि जैसी परियोजनाओं के लिए लाभार्थियों की संख्या के स्थान-वार आंकड़ें समेकित करना कठिन है।

लोक उद्यम विभाग ने सभी प्रशासनिक मंत्रालयों और सीपीएसयू को सीपीएसयू द्वारा सीएसआर व्यय पर विषय आधारित केन्द्रित दृष्टिकोण अपनाने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। अनेक परियोजनाओं के तहत सीएसआर व्यय का दबाव, देश के पिछड़े और अनुसूचित जाति/जनजाति बहुल क्षेत्रों सहित उपांत और अल्प सुविधा प्राप्त वर्गों के उत्थान के लिए है।

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 135 और इसके तहत अधिसूचित कंपनी (सीएसआर नीति), नियम 2014 के सीएसआर प्रावधानों के अनुसार, सीपीएसयू का प्रबंधन देश के किसी भी भाग में पिछड़े और अनुसूचित जाति/जनजाति बहुल क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक विकास और कल्याण सहित अधिनियम की **अनुसूची–VII** में सूचीबद्ध पात्र गतिविधियों के अनुसार, सीएसआर गतिविधियों को करने का निर्णय ले सकता है।

******

अनुबंध- I

1. एमएमटीसी लिमिटेड

वर्ष	सीएसआर खर्च की राशि (लाख रुपये में)	राज्य (स्थान-वार)	मुख्य सेक्टर/विकास क्षेत्र (शीर्षवार)
2018-19	125.4	ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, झारखंड और दिल्ली	स्वास्थ्य देखभाल, पोषण और शिक्षा को बढ़ावा देना, ग्रामीण कल्याण, कौशल विकास और आजीविका।
2019-20	173	राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली	मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य (एमसीएच) के लिए नए प्रतीक्षालय का निर्माण, स्वच्छ भारत, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, कौशल विकास, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, कौशल विकास, शिक्षा और पोषण को बढ़ावा देने, पीएम केयर्स फंड
वित्त वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान एमएमटीसी को हानि हुई। तदनुसार, कंपनी अधिनियम-2013 की धारा 198 के अनुसार गणना किया गया सीएसआर बजट अर्थात पिछले 3 वर्षों के निवल लाभ का 2% औसत 'ऋणात्मक' है। फिलहाल, कंपनी ने वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान कोई नई सीएसआर परियोजना आरंभ नहीं की है।			

2. स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसटीसी लिमिटेड)

वर्ष	सीएसआर खर्च की राशि (लाख रुपये में)	राज्य (स्थान-वार)	मुख्य सेक्टर /विकास क्षेत्र (शीर्षवार)
2019-20	1.40*	पैन इंडिया	पीएम केयर्स फंड में योगदान
* पिछले वित्तीय वर्ष से अग्रेषित राशि। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2015-16 से औसत निवल हानि दर्ज किया, इसलिए बाद के वर्षों के लिए सीएसआर गतिविधियों हेतु सीएसआर निधि आवंटित करना अनिवार्य नहीं था। तथापि, तत्कालीन चल रही परियोजनाओं को पिछले वर्षों के 'अग्रेषित बजट' के आधार पर जारी रखा गया था।			

3. भारत व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ)

वर्ष	सीएसआर खर्च की राशि (लाख रुपये में)	राज्य (स्थान-वार)	मुख्य सेक्टर /विकास क्षेत्र (शीर्षवार)
2018-19	300.5	पैन इंडिया, बिहार, दिल्ली, ओडिशा और आंध्र प्रदेश	स्वच्छ भारत कोष, स्वच्छ गंगा कोष, सरकारी स्कीमों पर जागरूकता कार्यक्रम, भारतीय संस्कृति और विरासत को बढ़ावा देना, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना, समाज कल्याण, शिक्षा, पर्यावरण, कौशल विकास , आदिवासी छात्रों को शिक्षा, आदिवासी आबादी के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए अराकू निर्वाचन क्षेत्र का विकास
2019-20	441	पैन इंडिया, दिल्ली/एनसीआर, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, ओडिशा, गुजरात, हरियाणा और झारखंड	पीएम केयर्स फंड, स्वच्छ भारत कोष, गर्व शौचालय द्वारा छात्रों के लिए शौचालय का निर्माण, छात्राओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक सेनेटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन और सेनेटरी नैपकिन डिस्पोजल मशीन, विकलांग व्यक्तियों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम, शिक्षा का प्रचार, एसटी छात्रों के लिए आश्रम शाला, कला और संस्कृति का संवर्धन
आईटीपीओ बोर्ड ने विस्तृत चर्चा के बाद निर्णय लिया कि कंपनी की वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक वर्ष 2020-21 और उसके बाद के लिए सीएसआर गतिविधि को स्थगित रखा जाएगा। वित्तीय वर्ष 2019-20 या उससे पहले की चल रही परियोजनाओं के लम्बित अधूरे कार्य बोर्ड के अनुमोदन के अनुसार पूर्ण किए जाने चाहिए। पूर्व में स्वीकृत परियोजनाओं में से कोई नया कार्य सीएमडी, आईटीपीओ के अनुमोदन से आरंभ करने की आवश्यकता नहीं है।			

4. कर्नाटक व्यापार संवर्धन संगठन (केटीपीओ)

वर्ष	सीएसआर खर्च की राशि (लाख रुपये में)	राज्य (स्थान-वार)	मुख्य सेक्टर /विकास क्षेत्र (शीर्षवार)
2018-19	30.00	कर्नाटक	स्वच्छ भारत अभियान
2019-20	12.00	कर्नाटक	स्वास्थ्य को बढ़ावा
2020-21 सीएसआर राशि रु 23.16 लाख आरक्षित किए गए हैं और नियत समय में खर्च किए जाएंगे।			

5. तमिलनाडु व्यापार संवर्धन संगठन (टीएनटीपीओ)

वर्ष	सीएसआर खर्च की राशि (लाख रुपये में)	राज्य (स्थान-वार)	मुख्य सेक्टर /विकास क्षेत्र (शीर्षवार)
2018-19	56.38	पैन इंडिया, तमिलनाडु	स्वच्छ भारत, स्वच्छ गंगा कोष में योगदान और शौचालयों का निर्माण
2019-20	65.41	पैन इंडिया, तमिलनाडु	स्वच्छ भारत, स्वच्छ गंगा में योगदान, समाज कल्याण, आकांक्षी जिलों का विकास
टीएनटीपीओ के बोर्ड ने वर्ष 2020-21 के संशोधित अनुमान पर विचार करते हुए महामारी की स्थिति में राजस्व हानि के कारण वर्ष 2020-21 के लिए सीएसआर व्यय को स्थगित करने की सलाह दी। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 की उप धारा 6 के अनुसार, टीएनटीपीओ ने 73.10 लाख रुपये की राशि जमा कर 28.09.2021 को इंडियन बैंक, वालासरवक्कम शाखा, चेन्नई में "टीएनटीपीओ-अव्ययित कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व खाता" के नाम से एक अलग बैंक खाता खोला।			

6. ईसीजीसी लिमिटेड

वर्ष	सीएसआर खर्च की राशि (लाख रुपये में)	राज्य (स्थान-वार)	मुख्य क्षेत्र/विकास क्षेत्र (शीर्षवार)
2018-19	675.37	महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, दादरा और नगर हवेली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, अखिल भारतीय, केरल, पश्चिम बंगाल, दिल्ली	शिक्षा को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य देखभाल, कौशल विकास, स्वच्छता, ग्रामीण खेल को बढ़ावा देना, भारतीय संगीत का प्रचार और संरक्षण, स्वच्छ भारत, केरल बाढ़ राहत और प्रभाव आकलन अध्ययन
2019-20	1182.51	महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, असम, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, अखिल भारतीय, राजस्थान	शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, समाज कल्याण, स्वच्छता, कौशल विकास को बढ़ावा देना, सोलर लैंप प्रदान करना और पीएम केयर्स फंड
2020-21	725.26	मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर पूर्व, ओडिशा, तमिलनाडु, असम, अखिल भारतीय और नई दिल्ली	शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छ भारत, स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, सामाजिक जागरूकता, पोषण को बढ़ावा देना
2021-22 (31.07.2021 तक)	619.78	मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर पूर्व, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, उत्तराखंड, अखिल भारतीय	शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छ भारत को बढ़ावा देना

7. पीईसी लिमिटेड

निरंतर औसत निवल हानि के कारण, वित्तीय वर्ष 2015-16 से आगे के लिए सीएसआर के लिए कोई नई निधि आवंटित नहीं की गई थी और पिछले वर्षों की अग्रेषित निधि सीएसआर गतिविधियों के लिए उपलब्ध थी। पीईसी के बोर्ड ने अक्टूबर, 2021 को आयोजित अपनी बैठक में कंपनी (सीएसआर) संशोधन नियम, 2021 दिनांकित 2021/01/22 के अनुसार 25.42 लाख रुपये की अव्ययित राशि के ''प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष" में हस्तांतरण को मंजूरी दे दी है ।

8. **राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम (एनआईसीडीसी) लिमिटेड**

वर्ष	सीएसआर खर्च की राशि (लाख रुपये में)	राज्य (स्थान-वार)	मुख्य सेक्टर /विकास क्षेत्र (शीर्षवार)
2018-19	9.44	महाराष्ट्र	कौशल से रोजगार में वृद्धि
2019-20	11.77	पैन इंडिया	प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ)
2020-21	11.97	पैन इंडिया	प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ)

9. **एनआईसीडीसी नीमराना सोलर पावर लिमिटेड**

वर्ष	सीएसआर खर्च की राशि (लाख रुपये में)	राज्य (स्थान-वार)	मुख्य सेक्टर /विकास क्षेत्र(शीर्षवार)
2018-19	11.58	राजस्थान	शिक्षा को बढ़ावा देना
2019-20	11.23	पैन इंडिया	प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ)
2020-21	2.96	पैन इंडिया	प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ)

10. **इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्जीबिशन सेंटर लिमिटेड**

वर्ष	सीएसआर खर्च की राशि (लाख रुपये में)	राज्य (स्थान-वार)	मुख्य सेक्टर /विकास क्षेत्र(शीर्षवार)
2018-19	-	-	-
2019-20	5.98	पैन इंडिया	स्वच्छ भारत कोष
2020-21	9.41	पैन इंडिया	स्वच्छ भारत कोष

******

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.531

दिनांक 1 दिसंबर, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए

चीन से आयात

531. श्री के.नवासखनी :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्त वर्ष 2014-15 से वित्त वर्ष 2021-22 तक चीन से किए गए आयातों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) वित्त वर्ष 2014-15 से वित्त वर्ष 2021-22 तक चीन को किए गए निर्यात का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पिछले सात वर्षों के दौरान चीन से किए जाने वाले आयात में वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;

(ड.) क्या पिछले छह वर्षों में चीन को किए गए निर्यात में गिरावट आई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है; और

(छ) सरकार द्वारा चीन के संबंध में निर्यात बढ़ाने और आयात को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

<u>वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री</u>

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ख): वित्त वर्ष 2014-15 से वित्त वर्ष 2021-22 तक चीन को भारत के निर्यात और आयात के व्यापार आँकड़े निम्नानुसार है:

(मूल्य अरब डॉलर में)

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22 (अप्रैल-सितंबर)
आयात	60.41	61.71	61.28	76.38	70.32	65.26	65.21	42.33
निर्यात	11.96	9.01	10.17	13.33	16.75	16.61	21.19	12.26
कुल व्यापार	72.37	70.72	71.45	89.71	87.07	81.87	86.4	54.59
व्यापार घाटा	48.45	52.7	51.11	63.05	53.57	48.65	44.02	30.07

(स्रोतः डीजीसीआईएस)

(ग) से (घ): चीन से आयात वर्ष 2014-15 में 60.41बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2020-21में 65.21बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया है, जो 6 वर्षों में 7.94%की वृद्धि दर्शाता है। तथापि, वर्ष 2019-20और वर्ष 2020-21के बीच आयात स्थिर था। चीन से आयात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं दूरसंचार उपकरण, कंप्यूटर हार्डवेयर और पेरिफरल्स, उर्वरक, इलेक्ट्रॉनिक घटक/उपकरण, परियोजना सामान, कार्बनिक रसायन, दवा इंटरमीडिएट्स, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, विद्युत मशीनरी, आदि जैसे उत्पाद हैं। इनमें से कई आयातित वस्तुओं का उपयोग भारत में दूरसंचार और विद्युत जैसे तेजी से विस्तार करने वाले सेक्टरों की मांग को पूरा करने के लिए किया जाता है । चीन से हमारे कुछ आयात जैसे सक्रिय फार्मास्युटिकल सामग्री (एपीआई) और ड्रग फार्म्युलेशन भारतीय फार्मा उद्योग को तैयार माल का उत्पादन करने के लिए कच्चा माल प्रदान करते हैं जिसका भारत से बाहर निर्यात भी किया जाता है। विगत सात वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान चीन से भारत के आयात, प्रमुख वस्तु-वार और मूल्य-वार का विवरण अनुबंध-I में दिया गया है।

(ड.) से (च): भारत से चीन को निर्यात वर्ष 2014-15 में 11.96 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2020-21में 21.19बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया है, जो 6 वर्षों में 77.17%की वृद्धि दर्शाता है।

(छ) भारत सरकार ने चीन को भारतीय निर्यात पर गैर-प्रशुल्क अवरोधों का समाधान करने के लिए द्विपक्षीय संव्यवहारों सहित चीन के साथ अधिक संतुलित व्यापार प्राप्त करने के लिए सतत् प्रयास किए हैं। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और मोबाइल, व्हाइट गुड्स (एसी और एलईडी), स्पेशलिटी स्टील, ड्रोन और ड्रोन कंपोनेंट्स आदि के अलावा की स्टार्टिंग मैटेरियल्स/ड्रग इंटरमीडिएट्स, एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रीडिएंट्स जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में घरेलू विनिर्माण क्षमता को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम (पीएलआई) जैसी योजनाएं भी आरंभ की हैं। इन स्कीम से घरेलू विनिर्माण क्षमता को बढ़ावा मिलेगा और निवेश आकर्षित होगा तथा चीन से आयात पर निर्भरता कम होगी।

****

अनुबंध- I

वित्त वर्ष 2014-15 से वित्त वर्ष 2020-21और 2021-22 (सितंबर 2021तक) में चीन से भारत के आयात की प्रमुख वस्तु समूहों का विवरण निम्नानुसार है:

क्रम. सं	प्रमुख वस्तु समूह	चीन से मिलियन अमरीकी डालर में आयात								
		2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2020-21 (अप्रैल-सितंबर)	2021-22 (अप्रैल-सितंबर)
1	कपास कच्चा और अपशिष्ट	0.01	0.01	0.05	0.10	0.37	8.07	0.02	0.00	0.00
2	वनस्पति तेल	0.25	0.40	0.37	0.63	0.46	0.56	0.22	0.07	0.20
3	दाल	72.34	61.44	64.81	58.11	47.86	51.58	46.36	24.92	18.13
4	फल और सब्जियां	89.48	74.31	176.95	85.13	33.27	48.41	36.69	13.21	15.93
5	लुगदी और अपशिष्ट कागज	16.42	14.98	19.65	17.95	21.00	24.34	20.84	10.74	14.00
6	टेक्सटाइल यार्न फैब्रिक, मेडअप आर्टिकल्स	849.27	869.65	745.28	992.62	923.52	895.03	700.60	228.92	406.01
7	उर्वरक, अपरिष्कृत और निर्मित	3154.73	3268.09	1250.68	1072.58	2053.29	1820.93	1551.23	704.83	1735.00
8	सल्फर और अनरोस्टेड आयरन पाइरट्स	0.11	0.13	0.10	0.24	0.27	0.21	0.13	0.05	0.06
9	धात्विक अयस्क और अन्य खनिज	263.55	213.28	243.13	272.96	476.15	261.54	238.42	93.36	169.98
10	कोयला, कोक और ब्रिकेट, आदि।	423.63	364.40	402.79	642.52	698.89	160.32	20.71	9.63	180.55
1 1	पेट्रोलियम, अपरिष्कृत और उत्पाद	315.82	306.34	213.11	313.84	302.27	340.44	183.63	94.44	212.97
12	लकड़ी और लकड़ी के उत्पाद	680.31	637.41	697.74	932.58	803.99	784.43	525.75	209.13	316.12
13	चमड़ा और चमड़े के उत्पाद	211.94	223.47	224.32	265.67	256.90	236.49	114.30	37.57	72.38
14	कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन	4079.65	3752.95	3562.40	4750.20	5781.19	5197.64	5693.70	2733.36	4040.77
15	डाइंग/टैनिंग/रंगीन एमटीआरएलएस।	631.54	554.58	560.10	751.13	759.89	779.54	775.01	301.96	496.01

16	कृत्रिम रेजिन, प्लास्टिक सामग्री, आदि।	2085.81	2080.03	2270.30	2945.48	3227.06	3165.79	2741.78	970.36	2133.03
17	रासायनिक सामग्री और उत्पाद	1609.39	1477.09	1658.57	2230.65	2592.04	2467.49	2721.34	1305.61	1716.11
18	अखबारी कागज	26.19	0.15	0.00	0.01		0.00	0.01		
19	मोती, कीमती और अर्द्ध कीमती पत्थर	31.19	45.11	45.76	107.61	64.11	61.24	45.20	11.97	31.45
20	लोहा और इस्पात	4101.53	3541.11	2576.56	3090.72	3153.45	2706.35	2208.84	976.34	1356.10
21	अलौह धातु	1606.37	1352.35	1363.75	1657.52	2131.10	1855.26	1460.08	548.76	903.85
22	मशीन टूल्स	645.33	645.45	727.52	1014.96	1142.81	1026.74	1109.88	388.19	711.73
23	मशीनरी, विद्युत और गैर-विद्युत	7390.79	8045.51	8395.95	10354.11	11135.68	10865.44	10220.49	3889.29	5839.41
24	परिवहन उपकरण	3029.43	3173.47	3653.34	3758.57	2721.66	2470.58	2374.43	886.13	1384.86
25	परियोजना का सामान	1449.33	994.11	763.00	609.54	553.28	438.28	347.92	178.94	101.59
26	व्यावसायिक उपकरण, ऑप्टिकल सामान, आदि।	469.13	477.83	525.70	807.30	815.93	758.15	930.46	421.25	955.89
27	इलेक्ट्रॉनिक सामान	19727.01	22678.65	24731.24	31975.18	22737.47	21374.09	23936.27	10144.80	15291.87
28	मेडिकल और फार्मास्युटिकल उत्पाद	2280.57	2337.53	2018.78	2251.84	2630.56	2562.85	2903.41	1432.51	1764.07
29	सोना	35.70	24.18	28.37	76.53	12.59	0.00			
30	चांदी	1141.02	384.51	440.69	326.31	321.53	46.26	51.76	47.88	4.27
31	अन्य	3995.33	4109.44	3922.02	5018.10	4921.05	4852.68	4252.76	1710.90	2461.44
चीन से कुल आयात		**60413.17**	**61707.95**	**61283.03**	**76380.70**	**70319.64**	**65260.75**	**65212.25**	**27375.10**	**42333.77**

(स्रोत: डीजीसीआईएस)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 553

दिनांक 01 दिसंबर,2021 को उत्तर दिए जाने के लिए

निर्यात संवर्धन परिषद

553. श्री राजेश नारणभाई चुडासमा:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंत्रालय द्वारा सृजित निर्यात संवर्धन परिषदों (ईपीसी) का ब्यौरा और उनकी संख्या कितनी है;

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान उक्त परिषदों द्वारा किस प्रकार का कार्य किया गया है; और

(ग) क्या उनके कार्य-निष्पादन की कभी कोई लेखापरीक्षा हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग): निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसी) भारतीय निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सोसायटी पंजीकरण अधिनियम/कंपनी अधिनियम के तहत स्थापित निर्यातकों के संगठन हैं। विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2015-2020 के परिशिष्ट 2टी में दिए गए अनुसार उत्पादों/ परियोजनाओं/सेवाओं के एक विशेष समूह के प्रचार के लिए परिषदें जिम्मेदार हैं। वाणिज्य विभाग से संबद्ध ऐसे 14 ईपीसी की सूची अनुबंध में दी गई है। निर्यातकों के साथ बातचीत की सुविधा प्रदान करने और परिषदों के निष्पादन का आकलन करने के लिए परिषदों के साथ नियमित संयुक्त बैठकें आयोजित की जाती हैं। परिषदों के खाते अनिवार्य लेखा परीक्षा के अधीन हैं। परिषदों के निष्पादन की समीक्षा रिपोर्ट हर वर्ष वार्षिक रिपोर्ट के साथ संसद में रखी जाती है।

******

लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 553 का अनुबंध

वाणिज्य विभाग से संबद्ध निर्यात संवर्धन परिषदों की सूची

1. बेसिक केमिकल्स, कॉस्मेटिक्स एंड डाईज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (केमेक्सिल), मुंबई
2. भारतीय काजू निर्यात संवर्धन परिषद (सीईपीसीआई), कोल्लम, केरल
3. रासायनिक और संबद्ध उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद (कैपेक्सिल), कोलकाता
4. चमड़ा निर्यात परिषद (सीएलई), चेन्नई
5. ईईपीसी इंडिया, कोलकाता
6. ईओयू और एसईजेड के लिए निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसीईएस), नई दिल्ली
7. जेम एंड ज्वैलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (जीजेईपीसी), मुंबई
8. भारतीय तिलहन और उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद (आईओपीईपीसी), मुंबई
9. फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (फार्मेक्सिल), हैदराबाद
10. प्लास्टिक निर्यात संवर्धन परिषद (प्लेक्सकॉन्सिल), मुंबई
11. परियोजना निर्यात संवर्धन परिषद (पीईपीसी), नई दिल्ली
12. सेवा निर्यात संवर्धन परिषद (एसईपीसी), नई दिल्ली
13. शैलैक और वन उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद (शेफेक्सिल), कोलकाता
14. स्पोर्ट्स गुड्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (एसजीईपीसी), नई दिल्ली

******

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 555

दिनांक 01 दिसंबर,2021 को उत्तर दिए जाने के लिए

निर्यातोन्मुखी उत्पादन क्लस्टर

555. श्री राहुल गांधी:
क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि निर्यात नीति के अंतर्गत वायनाड संसदीय क्षेत्र में निर्यातोन्मुखी उत्पादन क्लस्टर स्थापित करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है एवं इसके कार्यान्वयन की क्या स्थिति है;
(ख) वायनाड संसदीय क्षेत्र में कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे और संभार तंत्र को मजबूत करने के लिए की जा रही पहल का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या स्पाइस पार्कों की स्थापना के लिए निर्यात योजना हेतु व्यापार अवसंरचना के अंतर्गत केरल को कोई सहायता प्रदान की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) उत्पादन समूहों में छोटे और मध्यम किसानों की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या सरकार द्वारा स्वदेशी और जनजातीय उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कोई पहल की जा रही है; और
(च) यदि हां, तो केरल में चलाए जा रहे कार्यक्रमों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): वायनाड जिले को कृषि निर्यात नीति (एईपी) के तहत केला, हल्दी और काली मिर्च जैसे तीन उत्पादों के निर्यात के विकास और संवर्धन के लिए एक क्लस्टर के रूप में पहचाना गया है। क्लस्टर के विकास की निगरानी के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय क्लस्टर सुविधा समिति का गठन किया गया है। हितधारकों के साथ प्रारंभिक दौर की बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। राज्य नोडल एजेंसी, सब्जी और फल संवर्धन परिषद केरलम (वीएफपीसीके) ने केला क्लस्टर जिसमें वायनाड, त्रिशूर और तिरुवनंतपुरम शामिल हैं, में संबंधित हितधारकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया है। मसाला बोर्ड केरल के राज्य कृषि/बागवानी विभागों के साथ समन्वय कर रहा है और उसने विभिन्न फसलों के लिए अच्छी कृषि पद्धतियों से संबंधित कार्य योजना और एक दस्तावेज तैयार करने मे तकनीकी सहायता प्रदान की है।

निर्यात हब के रूप में जिला पहल के तहत मालाबार काली मिर्च, केला, वायनाड जीराकसला चावल, वायनाड गंधकसाला चावल, वायनाड रोबस्टा कॉफी, मसाला उत्पाद, चाय और कॉफी को केरल के वायनाड जिले के लिए निर्यात क्षमता वाले उत्पादों के रूप में पहचाना गया है।

(ख): एपीडा ने वायनाड में सब्जियों और फलों के पैकहाउस की स्थापना के लिए एपीडा इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के तहत सब्जी और फल संवर्धन परिषद केरल (वीएफपीसीके) को 430.92 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है।वायनाड में पैकहाउस वर्ष 2016-17 में चालू हो गया है।
(ग): स्पाइस बोर्ड ने केरल के इडुक्की जिले के पुट्टाडी में एक स्पाइस पार्क की स्थापना की है। तथापि, निर्यात के लिए व्यापार अवसंरचना स्कीम (टीआईईएस) के तहत केरल में स्पाइस पार्कों की स्थापना के लिए कोई सहायता प्रदान नहीं की गई है।

(घ) से (च): कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) ने मई 2021 में कोच्चि में एक क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया है। एपीडा इन समूहों के जिला अधिकारियों और अन्य हितधारकों के साथ मिलकर

काम कर रहा है ताकि किसानों को निर्यात उद्देश्यों के लिए उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए संवेदनशील बनाया जा सके। निम्नलिखित पहल की गई है:

- केरल राज्य में अनुसूचित जाति/जनजाति एफपीओ के लिए संवेदीकरण कार्यक्रम वर्चुअली रूप से 26 जून,2021 को आयोजित किया गया था ।
- क्षमता उत्पादों के निर्यात में मुद्दों की पहचान करने के लिए दिनांक 13 अगस्त 2021 में केरल के एफपीओ के साथ इंटरेक्टिव बैठक ।
- चावल निर्यात के निर्यातकों और किसानों/एफपीओ के साथ इंटरेक्टिव बैठक 8 सितंबर 2021 को आयोजित की गई थी।
- एपीडा द्वारा, कृषि विभाग केरल सरकार, उद्योग और वाणिज्य विभाग, केरल सरकार, केरल कृषि विश्वविद्यालय, नाबार्ड, नेफेड, एफपीओ के लिए एसएफएसी और वीएफपीसीके/सहकारी समितियों/ केरल के किसानों के लिए 26 सितम्बर,2021 को एक वर्चुअल क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
- 12 अक्टूबर 2021 को केरल में जीआई टैग्ड चावल किस्मों के निर्यात उन्मुख उत्पादन पर जोर देने के लिए केरल कृषि विश्वविद्यालय, त्रिशूर के सहयोग से जीआई टैग्ड चावल किस्मों पर एक किसान-वैज्ञानिक इंटरफेस आयोजित किया गया।

- एपीडा की नई वित्तीय सहायता योजनाएं 2021-22 से 2025-26 पर 17 नवंबर 2021 को एर्नाकुलम में और 19 नवंबर 2021 को तिरुवनंतपुरम में एक संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया था।
- प्रगतिशील किसान समूहों की पहचान और एफपीओ/एफपीसी के निर्यात लिंकेज को मजबूत करने के लिए राज्य विभागों, एसएयू, केवीके, नाबार्ड के सहयोग से केला क्लस्टर में संवेदीकरण बैठकें/कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।
- क्लस्टर के तहत गठित एफपीओ ऐसे छोटे और सीमांत किसानों को शामिल करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जो केरल के किसानों में बहुसंख्यक हैं। केले के लिए निर्यात उत्पादन प्रोटोकॉल राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र (एनआरसीबी) द्वारा विकसित किया गया है और निर्यात गुणवत्ता वाले उत्पाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इसे किसानों के बीच प्रचारित किया जा रहा है।

स्पाइस बोर्ड ने वायनाड जिले के कलपेट्टा में फसल कटाई के बाद प्रबंधन और काली मिर्च, हल्दी और अन्य मसालों की गुणवत्ता में सुधार के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए एक फील्ड कार्यालय भी स्थापित किया है। बोर्ड काली मिर्च और हल्दी उत्पादकों को रियायती दर पर काली मिर्च थ्रेशर, हल्दी बॉयलर और पॉलिशर आदि की आपूर्ति जैसे कटाई पश्चात सुधार कार्यक्रम लागू कर रहा है और निर्यात के लिए काली मिर्च और हल्दी की गुणवत्ता में सुधार के लिए हितधारकों को गुणवत्ता सुधार प्रशिक्षण और विस्तार सलाहकार सेवाएं भी प्रदान कर रहा है।

आईसीएआर-राष्ट्रीय केला अनुसंधान केन्द्र, तिरूचिरापल्ली, तमिलनाडु और सब्जी तथा फल संवर्धन परिषद केरलम, कोच्ची, केरल द्वारा संयुक्त उद्यम के तहत, आईसीएआर- राष्ट्रीय केला अनुसंधान केन्द्र ने निर्यात गुणवत्ता वाले नेन्द्रन केले के उत्पादन हेतु अच्छी कृषि पद्धतियों का पालन करते हुए नेन्द्रन की वैज्ञानिक खेती पर त्रिशूर जिले के केले के किसानों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया। नेन्द्रन केलों की खेप यूके और सिंगापुर निर्यात की गई है। एपीडा ने कटहल और पैशन फ्रूट के मूल्यवर्धित उत्पादों के निर्यात की भी सुविधा प्रदान की है।

स्पाइसेस बोर्ड जनजातीय विकास विभाग केरल सरकार के सहयोग से 2020 से 2022 की अवधि के दौरान केरल के वायनाड जिले की अरनामाला जनजातीय बस्ती में छोटी इलायची का एकीकृत विकास परियोजना लागू कर रहा है। क्षेत्र विस्तार, मसाला उपचार उपकरण की स्थापना, गुणवत्ता सुधार प्रशिक्षण कार्यक्रम (क्यूआईटीपी), विस्तार सलाहकार सहायता, एक्सपोजर विज़िट आदि जैसे घटकों के साथ परियोजना का उद्देश्य 11.71 लाख रुपये के वित्तीय परिव्यय से अरनामाला ट्राईबल में 32 आदिवासी परिवारों के क्षमता निर्माण में लाभ पहुंचाना है।

*****

भारत सरकार **लोक सभा**
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 564**

दिनांक 01 दिसम्बर, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए

जिलों के विशेष उत्पाद

564 श्रीमती पूनमबेन माडमः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार भारत और विश्वभर में देश के विभिन्न जिलों के विशेष उत्पादों की पहुंच बढ़ाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस हेतु अब तक पहचान किए गए स्थानों और उत्पादों का गुजरात सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा 'वोकल फॉर लोकल' योजना के अंतर्गत कोई अन्य पहल की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (घ) : 'जिलों को निर्यात–हब बनाने की पहल' के तहत देश के सभी जिलों में निर्यात क्षमता वाले उत्पादों और सेवाओं की पहचान की गई है। ऐसे चिन्हित उत्पादों और सेवाओं की सूची राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त इनपुट के आधार पर नियमित रूप से अद्यतन हो रही है। गुजरात के जिलों सहित जिलों में चिन्हित किए गए उत्पादों और सेवाओं की वर्तमान अद्यतन सूची **अनुलग्नक** पर है।

'जिलों को निर्यात–हब बनाने की पहल' के तहत विदेशी बाजारों के लिए ऐसे चिन्हित किए गए उत्पादों और सेवाओं के लिए जिला निर्यात कार्य योजनाएं तैयार की जा रही हैं जिनमें भारत के बाहर संभावित खरीदारों तक पहुंच बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में और अपेक्षित गुणवत्ता के साथ चिन्हित किए गए उत्पादों के उत्पादन/विनिर्माण में स्थानीय निर्यातकों/विनिर्माताओं की सहायता करने के लिए अपेक्षित विशिष्ट कार्य शामिल हैं। इन योजनाओं में ऐसे पहचाने गए उत्पादों/सेवाओं के निर्यात के लिए चुनौतियों की पहचान करना और उनका समाधान करना, आपूर्ति श्रृंखला में सुधार, बाजार तक पहुंच और निर्यात बढ़ाने के लिए सहयोग करना शामिल है।

अनुलग्नक

1 दिसम्बर, 2021 को दिए जाने वाले उत्तर हेतु लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 564 के उत्तर में संदर्भित वितरण

चिन्हित उत्पादों और सेवाओं की जीला–वार सूची

क्रमांक	राज्य	जिलों के नाम	निर्यात क्षमता के साथ पहचाने गए उत्पाद/सेवाएं
1.	आंध्र प्रदेश	अनंतपुर	रेडीमेड गारमेंट्स (जीन्स, टी–शर्ट, ट्राउजर आदि), एमएस स्टील ट्यूब (एमएस पाइप, जीआई पाइप आदि), ऑटोमोबाइल (कार, इंजन आदि), केला, अनार, आंध्र प्रदेश चमड़ा कठपुतली, धर्मवरम हैंडलूम पट्टू साड़ी और पावदास
2.		चित्तूर	पॉलिश ग्रेनाइट और ग्रेनाइट स्मारक, कपड़ा और वस्त्र, आम और फलों का गूदा, आम, श्रीकालहस्ती कलमकारी, तिरुपति लड्डू
3.		पूर्वी गोदावरी	कॉयर और कॉयर उत्पाद, चावल, चीनी, जमे हुए श्रिम्प, कॉयर फाइबर और कॉयर पीठ, उप्पदा जामदानी साड़ी
4.		गुंटूर	तंबाकू, सूती धागे, मिर्च, हल्दी, कपड़ा, गुंटूर सन्नम मिर्च
5.		कृष्णा	सूती धागे, चादरें, ग्रे कपड़ा, बल्क ड्रग्स और इंटरमीडिएट, प्रसंस्कृत झींगा, मोटिव पॉवर बैटरी, हर्बल उत्पाद, मछली और मछली उत्पाद, आम, कोंडापल्ली खिलौने
6.		कुरनूल	हाइड्रोजनीकृत अरंडी का तेल, हाइड्रोक्सी स्टेरिक एसिड, कास्टिक सोडा फ्लेक्स, पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड फ्लेक्स, कैल्शियम हाइपो क्लोराइड, अनार, आम
7.		प्रकाशम	ग्रेनाइट (ब्लॉक गैलेक्सी, स्टील ग्रे, ब्लॉक पर्ल), एक्वा उत्पाद, काजू उत्पाद
8.		एसपीएसआर नेल्लोर	उदयगिरी लकड़ी की कटलरी, क्वाट्र्ज, फेल्डस्पार, प्रसंस्कृत झींगा/श्रिम्प, चावल
9.		श्रीकाकुलम	काजू गिरी, ग्रेनाइट, फार्मा उत्पाद
10.		विजयनगरम	बल्क ड्रग्स और इन्टर्मीडीएरीज, काजू प्रसंस्करण, सक्रिय फार्मास्युटिकल सामग्री, क्वाट्र्ज ग्रिट्स और सिलिका पाउडर, बॉबबिली वीना
11.		विशाखापत्तनम	नारियल आधारित उत्पाद, मिश्र धातु के पहिये, काजू, काली मिर्च, समुद्री खाद्य पदार्थ, हल्दी, शहद, हस्तशिल्प जैसे एटिकोपक्का खिलौने, खनिज और खनिज आधारित उत्पाद (एपेटाइट, क्रिस्टलीय चूना पत्थर, क्वाट्र्ज, वर्मीक्यूलाइट, सफेद मिट्टी, रूबी, मीका, कैल्साइट, लाल और पीला गेरू), सिल्वर ओक की लकड़ी, अराकू कॉफी, जिंजर पाउडर, एटिकोप्पाका खिलौने
12.		पश्चिम गोदावरी	कपास यार्न, प्रसंस्कृत झींगे/श्रिम्प, एक्वा फ़ीड, मानव बाल, एस्पिरिन, सिरेमिक, सेनेटरीवेयर उत्पाद, काजू, कॉयर पिथ, कॉफी, क्रोशिया लेस फीता उत्पाद
13.		वाईएसआर कडपा (कुडप्पाह)	बेरियम क्लोराइड, पोर्टलैंड सीमेंट, केला

14.	असम	बक्सा	चावल, चाय, बांस, केला, मछली
15.		बारपेटा	पारंपरिक असमिया आभूषण, नारियल, केला, गोस्ट चिली मिर्च, चावल
16.		बिश्वनाथ	मछली, चावल, मिर्च, केला, बांस
17.		बोंगईगांव	कला–शिल्प हथकरघा, केला, तेल, अदरक, मिर्च
18.		कछार	बांस, मिर्च, चावल, केला, चाय
19.		चराइदेव	अनानास, अदरक, केला, चावल, चाय
20.		चिरांग	बांस, चाय, केला, मिर्च, चावल
21.		दरांग	चाय, मछली, चावल, केला, मिर्च
22.		धेमाजी	मिर्च, चाय, बांस, मछली, केला
23.		धुबरी	बांस, चाय, केला, मछली, चावल, टेराकोटा खिलौने
24.		डिब्रूगढ़	चावल, चाय, बांस, केला, मछली
25.		दीमा हसाओ	अदरक, अनानास, संतरा, चाय, चावल
26.		गोलपाड़ा	केला, स्ट्रॉबेरी उत्पाद, चाय, मछली, चावल,
27.		गोलाघाट	अदरक, अनानस, चावल, केला, बांस
28.		हैलाकांडी	रेशम उत्पादन, बेंत, चावल, मिर्च, केला
29.		होजै	चावल, चाय, बांस, मछली, अदरक
30.		जोरहाट	केला, चावल, मिर्च, मछली, चाय
31.		कामरूप (एम)	पारंपरिक असमिया आभूषण, घरेलू साज सामान, एरी, मुगा और असम रेशम से बने फैशनेबल वस्त्र आइटम, अगरबत्ती, सीमेंट, केला
32.		कामरूप (आर)	प्लास्टिक मोल्डेड फर्नीचर, आयुर्वेदिक दवाएं और फार्मास्यूटिकल्स, मच्छर प्रतिरोधी, स्टील फर्नीचर, मिर्च
33.		कार्बी आंगलोंग	असम कार्बी आंगलोंग अदरक, अनानस, हल्दी, राजा मिर्च (भूतजोलोकिया), सेब
34.		करीमगंज	मिर्च, मछली, चावल, केला, बांस
35.		कोकराझार	मूगा रेशम, बांस, चावल, चाय, अदरक, मिर्च
36.		लखीमपुर	वन्यजीव, केला, चावल, मिर्च, अदरक
37.		माजुली	कृषि, हथकरघा, मछली, चावल, केला
38.		मोरीगांव	मक्का/मक्का का उत्पाद, एरी/उत्पाद एरी रेशम, पैट मुगा रेशम, जल जलकुंभी उत्पाद, केला
39.		नगांव	जोहा चावल, मसालाः स्टोन फ्लावर, कैसिया तोरा, काली इलायची, अन्य मसालेः तेज पत्ता, काली मिर्च के बीज, दालचीनी की छड़ें, गोस्ट चिली (भूत जोलोकिया), वन्यजीव
40.		नलबाड़ी	मछली, चाय, बांस, अदरक, अनानास
41.		शिवसागर	बांस, चावल, केला, अदरक, मिर्च
42.		सोनितपुर	तेजपुर लीची, बांस, चाय, केला, मिर्च, चावल
43.		दक्षिण सलमारा मनकाचार	बांस, चाय, केला, मिर्च, अदरक
44.		तिनसुकिया	चाय, नींबू, गोस्ट चिली (भूत जोलोकिया), वन्यजीव, केला
45.		उदलगुड़ी	वन्यजीव, पर्यटन, केला, मिर्च, अनानास
46.		पश्चिम कार्बी आंगलोंग	सेब, असम कार्बी आंगलोंग, अदरक, चाय, पारंपरिक आभूषण, बांस
47.	**अरुणाचल प्रदेश**	अंजाव	कीवी, सेब, अनानास, चावल, बांस
48.		चांगलांग	कीवी, सेब मेरे–वूल, मिर्च, अदरक

49.		दिबांग घाटी	सेब, कीवी, चाय, अदरक, बोल्डर
50.		पूर्वी कामेंग	अदरक, अनानस, चूना पत्थर, सीमेंट, मिर्च
51.		पूर्वी सियांग	नींबू, हल्दी, पत्थर, पारंपरिक आभूषण, सेब
52.		कमले	कीवी, हल्दी, चावल, अदरक, मिर्च
53.		क्रा दादी	कीवी, सेब, चाय, चावल, केला
54.		कुरुंग कुमे	कीवी, ऑर्किड, बांस, अदरक, सेब
55.		लेपा रादा	सेब, कीवी, अनानास, चावल, मिर्च
56.		लोहित	कीवी, केला, अनानास, बोल्डर, अदरक
57.		लॉन्गडिंग	कीवी, सेब, मिर्च, अनानास, केला
58.		निचली दिबांग घाटी	कीवी, केला, सेब, बांस, अदरक
59.		निचला सियांग	सेब, अनानस, बोल्डर, चूना पत्थर, सीमेंट
60.		निचला सुबनसिरी	चावल, बांस, मिर्च, केला, मछली
61.		नामसाई	अनानास, अदरक, बांस, सेब, कीवी
62.		पक्के केसांग	एन्थ्यूरियम, बांस, बोल्डर, चाय, मिर्च, चावल, अदरक, सेब
63.		पापुम पारे	सेब, कीवी, अनानास, अदरक, चावल
64.		शी योमी	सेब, मिर्च, केला, अदरक, अनानास
65.		सियांग	सेब, ऑर्किड, अनानास, चावल, मछली
66.		तिरप	कीवी, चाय, चूना पत्थर, सीमेंट, मिर्च
67.		तवांग	सेब, अदरक, केला, मिर्च, चावल
68.		ऊपरी सुबनसिरी	पारंपरिक आभूषण, बांस, अनानास, अदरक, बोल्डर
69.		ऊपरी सियांग	सेब, चावल, मछली, चाय, अदरक
70.		पश्चिम कामेंग	ऑर्किड, अनानस, केला, मिर्च, चाय
71.		पश्चिम सियांग	बांस, एन्थोरियम, मिर्च, सेब, कीवी
72.	**बिहार**	अररिया	जूट, मखाना
73.		अरवल	बेकरी उत्पाद
74.		औरंगाबाद	चावल
75.		बांका	रेशम
76.		बेगूसराय	आम, लीची, मक्का, सोयाबीन, दुग्ध उत्पाद
77.		भागलपुर	भागलपुर सिल्क, भागलपुरी जरदालू, चावल (कटरानी), मंजूषा पेंटिंग
78.		भोजपुर	चावल
79.		बक्सर	चावल
80.		दरभंगा	मखाना, मधुबनी पेंटिंग
81.		गया	पर्यटन
82.		गोपालगंज	गन्ना, चीनी, गुड़, मशरूम, पर्यटन
83.		जमुई	गारमेंट्स
84.		जहानाबाद	फुटवेअर
85.		कैमूर (भबुआ)	गोविंद भोग चावल, सीमेंट, चावल, चावल की भूसी का तेल
86.		कटिहार	जूट, मखाना, चावल
87.		खगरिया	जूट, मखाना, मक्का, दुग्ध उत्पाद, आम, मछली, केला
88.		किशनगंज	जूट
89.		लखीसराय	चावल, रेडीमेड गारमेंट्स
90.		मधेपुरा	मखाना, मक्का, धान
91.		मधुबनी	मधुबनी चित्रकला
92.		मुंगेर (मोंघयर)	तंबाकू उत्पाद, मेंथा, शहद

93.		मुजफ्फरपुर	बिहार की शाही लीची, लाहठी
94.		नालंदा	पर्यटन
95.		नवादा	चीनी
96.		वेस्ट (पश्चिम) चंपारण	लकड़ी के फर्नीचर, रेडीमेड गारमेंट्स
97.		पटना	फार्मा, खाद्य प्रसंस्करण
98.		पूर्वी चंपारण (मोतीहारी)	चावल (कटरानी और सोनाचूर), सीप बुटन, मछली, चीनी, मोती की खेती
99.		पूर्णिया	जूट उत्पाद
100.		रोहतास	सीमेंट, पर्यटन
101.		सहरसा	आम, लीची, मक्का
102.		समस्तीपुर	चीनी, जूट, हल्दी पाउडर, बांस की हस्तशिल्प वस्तुएं
103.		सारण	आम
104.		शेखपुरा	प्याज, दाल
105.		सोहर	चावल
106.		सीतामढ़ी	पर्यटन
107.		सिवान	कृषि आधारित उत्पाद, मेंथा और औषधीय पौधे
108.		सुपौल	जूट, कृषि आधारित उत्पाद, मखाना
109.		वैशाली	कोल्ड ड्रिंक, पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर, बिस्किट और बेकरी
110.	**छत्तीसगढ़**	बालोद	चावल, ज्वार, मक्का, बाजरा, आम, फूलगोभी, पिजन पीज।
111.		बलौदा बाजार	चावल, मक्का, कबूतर मटर, लैथिलस।
112.		बलरामपुर	चावल, ज्वार, मक्का, आलू।
113.		बस्तर	बस्तर लौह शिल्प, चावल, ज्वार, मक्का, आलू।
114.		बेमेतरा	चावल, ज्वार, मक्का, पिजन पीज, सोयाबीन, आम।
115.		बीजापुर	चावल, ज्वार, मक्का, पिजन पीज, सोयाबीन, आम।
116.		बिलासपुर	मक्का, दालें, चावल, गेहूं, तिल।
117.		दंतेवाड़ा (दक्षिण बस्तर)	चावल, मक्का, फिंगर बाजरा, नाइजर।
118.		धमतरी	मूंग, काला चना, मूंगफली, तिल।
119.		दुर्ग	चावल, ज्वार, पिजन पीज, काला चना, सोयाबीन।
120.		गरियाबंद	चावल, पिजन पीज, सरसों – सफेद सरसो, मूंगफली।
121.		गोरेला पेन्ड्रा मड़वाही	चावल, पिजन पीज, सरसों – सफेद सरसो, मूंगफली।
122.		जांजगीर–चंपा	चावल, सफेद सरसो, आम, फूलगोभी।
123.		जशपुर	आलू, गेहूं, जौ, तेल की फसल।
124.		कबीरधाम	चावल, आम, केला, फूलगोभी, पत्ता गोभी।
125.		कांकेर	चावल, गेहूं, पिजन पीज, हरा चना।
126.		कोंडागांव	चावल, आम, फूलगोभी, पत्ता गोभी, बैगन।
127.		कोरबा	मक्का, दालें (सभी प्रकार), चावल, सोयाबीन।
128.		कोरिया	मक्का, दालें (सभी प्रकार), चावल, सोयाबीन।
129.		महासमुंद	मूंग, उलिड, मूंगफली, तिल, मक्का।
130.		मुंगेलिक	चावल, पिजन पीज, हरा चना, काला चना, मक्का।
131.		नारायणपुर	चावल, मटर के दाने, काले चने, आम।
132.		रायगढ़	चावल, अरहर मटर, चना, चना, मूंगफली।
133.		रायपुर	चावल, मक्का, सोयाबीन, आम।
134.		राजनंदगांव	चावल, मक्का, सोयाबीन, आम।

135.		सुकमा	चावल, पिजन पीज, ज्वार, मक्का, बाजरा।
136.		सुरजपुर	चावल, ज्वार, मक्का, आलू।
137.		सरगुजा	चावल, ज्वार, मक्का, आलू।
138.	**गोवा**	उत्तरी गोवा	काजू, फार्मास्यूटिकल्स, पर्यटन और मत्स्य पालन, खोला मिर्च, फेनी
139.		दक्षिण गोवा	फार्मास्यूटिकल्स, पर्यटन और मत्स्य पालन, खोला मिर्च, फेनी
140.	**गुजरात**	अहमदाबाद	फार्मा, कपड़ा, रसायन, इंजीनियरिंग उत्पाद
141.		अमरेली	मूंगफली
142.		आनंद	डेयरी अमूल, अगेट्स ऑफ कैम्बे, इंजीनियरिंग, कृषि
143.		अरावली	खनिज, कृषि–प्रसंस्करण, कांच और टाइलें, महीन ईंटें, कपड़ा
144.		बनासकांठा (पालनपुर)	कृषि उत्पाद आलू, डेयरी, उत्पाद, डेरिवेटिव अरंडी
145.		भरूच	रसायन, केला
146.		भावनगर	इन्वेस्ट्मेन्ट कास्टिंग, प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद (निर्जलित सब्जियां और मूंगफली का मक्खन)
147.		बोटाड	मूंगफली
148.		छोटा उदयपुर	सांखेड़ा फर्नीचर, फर्नीचर, वन उत्पाद
149.		डैंग (अहवा)	रासायनिक और कागज, आम, समुद्री उत्पाद
150.		देवभूमि द्वारका	समुद्री और मत्स्य पालन
151.		दाहोद	कृषि
152.		गांधीनगर	इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, खाद्य प्रसंस्करण, सॉफ्टवेयर, वित्तीय सेवाएं, रसायन
153.		गिर सोमनाथ	समुद्री और मत्स्य उद्योग
154.		जामनगर	जामनगरी बंधनी, पीतल की वस्तुएं
155.		साबरकांठा (हिम्मतनगर)	सिरेमिक और टाइलें, आलू
156.		जूनागढ़	आम
157.		खेड़ा (नाडियाड)	कृषि, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ
158.		कच्छ	आम, हस्तशिल्प कच्छ कढ़ाई और शॉल, समुद्री उत्पाद, अंरडी
159.		मेहसाणा	डेयरी, कृषि, अभियांत्रिकी, जीरा, अरंडी
160.		महिसागर	कृषि
161.		मोरबी	सिरेमिक आइटम
162.		नर्मदा (राजपिप्ला)	वन उत्पाद, पर्यटन, केला
163.		नवसारी	चिकित्सा उपकरण, आम, समुद्री उत्पाद
164.		पंचमहल (गोधरा)	कृषि, प्लास्टिक
165.		पाटन	कृषि, उत्पाद, पाटन, पटोला, अरंडी
166.		पोरबंदर	समुद्री और मत्स्य उद्योग
167.		राजकोट	इंजीनियरिंग सामान, राजकोट पटोला
168.		सूरत	कपड़ा, केला, सूरत जरी शिल्प, अनार
169.		सुरेंद्रनगर	तंगलिया शॉल, कताई उद्योग
170.		तापी	कृषि उत्पाद (चावल, मूंगफली, फल, भिंडी)
171.		वडोदरा	फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग
172.		वलसाड	रासायनिक और कागज, आम, समुद्री उत्पाद
173.	**हरियाणा**	अंबाला	चावल और वैज्ञानिक उपकरण, कृषि

174.		भिवानी	कृषि
175.		चरखी दादरी	कृषि
176.		फरीदाबाद	ऑटो कंपोनेंट्स, लाइट और इंजीनियरिंग सामान
177.		फतेहाबाद	कृषि
178.		गुरूग्राम (गुडगाँव)	होम फर्निशिंग और इंजीनियरिंग सामान
179.		हिसार	फ्लैट स्टील उत्पाद (इंजीनियरिंग क्षेत्र)
180.		झज्जर	फुटवियर क्लस्टर
181.		जींद	कृषि
182.		कैथल	कृषि
183.		करनाल	बागवानी और चावल
184.		कुरुक्षेत्र	कृषि / पर्यटन
185.		महेंद्रगढ़	कृषि
186.		नूह	कृषि
187.		पलवल	कृषि / उद्योग
188.		पंचकुला	कृषि
189.		पानीपत	हथकरघा, कालीन, कपड़ा
190.		रेवाड़ी	उद्योग हब
191.		रोहतक	इंजीनियरिंग आइटम
192.		सिरसा	कृषि
193.		सोनीपत	इंडस्ट्रीज
194.		यमुनानगर	प्लाईवुड, रसोई के बर्तन
195.	**हिमाचल प्रदेश**	बिलासपुर	मसाले, पर्यटन
196.		चंबा	पर्यटन, हस्तशिल्प, चंबा रुमाल
197.		हमीरपुर	पर्यटन, कृषि उत्पाद
198.		कांगड़ा	अचार, जैम स्क्वैश, कांगड़ा चाय, कांगड़ा पेंटिंग, पर्यटन
199.		किन्नौर	हिमाचली चुल्ली तेल (खुबानी का तेल), पर्यटन, बागवानी, किन्नौरी शॉल
200.		लाहौल और स्पीति	पर्यटन, लकड़ी पर नक्काशी
201.		कुल्लू	पर्यटन, बागवानी, डेयरी उत्पाद, कुल्लू शॉल
202.		मंडी	मसाले, पर्यटन, बागवानी, फूलों की खेती, हस्तशिल्प
203.		शिमला	पर्यटन, हिमाचली चुल्ली तेल
204.		सिरमौर (सिरम्योर)	बागवानी
205.		सोलन	मशरूम, पर्यटन, फार्मास्यूटिकल्स, कपड़ा धागा
206.		ऊना	अचार, जाम स्केश, पर्यटन, अभियांत्री की वस्तुएं, प्रसंस्कृत वस्तुएं
207.	**झारखंड**	बोकारो	इस्पात उत्पाद
208.		छत्र	सब्जियां
209.		देवगढ़	टूरिज्म लाख चूड़ियाँ, चावल
210.		धनबाद	कोल, आग रोक उत्पाद
211.		दुमका	बांस शिल्प
212.		पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर)	ऑटो घटक
213.		जामताड़ा	बांस शिल्प, काजू
214.		गढ़वा	कालीन
215.		गिरिडीह	कोयला, टीएमटी बार्स, रेफ्रेक्ट्रीज उत्पाद
216.		गोड्डा	लेमन ग्रास, सिल्क

217.		गुमला	लाख, अचार
218.		हजारीबाग	पीतल के बर्तन, सक्रिय बॉक्साइट, कांस्य के बर्तन
219.		खुंटी	लाख, आग रोक आइटम
220.		कोडरमा	मीका, सब्जियां
221.		लातेहारे	लेस, शहद
222.		लोहरदगा	शहद, सब्जियां, रागी
223.		पाकुर	जूट, स्टोन चिप्स
224.		प्लामू	वन्य उत्पाद, दलहन अरहर
225.		रामगढ़	कोयला और खनिज आधारित उद्योग, रेफ्रेक्ट्रीज, टीएमटी बार्स, शकरकंद
226.		रांची	भारी मशीनरी और उपकरण, लाख, खनिज, चीनी मिट्टी की चीज़ें, बीपीओ, चावल, आग रोक आइटम, स्नेहक, परिधान
227.		साहिबगंज	जूट, स्टोन चिप्स
228.		सरायकेला खरसावां	रेलवे पॉइंट और क्रॉसिंग, हेवी मोटर्स के गियर साफ्ट पिन, लैंसिंग ट्यूब, एल्युमिनियम अलॉय कंपोनेंट, बिलेट्स और एमएसवायर, माइक्रो ड्रिल्स और रॉयटर्स, फोर्ज्ड ऑटो, रेलवे कंपोनेंट, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स, इन्टर्नली कम्बशन पिप्सटन इंजन, नायलॉन ट्यूब और पाइप, आयरन एंड स्टील कास्टिंग, एमवीपार्ट्स, क्रॉस ड्रैगलिंक्स, जंग रोधक पेंट्स, कोल टार्स, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस।
229.		सिमडेगा	लाख पपीता, कटहल
230.		पश्चिमी सिंहभूमि (चाईबासा)	इंजिनियरिंग गुड्स सब्जियां
231.	**कर्नाटक**	बागलकोट	अनार, अंगूर (थॉम्पसन सीडलेस, रेड ग्लोब, शरद सीडलेस), सपोटा और हल्दी, किशमिश, जैविक गुड़, चीनी, मक्का, पर्यटन (बादामी, ऐहोल, पट्टाडकल, कूडलसंगम)
232.		बेलगावी (बेलगाम)	गेहूँ, जैविक गुड़, चीनी, किशमिश, लोहे की ढलाई, औद्योगिक कास्टिंग, हाइड्रोलिक दबाव उपकरण, पंप और वाल्व सहायक उपकरण, इंजीनियरिंग घटक, एयरोस्पेस घटक), कोल्हापुरी चप्पल, हल्दी, दूध आधारित मूल्य वर्धित उत्पाद अनार
233.		बेल्लारी (बेल्लारे)	ग्रेनाइट, जींस पंत, परिधान जूट उत्पाद, इंजीनियरिंग उत्पाद, विद्युत मशीनरी और परिवहन उपकरण, इंजीनियरिंग / लौह अयस्क आधारित मूल्यवर्धित उत्पाद, अनार, मिर्च
234.		बेंगलुरु ग्रामीण,	मशीन टूल्स, बैंगलोर ब्लू ग्रेप्स, बैंगलोर रोज़ प्याज, वाइन, अमरूद का गूदा, सब्जियां और फूल, रेडीमेड वस्त्र, इंजीनियरिंग / एयरोस्पेस / ऑटोमोबाइल, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, रेशम, पौधे / जैव अर्क, फार्मास्युटिकल उत्पाद
235.		बेंगलुरु अर्बन	प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, सब्जियां और फूल, इंजीनियरिंग मशीन टूल्स / ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स / एयरोस्पेस कंपोनेंट्स / प्रिसिजन कंपोनेंट्स, अर्थ मूविंग मशीनरी, रक्षा विनिर्माण, विद्युत मशीनरी आदि, ईएसडीएम उत्पाद। फार्मा और बायोटेक, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, प्लांट एक्सट्रैक्ट्स, एफआईबीसी बैग्स और पैकेजिंग उत्पाद, रेडीमेड गारमेंट्स / टेक्सटाइल्स। सेवाएं–अस्पताल / स्वास्थ्य / कल्याण / शैक्षिक, इंजीनियरिंग

			सेवाएं, वैश्विक अनुसंधान एवं विकास, विनिर्माण के लिए हब/वैश्विक विकास केंद्र, आईटी/आईटीईएस।
236.		बीदर	बिदरीवेयर, बल्क ड्रग्स, हरा चना और सोयाबीन उत्पाद, हैंड पेपर, क्राफ्ट पेपर, अदरक, पपीता, आम (दशेरी और केसर) कमलापुर केला, अदरक, पर्यटन
237.		चामराजनगर	हल्दी, केला, अदरक, शहद, आम (अल्फांसो), रेशमी वस्त्र, काला ग्रेनाइट
238.		चिक्कबल्लपुर	बैंगलोर रोज़ प्याज, बैंगलोर ब्लू अंगूर, आम (अल्फांसो, मल्लिका, रसपुरी और बेनिशान), खीरा और टमाटर सहित सब्जियां।
239.		चिक्कमंगलुरु	चिकमगलूर अरेबिका कॉफी, स्पेशलिटी कॉफी (वैल्यू एडेड आइटम) (अरेबिका और रोबस्टा), काली मिर्च (पन्नियूर), गेरकिंस, शहद, ककड़ी के बीज, पर्यटन
240.		चित्रदुर्ग	एलईडी लाइट्स, अनार, मूंगफली, छोटे बाजरा और प्याज, मोलाकलमुर सिल्क साड़ी, मक्का ग्रिट, पर्यटन
241.		दक्षिण कन्नड़	काजू (उल्लल 1,2,3) और मसाले, समुद्री उत्पाद, जैक फ्रूट, प्लास्टिक घटक, लाइट इंजीनियरिंग (ऑटो घटक, इलेक्ट्रिकल, प्लास्टिक मशीनरी आदि), पर्यटन, मूल्य वर्धित प्लास्टिक आइटम (बुने हुए बोरे/एफआईबीसी), ऑप्टिकल आइटम, मोल्डेड और एक्स्ट्रैक्टेड आइटम, पैकेजिंग आइटम, प्लास्टिक घटक।
242.		दावनगेरे	चावल, मक्का, सब्जी, माइनर मिलेट (रागी, नवाने) और मूल्य वर्धित उत्पाद, सुपारी मूल्य वर्धित उत्पाद / प्लेट, चीनी, गेंदे के फूल का अर्क, गेरकिन, फाउंड्री उत्पाद, ईंधन ब्रिकेट (मक्का बायोमास आधारित)
243.		धारावाड़	आम (अल्फांसो), भिंडी, हरा चना, काला हरा चना, औद्योगिक वाल्व, ऑटो घटक, खीरा, मैंगो पल्प, धारवाड़ पेड़ा, नवलगुंड कालीन, कर्नाटक कसुती, स्वीट कॉर्न बेबी कॉर्न, फल और सब्जियां, प्रसंस्कृत फल और सब्जी उत्पाद।
244.		गदग	प्याज, मिर्च, मक्का, मूंगफली के बीज, मूंगफली, दालें, हरा चना,
245.		हसन	चावल, कॉफी, स्पेशलिटी कॉफी (वैल्यू एडेड आइटम), मसाले, आलू और आलू के मूल्य वर्धित उत्पाद, अदरक, कॉयर, सक्रिय कार्बन, काली मिर्च, ककड़ी के बीज, पर्यटन
246.		हावेरी	ब्यादगी मिर्च, मिर्च, आम (अलफांसो) मक्का मूल्य वर्धित उत्पाद
247.		कलबुर्गिक (गुलबर्गा)	सौर पैनल, इनवर्टर, कैपेसिटर आदि, तूर दाल और दालें, कमलापुर लाल केला, फुलर्स अर्थ (बेंटोनाइट क्ले), कपास और मूल्य वर्धित उत्पाद।
248.		कोडागू	कॉफी, स्पेशलिटी कॉफी (वैल्यू एडेड आइटम), कूर्ग मंदारिन, मसाले, एन्थ्यूरियम और आर्किड, इलायची, काली मिर्च, शहद, पर्यटन
249.		कोलार	आम (थोथापुरी, मल्लिका, बनशान और अल्फांसो), टमाटर, रंगदार शिमला मिर्च, बाजरा रागी, गुलाब प्याज, सब्जियां, आम का गूदा, प्रसंस्कृत दालें/मसाले/अनाज, इंजीनियरिंग (दुरुस्ती संघटक), एयरोस्पेस और रक्षा घटक, ऑटोमोबाइल, फोन, परिधान।

250.		कोप्पल	प्लास्टिक और इलेक्ट्रॉनिक खिलौने, चावल, आम (केसर और अल्फांसो), अमरूद गुलाबी, पपीता, अनार, किन्हल खिलौने
251.		मंड्या	केला, जैविक/रासायनिक मुक्त गुड़, चीनी, रागी और छोटे बाजरा, रेडीमेड वस्त्र, सब्जियां और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, शहद, कोडियाला सिल्क साड़ी, कटहल, पपीता, आम, नारियल
252.		मैसोर (मैसूर)	इंटीग्रेटेड सर्किट बोर्ड, अनार, मैसूर सिल्क, मैसूर अगरबत्ती, मैसूर रोज़वुड इनले, मैसूर सैंडलवुड ऑयल, मैसूर सैंडल सोप, मैसूर ट्रेडिशनल पेंटिंग्स, मैसूर सुपारी, मैसूर मल्लिगे, मैसूर, केला, स्वीट कॉर्न और मसालों के गंजीफा कार्ड, सुपारी, रेशम, रेशम के वस्त्र, इंजीनियरिंग उत्पाद (मशीन उपकरण, ऑटो घटक, चिकित्सा उपकरण, पीसीबी, ईएसडीएम क्लस्टर उत्पाद), नंजनगुड केला, मैसूरपैक (मीठा), ईरानगरेब्रिंजल, हस्तशिल्प, चंदन साबुन, अगरबत्ती, चमेली/आवश्यक तेल और इत्र, प्रसंस्कृत भोजन , गुड़, पर्यटन।
253.		रायचुर	चावल, अनार, अंजीर, कपास, फार्मा उत्पाद, मिर्च
254.		रामनगर	चन्नापट्टन खिलौने और गुड़िया, कॉयर उत्पाद, लकड़ी आधारित शिल्प उत्पाद और लकड़ी के रसोई के सामान, ऑटो घटक, ऑटोमोबाइल, फर्नीचर, एफएमसीजी, ग्रेनाइट, हर्बल आयुर्वेदिक उत्पाद, आम (अल्फांसो), रागी, बेबीकॉर्न, बाजरा, सब्जी और फूलों के बीज, लाख के खिलौने
255.		शिवमोगा (शिमोगा)	अदरक, केला, सुपारी मूल्य वर्धित उत्पाद, मसाले (काली मिर्च और इलायची), अनानस, सुपारी का पत्ता कप/प्लेट, ऑटो घटक/कास्टिंग, रेडीमेड वस्त्र, मक्का और मूल्य वर्धित उत्पाद, हस्तशिल्प वस्तु
256.		तुमकुरु (तुमकुर)	नारियल, अनार, इमली और छोटे बाजरा, मशीन टूल्स, ऑटोमोबाइल घटक, कॉयर बोर्ड, कॉयर पिथ, जियोटेक्सटाइल्स, टफेड कॉयर, रबरयुक्त कॉयर, सक्रिय कार्बन, खीरा, इमली के उत्पाद, आम और पपीते का गूदा, नारियल का सूखा पाउडर, सुपारी के पत्ते के उत्पाद
257.		उडुपी	समुद्री उत्पाद, उडुपी मल्लिगे, उडुपी मट्टूगुल्ला बैंगन, उडुपी साड़ी, काजू, चावल (कग्गा), उडुपी चमेली
258.		उत्तर कन्नड़ (कारवार)	कोनाना कट्टे, तरल गुड़ (गन्ना), काजू और समुद्री उत्पाद, मसाले, कटहल, हल्दी, सुपारी और इसके मूल्य वर्धित उत्पाद। दालें, सुपारी और इसके मूल्य वधित उत्पाद
259.		विजयपुरा (बीजापुर)	अनार, कागजी चूना और अंगूर, किशमिश, पर्यटन।
260.		यादगीर	बाजरा, चावल, अरहर, कपास
261.	**केरल**	अलपुझा	कॉयर उत्पाद
262.		एर्नाकुलम	वज़हकुलम अनानस, चेन्दमंगलम धोती और सेट मुंडू, पोक्कली चावल, कैपाद चावल, समुद्री उत्पाद, मसाला उत्पाद, रासायनिक उत्पाद, इंजीनियरिंग उत्पाद
263.		इडुक्की	मालाबार काली मिर्च, मरयूर गुड़, मसाला उत्पाद, पर्यटन
264.		कन्नूर	कन्नानोर होम फर्निशिंग, पय्यानुर पवित्रा रिंग, कैपद चावल, कपड़ा, हथकरघा

265.		कासरगोड	खाद्य उत्पाद
266.		कोल्लम	काजू उत्पाद
267.		कोट्टायम	रबर उत्पाद
268.		कोझिकोड	मानसूनी मालाबार अरेबिका और रोबस्टा कॉफी, मालाबार काली मिर्च, फुटवियर उत्पाद
269.		मलप्पुरम	नीलांबुर सागौन, तिरूर सुपारी (तिरुर) वेट्टीला), खाद्य उत्पाद
270.		पलक्कड़	पलक्कड़न मटका चावल, नवारा चावल, पलक्कड़ का मदालम, इंजीनियरिंग उत्पाद, खाद्य उत्पाद
271.		पथानामथिट्टा	पर्यटन सेवाएं
272.		तिरुवनंतपुरम	केला, चिकित्सा उपकरण
273.		त्रिशूर	केला, मशीनरी, हस्तशिल्प
274.		वायनाड	मालाबार काली मिर्च, केला, वायनाड जीराकसला चावल, वायनाड गंधकशाला चावल, वायनाड रोबस्टा कॉफी, मसाला उत्पाद, चाय, कॉफी
275.	**मध्य प्रदेश**	अगर मालवा	संतरा
276.		अलीराजपुर	हस्तनिर्मित आभूषण, मक्का, नूरजहां आम
277.		अनूपपुर	तिल के बीज, कास्टिक सोडा, स्ट्रॉबेरी
278.		अशोकनगर	चंदेरी साड़ी, ज्वैलरी बॉक्स
279.		बालाघाट	मैंगनीज, बॉक्साइट,
280.		बड़वानी	कपास, मिर्च, फल, पर्यटन, अदरक, केला
281.		बेतुल	गुड़, इमारती लकड़ी, खाद्य प्रसंस्करण, चावल, कपास
282.		भिंड	सरसों, चॉकलेट, एल ई डी
283.		भोपाल	फार्मा उत्पाद, भारी बिजली के सामान और टर्बाइन।
284.		बुरहानपुर	अनार, केला और केला फाइबर, तिलहन, खाद्य प्रसंस्करण, कपड़ा
285.		छतरपूर	हस्त निर्मित शिल्प
286.		छिंदवाड़ा	संतरा
287.		दमोह	प्याज, लकड़ी का फर्नीचर, दालें
288.		दतिया	कच्चा सूत और सूत, काला चना, गेहूँ
289.		देवास	फार्मा उत्पाद, मशीनरी पुर्जे
290.		धार (पितमपूर)	एफआईबीसी प्लास्टिक उत्पाद, ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल पाट्र्स, अन्य इंजीनियरिंग उत्पाद, वस्त्र, बाग प्रिंट, सीताफल, सोयाबीन
291.		डिंडोरी	लोहे और बांस की हस्तशिल्प, आयुर्वेदिक विनिर्मितियां
292.		गुना	जूट बैग, खनिज या रासायनिक उर्वरक
293.		ग्वालियर	आलू, दरी, रबर के टायर, ट्रांसफार्मर के घटक
294.		हरदा	गेहूं का आटा, सागौन की लकड़ी, मूंग दाल, ताड़ के पत्ते की वस्तुएँ। गेहूं और संबंधित उत्पाद
295.		होशंगाबाद	कपड़े, हस्तशिल्प वस्तुएं
296.		इंदौर	प्याज, आलू, कागज और कागज उत्पाद, फार्मा, परिधान और इंजीनियरिंग, इंदौर के चमड़े के खिलौने,
297.		जबलपुर	रेडीमेड गारमेंट्स और होजरी, हरी मटर और दाल, आईटीईएस, कृषि उत्पाद, संगमरमर उत्पाद, पर्यटन
298.		झाबुआ	मक्के का आय, बाँस से बनी टोकरियाँ, नीम, सफ़ेद मुसली (औषधीय पौधे या पत्ती)

299.		कटनी	ईंटें, कृत्रिम आभूषण
300.		खरगोन	अनार, कपास कच्चा, मिर्च। कॉटन बेल्स, कॉटन यार्न, सबमर्सिबल पंप, छोला, पीपी बैग, नॉनवॉवन बैग। जंबो बैग, खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी
301.		खंडवा	अनार
302.		मंडला	कोडो–कुटाकी, डोलोमाइट उत्पाद, पर्यटन, हस्तशिल्प, जैविक उत्पाद, पारिस्थितिक पर्यटन
303.		मन्दसौर	प्याज, लहसुन और अन्य सब्जियां (ताजी और ठंडी)
304.		मुरैना	लकड़ी आधारित, धातु की मूर्तियां, खाद्य तेल
305.		नरसिंहपुर	सोया तेल, आम, "पिटल" हस्तशिल्प, गुड़ (गुड़)
306.		नीमच	धनिया के बीज, लहसुन, अश्वगंधा, चमड़े की बेल्ट, गिलोय
307.		निवारी	ग्लास फाइबर, सोया बीन तेल और उसके अंश
308.		पन्ना	शिल्प
309.		रायसेन	चावल और कृषि उत्पाद।
310.		राजगढ़	डोलोमाइट, सिसल क्राफ्ट, स्टील शीट और गैर–मिश्र धातु इस्पात;
311.		रतलाम	काबुली चना, मूंगफली, कपास, सोयाबीन और उसके उत्पाद, स्ट्रॉबेरी आदि और संबंधित कृषि उत्पाद, रतलामी सेव, सोना, लहसुन
312.		रेवा	ऑप्टिकल फाइबर केबल, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर टर्बाइन, सीमेंट
313.		सागर	प्याज, टायर, पेट्रोरसायन, पर्यावरण पर्यटन
314.		सतना	फुटवेअर, सीमेंट, विद्युत संधारित्र, प्याज
315.		सीहोर	गेहूं का आटा, कृषि उपकरण, पनीर, कपड़ा, रेडीमेड वस्त्र
316.		सिवनी	काला पत्थर, चावल, खोवा, कपास
317.		शाहडोल	मिट्टी, कागज उत्पाद
318.		शाजापुर	संतरा
319.		श्योपुर	इंजेक्शन मोल्डेड प्लास्टिक, शहद
320.		शिवपुरी	आयरनवर्क्स, टेक्सटाइल्स, वन उत्पाद, कृषि उत्पाद, मूंगफली, जैकेट्स
321.		सीधी	दरी, चमड़े की पट्टी, अरहर दाल, महुआ, कटहल प्रसंस्करण (कथल) और आम
322.		सिंगरौली	वाटर जेल और इमल्शन विस्फोटक
323.		टीकमगढ़	दतिया और टीकमगढ़ के बेल मेटल वेयर, सिरेमिक वस्तुएं
324.		उज्जैन	शिल्प, चीनी मिट्टी की मूर्तियाँ और मूर्तियां
325.		उमरिया	बांस शिल्प, सोया, पारिस्थितिक पर्यटन
326.		विदिशा	शरबती गेहूं, चना, हथकरघा कपड़ा, जूट
327.	**महाराष्ट्र**	अहमदनगर	विद्युत उत्पाद, फार्मास्यूटिकल्स, अनार
328.		अकोला	सूती धागे, दवाएं/औषध, सूती दरियां, रासायनिक उर्वरक
329.		अमरावती	संतरा
330.		औरंगाबाद	इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल्स और कृषि उत्पाद, इंजीनियरिंग सेवाएं, पैठानी साड़ी और कपड़े, मराठवाड़ा केसर आम, बीड कस्टर्ड सेब
331.		बीड	कपास, खाद्य तेल, दालें, कपड़ा उत्पाद, बीड कस्टर्ड सेब
332.		भंडारा	चावल, मैंगनीज अयस्क, संपीड़न के साथ माल के परिवहन के लिए मोटर वाहन (ट्रक और लॉरी)

333.		बुलढाना	कपास कच्चे, पिजन पीज, प्लास्टिक के रबर के लिए मिश्रित प्लास्टिसाइज़र
334.		चंद्रपुर	सीमेंट, कागज, लौह अयस्क
335.		धुले	केला, तेल केक, कपड़ा, खाद्य तेल, फैटी एसिड, कृषि और वन आधारित उत्पाद
336.		गडचिरोली	लाख की चूड़ियाँ (कांच के मोती, नकली मोती, नकली कीमती या अर्ध कीमती पत्थर और इसी तरह का कांच), रेशम के बुने हुए कपड़े, कच्चा डोलोमाइट कैलक्लाइंड या जो सिंटरित न हो
337.		गोंदिया	चावल की भूसी का तेल, बेंत या चुकंदर चीनी
338.		हिंगोली	सूती धागा, बेंत या चुकंदर चीनी, गोंद, केला, चीनी मिट्टी के बरतन, हल्दी
339.		जलगांव	जलगाँव केला, जलगाँव भरित बैंगन
340.		जलना	हाइब्रिड सीड्स, ऑयल एंड डी–ऑयल केक, रेरोल स्टील्स, टीएमटी बार्स, बिलेट्स, कृषि उत्पाद, इंजीनियरिंग उत्पाद, फार्मास्यूटिकल्स, जालना स्वीट ऑरेंज
341.		कोल्हापुर	कृषि उत्पाद। चमड़ा और इंजीनियरिंग सामान, केला, कोल्हापुर गुड़, कोल्हापुरी चप्पल
342.		लातूर	कृषि उत्पाद
343.		मुंबई शहर	रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल्स, रसायन, कपड़ा, चमड़ा, प्लास्टिक, वित्तीय सेवाएं और लेखा और लेखा परीक्षा सेवाएं, कानूनी सेवाएं, परिवहन और रसद सेवाएं, प्रबंधन परामर्श सेवाएं
344.		मुंबई उपनगरीय	रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल्स, रसायन, कपड़ा, चमड़ा, प्लास्टिक, वित्तीय सेवाएं और लेखा और लेखा परीक्षा सेवाएं, सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं (आईटी और आईटीईएस), संचार सेवाएं (ऑडियो विजुअल सर्विसेज – मोशन पिक्चर और वीडियो टेप उत्पादन और वितरण सेवा), प्रबंधन परामर्श सेवाएं, इंजीनियरिंग सेवाएं
345.		नागपुर	नागपुर संतरा, मूंगफली का तेल, एल्युमिनियम शीट, गन्ना चीनी, कपास यार्न
346.		नांदेड़	कृषि उत्पाद और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ
347.		नंदुरबारी	गन्ना चीनी, एथिल अल्कोहल, कस्टर्ड और सेब
348.		नासिक	कृषि उत्पाद, विद्युत उत्पाद, औषधि आदि, नासिक अंगूर, प्याज, नासिक घाटी शराब, लासलगांव प्याज
349.		उस्मानाबाद	कृषि उत्पाद
350.		पालघर	रसायन, "चीकू" (सपोडिला), फार्मास्यूटिकल्स, लौह और इस्पात और इंजीनियरिंग उत्पाद, कपड़ा, प्लास्टिक से संबंधित, मत्स्य पालन, समुद्री और खाद्य प्रसंस्करण, फल और सब्जियां, वारली पेंटिंग (हस्तशिल्प) फोकस सेवाएं – पर्यटन और आतिथ्य सेवाएं, परिवहन और रसद सेवाएं
351.		परभनी	कृषि उत्पाद
352.		पुणे	पुरंधर अंजीर, ऑटोमोबाइल और इंजीनियरिंग सामान, कृषि उत्पाद, फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद, अनार, अंगूर
353.		रायगढ़	आयरन एंड स्टील उत्पाद, रसायन, फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग, मत्स्य पालन, समुद्री और खाद्य प्रसंस्करण,

			गणेश मूर्ति (हस्तशिल्प), परिवहन और रसद सेवाएं, सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं (आईटी और आईटीईएस), पर्यटन और आतिथ्य सेवाएं, शिक्षा सेवाएं
354.		रत्नागिरी	समुद्री, कृषि उत्पाद और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, आम, सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी कोकुम
355.		सांगली	कृषि उत्पाद और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, अंगूर, सांगली किशमिश, सांगली हल्दी
356.		सतारा	कृषि उत्पाद, महाबलेश्वर स्ट्रॉबेरी, वाघ्य घेवड़ा
357.		सिंधुदुर्ग	मत्स्य पालन, फल, रसायन, पर्यटन, समुद्री उत्पाद, आम, सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी कोकुम
358.		सोलापुर	कपड़ा और कृषि उत्पाद, केमशाफ्टस, केला, सोलापुर अनार, सोलापुर चादर, सोलापुर टेरी तौलिया, मंगलवेधा ज्वार
359.		थाने	रसायन, प्लास्टिक से संबंधित, फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग, कपड़ा, प्लास्टिक से संबंधित, परिवहन और संभार तत्र सेवाएं, सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं (आईटी और आईटीईएस), संचार सेवाएं (ऑडियो विजुअल सर्विसेज – मोशन पिक्चर और वीडियो टेप उत्पादन और वितरण सेवा), प्रबंधन परामर्श सेवाएं, इंजीनियरिंग सेवाएं
360.		वर्धा	संतरा
361.		वाशिम	हस्तशिल्प उत्पाद, सिंथेटिक फिलामेंट्स के सूती धागे सूती के वजन वाले
362.		यवतमाल	डेनिम, तेल रहित केक, सिंथेटिक फिलामेंट्स के सूती धागे सूती के वजन वाले
363.	**मणिपुर**	बिष्णुपुर	जूट, भूतजोलकिया, चूना पत्थर, अदरक, अनानास, खिलौने और गुड़िया, मछली उत्पाद
364.		चंदेल	अदरक, केला, भूतजोलकिया, अनानास, जूट
365.		चुराचनपुर	अनानास, केला, अदरक, चूना पत्थर, जूट
366.		इंफाल पूर्व	वांगखेई फी, भूतजोलकिया, जूट, अदरक, अनानास, चूना पत्थर, खिलौने और गुड़िया, हथकरघा,
367.		इंफाल पश्चिम	वांगखेई फी, अदरक, जूट, भूतजोलकिया, केला, अनानास, खिलौने और गुड़िया, हथकरघा, मछली उत्पाद
368.		जिरीबाम	चूना पत्थर, जूट, भूतजोलकिया, अनानास, अदरक, नारियल
369.		काकचिंग	अनानास, अदरक, चूना पत्थर, संतरा, केला, काला चावल
370.		कामजोंग	केला, अदरक, चूना पत्थर, संतरा, अनानस, किंग मिर्च
371.		कांगपोकपी	भूतजोलोकिया, अनानास, जूट, चावल, संतरा, हल्दी
372.		नोनी	केला, चूना पत्थर, अदरक, चावल, अनानास
373.		फेरज़ावली	अनानास, जूट, अदरक, चावल, बांस
374.		सेनापति	अदरक, जूट, चूना पत्थर, अनानास, केला, कीवी
375.		तामेंगलांग	चूना पत्थर, जूट, अदरक, भूतजोलकिया, अनानास, संतरा
376.		टेंग्नौपाल	जूट, अनानास, अदरक, बांस टहनी, केला
377.		थौबल	अदरक, जूट, भूतजोलकिया, चूना पत्थर, चावल, अनानास
378.		उखरूल	चूना पत्थर, जूट, अदरक, भूतजोलकिया, अनानास, कचाई नींबू
379.	**मेघालय**	पूर्वी गारो हिल्स	अदरक, नींबू, अनानस, बांस, बोल्डर
380.		पूर्वी जयंतिया हिल्स	मंदारिन ऑरेंज, नींबू, हल्दी, सीमेंट, चूना पत्थर
381.		पूर्वी खासी हिल्स	तेज पत्ता, मैंडरिन संतरा, चूना पत्थर, संतरा, अदरक

382.		उत्तरी गारो हिल्स	मंदारिन अंग, नींबू, हल्दी, चूना पत्थर, चाय
383.		री–भोई	अदरक, अनानास, मछली, चाय, सीमेंट
384.		दक्षिण गारो हिल्स	अदरक, बांस, चावल, मछली, केला
385.		दक्षिण पश्चिम गारो हिल्स	अनानस, अदरक, चूना पत्थर, सीमेंट, बोल्डर
386.		दक्षिण पश्चिम खासी हिल्स	तेज पत्ता, अदरक, चूना पत्थर, बांस, मिर्च,
387.		वेस्ट गारो हिल्स	अदरक, मंदारिन संतरा, नींबू, केला, अनानस
388.		पश्चिम जयंतिया हिल्स	मंदारिन, नींबू, हल्दी, बांस, केला
389.		पश्चिम खासी हिल्स	तेज पत्ता, मैंडरिन ऑरेंज, रॉक्स, राइस, बोल्डर
390.	**मिजोरम**	आइजोल	बांस, एंथुरियम, ऑर्किड, संतरा, मिज़ो मिर्च
391.		चम्फाई	अनानस, रेशम, मछली, ऑर्किड, संतरा
392.		हनहथियाल	एन्थ्यूरियम, ऑर्किड, संतरा, मछली, बांस
393.		ख्वाजाव	ऑर्किड, मछली, एन्थ्यूरियम, संतरा, बांस
394.		कोलासिबो	ऑर्किड, मछली, एन्थ्यूरियम, संतरा, मिज़ो मिर्च
395.		लॉगटलाई	ऑर्किड, मछली, एन्थ्यूरियम, संतरा, अनानास
396.		लुंगलेई	बांस, एंथुरियम, ऑर्किड, संतरा, रेशम, अनानास
397.		मामित	बांस, एंथुरियम, ऑर्किड, संतरा, रेशम, अनानास
398.		सैहा	मिजो मिर्च, बांस, एंथुरियम, ऑर्किड, संतरा, रेशम, अनानास
399.		सेरछिप	बांस, एंथुरियम, ऑर्किड, संतरा, रेशम, अनानास
400.		सैतुअल	बांस, एंथुरियम, ऑर्किड, संतरा, रेशम, अनानास
401.	**नागालैंड**	दीमापुर	एन्थ्यूरियम, ऑर्किड, बांस, केला, चावल
402.		किफायर	नागा मिर्च, बूट जोलोकिया, मछली, बोल्डर, अनानास
403.		कोहिमा	नागा मिर्च, अदरक, ऑर्किड, पर्यटन, संतरा
404.		लॉन्गलेंग	पर्यटन, अदरक, ऑर्किड, बांस, चावल
405.		मोकोकचुंग	पर्यटन, अदरक, अनानास, इलायची, ऑर्किड
406.		मोन	सब्जियां, अदरक, संतरा, ऑर्किड, केला
407.		पेरेन	चाय, औषधीय जड़ी बूटी, पारंपरिक आभूषण, ऑर्किड, नागा मिर्च
408.		फेक	हथकरघा उत्पाद, हस्तशिल्प उत्पाद, अदरक, बांस, अनानास
409.		तुयेनसांग	एन्थ्यूरियम, ऑर्किड, अदरक, अनानस, चावल
410.		वोखा	अदरक, संतरा, चाय, मछली, अनानास
411.		जुन्हेबोटो	चाय, अदरक, ऑर्किड, एन्थोरियम, नागा मिर्च
412.		नोक्लाक	हथकरघा उत्पाद, ऑर्किड, चूना पत्थर, सीमेंट, अदरक
413.	**उड़ीसा**	अंगुल	एल्यूमिनियम पिंड, स्टील सिल्लियां
414.		बालंगीर	चावल, आयरन व स्टील
415.		बालासोर	टायर, कागज और नालीदार बक्से
416.		बारगढ़	वस्त्र, हथकरघा
417.		भद्रक	परिधान
418.		बौध	वस्त्र, हथकरघा
419.		कटक	रसायन एवं पेट्रोकेमीकल इंजीरियरिंग का सामान, चांदी के तंतु का सामान,
420.		देवगढ़	तरबूज, संतरा, लीची
421.		ढेंकनाल	पवरलूम, धोकरा, मेटलकाफ्ट

422.		गजपति	परलाखेमुंडी के सींग का कार्य
423.		गंजम	चावल, गंजम केवड़ा रूह, गंजम केवड़ा फूल
424.		जाजपुर	समूद्री उत्पाद
425.		जगतसिंहपुर	प्लास्टिक उत्पाद
426.		झारसुगुड़ा	एल्यूमिनियम पिंड, मिर्च और अदरक
427.		कालाहांडी	चावल, जेमस्टोन लकड़ी पर नकाशी
428.		कंधमाली	अदरक, कंधमाल हल्दी
429.		केंद्रपाड़ा	पयर्टन
430.		केन्डूझार	तसार साड़ी, वस्त्र, हथकरधा
431.		खोरधा (भुवनेश्वर)	समुद्री उत्पाद
432.		कोरापुट	कोटपड हथकरधा कपड़ा, काजू
433.		मल्कानगिरी	हथकरधा
434.		मयूरभंजी	आयरन, कागज, पेपर बोर्ड
435.		नवरंग गंज	कृषि, कागज, कागज उत्पाद
436.		नयागढ़	चीनी
437.		नुआपाड़ा	खाद्य, रसायन व संबंधित उत्पाद
438.		पुरी (पिपिली)	पिपली अप्लीक वर्क, स्टोनकाफ्ट हैंडीक्राफ्ट (पट्टचित्र) पयर्टन
439.		रायगरा	कागज, चार्ज क्रोमे, केल्शीयम कार्बोनेट
440.		संबलपुर	चावल, धातुशिल्प संबलपुरी बंध साड़ी और कपड़े
441.		सुबर्णापुर	वस्त्र, हथकरधा
442.		सुंदरगढ़ (राउरकेला)	रिफ्रेक्टरी, स्पंज आयरन, स्टील, सीमेंट
443.	**पंजाब**	अमृतसर	पर्यटन, चावल, कंबल, शॉल
444.		बरनाला	हार्वेस्ट कम्बाइन, सेब और अण्डा रखने की ट्रे, मुर्गी पालन/मास, टेरी तौलिया, कृषि उपकरण,
445.		बठिंडा	किन्नू, कपड़ा
446.		फरीदकोट	चावल
447.		फतेहगढ़ साहिब	री–रोल्ड स्टील सिल्लियां, ओटो कम्पोनेन्ट्स, इंजीनियरिंग वस्तु
448.		फाजिल्का	खट्टे फल, किन्नू, पंजाबी जूती
449.		फिरोजपुर	कृषि प्रंसस्करण, चावल
450.		गुरदासपुर	फाउंड्री, खराद मशीन, हल्दी पाउडर, मांस
451.		होशियारपुर	वस्त्र, ट्रैक्टर और ट्रैक्टर के पुर्जे, शहद, आलू
452.		जालंधर	खेल के सामान, शहद, हाथ के औजार, चमड़े की वस्तुएं, आलू
453.		कपूरथला	रेलवे मशीनरी और उसके पार्टस, आलू के बीज व बीज प्रजनन, फ्रोजन फूडद्व चावल, वस्त्र, मीट्ठा और तैयार फूड, आलू
454.		लुधियाना	रेडीमेड गारमेंट्स, यार्न, बेकरी, हैंड टूल्स, साइकिल पार्टस, ओटो पार्टस, चावल, एक्वापोनिक्स
455.		मनसा	कपास यार्न, कृषि उपकरण,
456.		मोगा	गेहूं, चावल, कृषि उपकरण
457.		पठानकोट	चावल, लीची
458.		पटियाला	कॉटन यार्न, फुलकारी, पंजाबी जूती, परान्द, कटाई के उपकरण/ट्रेक्टर, कटिंगस टूल्स, वस्त्र
459.		रूपनगर (रोपड़)	फार्मास्यूटिकल्स

460.		साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर/मोहाली	फार्मास्यूटिकल्स और आईटी क्षेत्र, इंजीनियरिंग का सामान और फार्मास्यूटिकल्स, वस्त्र
461.		संगरुर	कॉटन यार्न गेहूं
462.		नवाशहर (शहीद भगत सिंह नगर)	दालें, चावल, आलू
463.		मुक्तसर	कागज, पंजाबी कुर्ता पजामा
464.		तरनतारन	चावल, नाशपाती
465.	**राजस्थान**	अजमेर	बैग, मसाले, वस्त्र, संगमरमर और कृषि उत्पाद
466.		अलवेर	इंजीनियरिंग उत्पाद
467.		बांसवाड़ा	सिंथेटिक यार्न, फैब्रिक, मार्बल टाइलें
468.		बरनी	सोयाबीन और अन्य कृषि उत्पाद
469.		बाड़मेर	इसबगोल, ग्वार गम
470.		भरतपुर	कृषि उत्पाद और सेवा निर्यात
471.		भीलवाड़ा	कपड़ा और डेनिम
472.		बीकानेर	ऊन, खाद्य उत्पाद, क्रिमिक्स, बीकानेरी भुजिया
473.		बूंदी	चावल
474.		चित्तौड़गढ़	संगमरमर, ग्रेनाइट और पर्यटन
475.		चुरू	ग्वार गम, लकड़ी के उत्पाद
476.		दसुआ	पत्थर के लेख और दरी
477.		धौलपुर	स्किम्ड मिल्क पाउडर, स्टोन टाइलें और स्लैब
478.		धुंगरपुर	ग्रीन मार्बल स्लैब और टाइलें
479.		हनुमानगढ़	पर्यटन
480.		जयपुर	रत्न और आभूषण, वस्त्र, फर्नीचर, सेवा निर्यात और अन्य, खिलौने, जयपुर की नीली मिट्टी के बर्तन
481.		जैसलमेर	अप्लीक वर्क, मार्बेल एंड सर्विसेज, इसबगोल, गौर गम, हैंडीक्राफ्ट एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट्स
482.		जालौर	मसाले, ग्रेनाइट और डेयरी उत्पाद
483.		झालावाड	सैंड स्टोन, मिश्रित आइटम
484.		झुंझुनूं	लकड़ी और पत्थर आधारित आइटम
485.		जोधपुर	इसबगोल, गौर गम, फर्नीचर उत्पाद, पाउडर, हस्तशिल्प, स्टेनलेस स्टील शीट / बर्तन
486.		करौली	सैंड स्टोन लेख, सिलिका और पाउडर
487.		कोटा	रसायन और उर्वरक, खनिज, कोटा डोरिया
488.		नागौर	इसबगोल, मसाला प्रसंस्करण, हैंडटूल और ऊनी कालीन, मकराना मार्बल
489.		पाली	सीमेंट, मेहंदी, ग्वार गुम
490.		प्रतापगढ़	पर्यटन
491.		राजसमंद	तेरा कोटा, संगमरमर का सजावटी लेख
492.		सीकर	एंटीक फर्नीचर
493.		सिरोही	पत्थर की नक्काशी, टाइलें, साइलियम हस्क
494.		श्री गंगानगर	गोंद पाउडर
495.		स्वाई मोधपुर	पर्यटन
496.		टोंक	पत्थर की टाइलें और रेत पत्थर की टाइलें
497.		उदयपुर	संगमरमर, खनिज और सेवा निर्यात
498.	**सिक्किम**	उत्तरी सिक्किम	पर्यटन, सिक्किम बड़ी इलायची

499.		पूर्वी सिक्किम	पर्यटन और आईटी/आईटीईएस, लाल मिर्च, काली मिर्च
500.		पश्चिम सिक्किम	सिक्किम बड़ी इलायची, न्यूनतम प्रसंस्कृत सब्जियां
501.		दक्षिण सिक्किम	सिक्किम बड़ी इलायची, चाय, अदरक
502.	**तमिलनाडु**	अरियालुर	रेडीमेड गारमेंट्स, नालीदार चादरें और बक्से,
503.		चेंगलपट्टू	चमड़े के सामान और वस्त्र, झींगा, ऑटोमोबाइल उत्पाद, ग्रेनाइट
504.		चेन्नई	जैव प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रसंस्करण, समुद्री उत्पाद, आभूषण उत्पाद, परिधान, सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर सेवाएं
505.		कोयंबटूर (पोलाची)	इंजीनियरिंग उत्पाद जैसे फाउंड्री, मोटर्स और पंप, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स, आयरन कास्टिंग्स, एल्युमिनियम कास्टिंग्स, वेट ग्राइंडर और घरेलू उपकरण, कपड़ा जैसे यार्न और फैब्रिक, पोल्ट्री उत्पाद, सब्जियां, नारियल और कॉयर उत्पाद, कोवई कोरा कॉटन साड़ी, कोयंबटूर वैट चक्की; (केला)
506.		कुड्डालोर	रासायनिक, समुद्री, काजू, कृषि उत्पाद
507.		धर्मपुरी	ऑटो घटक, इंजीनियरिंग, बागवानी, कृषि उत्पाद, प्लास्टिक
508.		डिंडीगुल	ईस्ट इंडिया लेदर, टेक्सटाइल, डिंडीगुल लॉक्स, सिरुमलाई हिल केला, विरुपाक्षी हिल केला, कोडाईकनाल मलाई पुंडक्ट्स
509.		इरोड	हथकरघा और पावरलूम उत्पाद, प्रसंस्कृत कपड़े, अंडे का पाउडर, मोटर वाहन के पुर्जे, कृषि उत्पाद जैसे टैपिओका और स्टार्च, पोल्ट्री उत्पाद और अंडे, इरोड मंजल (इरोड हल्दी)
510.		कल्लाकुरिची	खाद्य उत्पाद – चावल, साबूदाना, हल्दी, कृषि आधारित उत्पाद – गुड़ पाउडर, पशु चारा – ब्रिकेट
511.		कांचीपुरम	इंजीनियरिंग और ऑटो कंपोनेंट्स, सिल्क वीविंग, टेक्सटाइल गारमेंट्स, सॉफ्टवेयर, फूड प्रोसेसिंग, टूरिज्म – हेरिटेज एंड मेडिकल, कांचीपुरम सिल्क
512.		कन्याकुमारी	काजू, मछली के जाल, समुद्र के गोले, नागरकोइल के मंदिर के आभूषण, एथोमोझी लंबा नारियल
513.		करूर	होम टेक्सटाइल्स जैसे बेडशीट, प्लेसमेट्स, टेबल रनर, पर्दे, आदि, एचडीपीई उत्पाद, रत्न जैसे रूबी व वर्ल
514.		कृष्णागिरी	इंजीनियरिंग, खाद्य प्रसंस्करण (मैंगो पल्प), कट फ्लावर, हीरे के आभूषण।
515.		मदुरै	हथकरघा, ग्रेनाइट उत्पाद, रेडीमेड गारमेंट्स, मदुरै सुंगुडी, मदुरै मल्ली, जैस्मीन
516.		माइलादुत्रयी	कृषि उत्पाद (नारियल, आम का गूदा, कयर आदि)
517.		नागपट्टिनम	कृषि खाद्य प्रसंस्करण, समुद्री खाद्य प्रसंस्करण, कृत्रिम आभूषण, कयर
518.		नमक्कली	कुक्कुट उत्पाद जैसे अंडे सेने वाले अंडे, माता–पिता के अंडे, ब्रायलर मुर्गियां, टेबल अंडे, आदि, कच्चे ग्रेनाइट, यार्न, सूती कपड़े, तौलिए, बेड स्प्रेड और रिंग।
519.		पेरम्बलुर	कृषि उत्पाद, काजू
520.		पुदुक्कोट्टई	कृषि खाद्य प्रसंस्करण, समुद्री खाद्य प्रसंस्करण, ग्रेनाइट, कयर, इंजीनियरिंग
521.		रमनथा पुरम	सूखी मछली
522.		रानीपेट	चमड़ा उत्पाद, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल घटक,

			इंजीनियरिंग उत्पाद
523.		सलेम	इंजीनियरिंग, खाद्य प्रसंस्करण (मैंगो पल्प), कटे हुए फूल, डायमंड ज्वैलरी, पोल्ट्री उत्पाद और अंडे, सेलम फैब्रिक, सेलम सिल्क जिसे सलेम वेनपट्टू के नाम से जाना जाता है,
524.		शिवगंगा	गेरकिंस (लघु ककड़ी), चेटूबड जीताब
525.		तेनकासी	कॉयर पिथ ब्लॉक
526.		तंजावुरी	हस्तशिल्प, कयर उद्योग, कृषि उत्पाद, रेशम, पीतल निर्माण उद्योग, तंजावुर पेंटिंग, तंजावुर आर्ट प्लेट, तंजावुर गुड़िया, तंजावुर वीनाई, तंजावुर पिथ वर्क्स, स्वामीमलाई कांस्य चिह्न
527.		थेनी	केला, मसाले, मेड अप्स
528.		नीलगिरी	बागवानी फसलें जैसे आलू, पत्ता गोभी, गाजर, चाय, कॉफी, अदरक, फल, इमारती लकड़ी, नीलगिरी का तेल, लहसुन और काली मिर्च, फूलों की खेती के उत्पाद जैसे कटे हुए फूल जैसे लिलियम, कार्नेशन, जरबेरा, आदि, टोडा शॉल, घर में बनी चॉकलेट वर्की, नीलगिरी (प्राचीन) लोगो
529.		तिरुवल्लुर	गारमेंट्स, इंजीनियरिंग– टूल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल्स
530.		थिरुवरुर	कयर उद्योग, कृषि उत्पाद, समुद्री उत्पाद
531.		तिरुचिरापल्ली	कृषि खाद्य प्रसंस्करण, भारी विद्युत और इंजीनियरिंग, रक्षा उपकरण, कृत्रिम आभूषण, पवनचक्की घटक केला
532.		तिरुनेलवेली	यार्न, तिरुनेलवेली हलवा, पट्टामदई पाई
533.		तिरूपत्तुर	चमड़ा उत्पाद, कयर उत्पाद, चंदन उत्पाद
534.		तिरुपुर	होजरी गारमेंट्स और परिधान
535.		तिरुवन्नामलाई	रेशम, विनिर्माण उत्पाद, ऑटोमोबाइल उत्पाद
536.		तूतीकोरिन (टूथुकुडी)	समुद्री उत्पाद
537.		वेल्लोर	चमड़ा उद्योग, रेडीमेड वस्त्र, रसायन,
538.		विल्लुपुरम	कृषि उत्पाद, समुद्री उत्पाद
539.		विरुधुनगर	मसाले, सूत, कयर पिठ, पटाखे, सुरक्षा माचिस, मुद्रित पुस्तकें, ग्रे कपड़ा, जालीदार कपड़ा
540.	**तेलंगाना**	आदिलाबाद	निर्मल खिलौने, पेंटिंग और फर्नीचर, कपास की गांठें, आदिलाबाद डोकरा,
541.		भद्राद्री–कोथागुडेम	मिर्च, लघु वनोपज, स्पंज आयरन
542.		हैदराबाद	रत्न और आभूषण/मोती
543.		जागटियाल	आम, हल्दी, चावल, सोना, आभूषण
544.		जनगांव	चावल
545.		जयशंकर–भुपलपल ली	मिर्च, लकड़ी के शिल्प
546.		जोगुलम्बा गडवाल	हथकरघा वस्त्र (साड़ी)
547.		कामारेड्डी	मुर्गी पालन
548.		करीमनगर	चावल, करीमनगर की सिल्वर फिलाग्री, ग्रेनाइट
549.		खम्मम	आम, मिर्च, ग्रेनाइट
550.		कोमारेम भीम असीफाबाद	कपास
551.		महबुबाबाद	आम, मिर्च, हल्दी
552.		मंचेंरियल	आम, कपास
553.		महबूबनगर	आम, ज्वार, सामान्य इंजीनियरिंग, फेब्रिकेशन

554.		मेडक	दुबक्का कपड़ा और वस्त्र
555.		मेडचल	जैव उत्पाद
556.		मुलुगु	मिर्च
557.		नगरकुरनूल	आम, मूंगफली, रेडीमेड गारमेंट्स
558.		नलगोंडा	चावल, कपास
559.		निर्मल	हल्दी, निर्मल टॉयज, निर्मल फर्नीचर, निर्मल पेंटिंग्स
560.		नारायणपेट	सूती वस्त्र / साड़ी
561.		निजामाबाद	हल्दी, चावल, बीज, चीनी
562.		पेद्दापल्ली	लकड़ी का फ़र्निचर
563.		रंगारेड्डी	आम, बिस्कुट प्रसंस्कृत भोजन
564.		राजन्ना सिरसिला	हथकरघा, कपड़ा
565.		संगारेड्डी	आम, सामान्य इंजीनियरिंग उत्पाद, बीज
566.		सिद्दीपेट	कॉटन गिनिंग
567.		सूर्यापेट	फल
568.		विकाराबाद	रेडग्राम, जरी साड़ी, कढ़ाई वस्त्र
569.		वानापर्थी	आम, मूंगफली
570.		वारंगल ग्रामीण	वस्त्र, आम, वारंगल दरियां, चावल, गेहूं, परिधान
571.		वारंगल शहरी	वस्त्र, आम, वारंगल दरियां, चावल, गेहूं, परिधान
572.		यादद्रि–भावनगिरी	हथकरघा, कपड़ा, धार्मिक पर्यटन
573.	**त्रिपुरा**	धलाई	त्रिपुरा क्वीन अनानास
574.		गोमती	बास, धार्मिक पर्यटन
575.		उत्तर त्रिपुरा	त्रिपुरा क्वीन अनानास
576.		सेपाहीजाला	त्रिपुरा क्वीन अनानास
577.		दक्षिण त्रिपुरा	खाद्य प्रसंस्करण
578.		उनाकोटी	पर्यटन
579.		पश्चिम त्रिपुरा	बांस फर्नीचर, अगरबत्ती, रबड़
580.	**उत्तर प्रदेश**	आगरा	चमड़ा उत्पाद (जूते), आलू, पत्थर हस्तशिल्प, आगरा दर्री, पर्यटन, कालीन/दरी, मांस प्रसंस्करण, प्लास्टिक और शल्य चिकित्सा के सामान
581.		अलीगढ़	ताला और हार्डवेयर, भैंस का मांस, हस्तशिल्प वस्तु
582.		अम्बेडकर नगर	कपड़ा उत्पाद, चावल
583.		अमेठी	मूंज, चमड़ा उत्पाद, चावल
584.		औरैया	देसी घी (खाद्य उत्पाद), चावल
585.		फैजाबाद (अयोध्या)	धार्मिक पर्यटन और रेडीमेड गारमेंट्स, पेपर आइटम (ग्लास आइटम)
586.		आजमगढ़	काली मिट्टी के बर्तन, कपड़ा
587.		बदायूं	जरी और जरदोजी, मेंथा तेल और संबद्ध उत्पाद
588.		बागपत	होम फर्निशिंग, पर्दे, बेडशीट, पिलो कवर्स, दरी
589.		बहराइच	गेहूं का डंठल, हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण / चावल
590.		बलिया	खाद्य प्रसंस्करण
591.		बलरामपुर	दालें, कृषि आधारित उत्पाद, खाद्य प्रसंस्करण
592.		बांदा	शाजर स्टोन क्राफ्ट्स/होजरी गुड्स
593.		बाराबंकी	कपड़ा उत्पाद और मेंथा क्रिस्टल और फ्लेक्स, जमे हुए मांस, जैविक खाद्य और हर्बल उत्पाद, कृषि खाद्य उत्पाद
594.		बरेली	जरी और जरदोजी, मांस, चावल और मेंथा तेल
595.		बस्ती	लकड़ी के शिल्प, चावल

596.		भदोही (संत रविदास नगर)	हाथ से बना कालीन
597.		बिजनौर	लकड़ी शिल्प, पीतल एल्यूमीनियम, लौह इस्पात, हस्तशिल्प
598.		बुलंदशहरी	सिरेमिक उत्पाद, खुर्जा मिट्टी के बर्तन, स्टील पाइप, रसायन, मांस और चावल
599.		चंदौली	प्लास्टिक उत्पाद (एफआईबीसी/प्लास्टिक के बुने हुए बोरे/अन्य प्लास्टिक उत्पाद), जरी जरदोजी, चावल, इलेक्ट्रिकल्स, फल
600.		चित्रकूट	लकड़ी के खिलौने, धार्मिक पर्यटन
601.		देवरिया	सजावटी हस्तशिल्प/वस्त्र
602.		एटा	टखने की घंटी (घुंघरू) घंटी और पीतल के उत्पाद / चिकोरी रोस्टेड
603.		इटावा	कपड़ा उत्पाद (बेडस्प्रेड, टेबल कवर, पर्दे) और चावल
604.		फरुखाबाद	टेक्सटाइल प्रिंटिंग, आलू, फर्रुखाबाद प्रिंट्स, टेक्सटाइल पेंटिंग, चावल
605.		फतेहपुर	चादरें, लोहे का निर्माण कार्य, चावल
606.		फिरोजाबाद	फिरोजाबाद कांच, कांच के बने पदार्थ, सजावटी कांच के सामान, थर्मस फ्लास्क
607.		गौतमबुद्धनगर	रेडीमेड गारमेंट्स, बासमती चावल, मांस, इलेक्ट्रॉनिक सामान, इंजीनियरिंग सामान
608.		गाज़ियाबाद	इंजीनियरिंग सामान, चीनी, मशीनरी पार्ट्स और ऑटो पार्ट्स, पिस्टन और रिंग्स, कपड़ा और घरेलू सामान, इलेक्ट्रॉनिक और बिजली के सामान, मांस
609.		गाजीपुर	गाजीपुर जूट वॉल हैंगिंग, हरी मिर्च, हरी मटर, चावल
610.		गोंडा	दालें, कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण
611.		गोरखपुर	गोरखपुर टेरीकॉट, कपड़ा वस्त्र, काला नमक, चावल
612.		हमीरपुर	जूते
613.		हापुड़ (पंचशील नगर)	होम फर्निशिंग, पेपर कोन, वुडन फर्नीचर, बेडशीट, चावल,
614.		हरदोई	हथकरघा, कीटनाशक, चावल
615.		हाथरस (महामाया नगर)	हिंग (हींग), हार्डवेयर, कॉटन बाथ मेट्स, ड्रइज़, बिल्डर्स, हैंडल, मेटल हैंडीक्राफ्ट, चावल
616.		जालौन	हस्तनिर्मित कागज कला, मेंथा तेल
617.		जौनपुर	दरी
618.		झाँसी	सॉफ्ट टॉयज, इलेक्ट्रिक ट्रांसफॉर्मर /, फूड प्रोसेसिंग, टेक्स्टबुक्स, टूरिज्म, फ्लोर मिल और मशीनरी के पार्ट्स (फ्लोर मिल स्टोन्स), एल्युमिनियम लेबल्स
619.		अमरोहा (ज्योतिबा फुले नगर)	संगीत वाद्ययंत्र, पीतल एल्यूमीनियम, लौह इस्पात, हस्तशिल्प आइटम, लकड़ी के सामान
620.		कन्नौज	कन्नौज इत्र, परफ्यूम (इत्र) और संबद्ध उद्योग और आवश्यक तेल निष्कर्षण
621.		कानपूर देहात	चमड़ा, काठी, प्लास्टिक उत्पाद
622.		कानपुर नगर	चमड़ा उत्पाद, जूते, काठी का सामान, इंजीनियरिंग सामान, प्लास्टिक उत्पाद, कपड़ा
623.		काशीराम नगर (कासगंज)	जरी जरदोजी, मिल्क पाउडर, कपूर
624.		कौशाम्बी	खाद्य प्रसंस्करण, केला और पर्यटन

625.		कुशी नगर	चीनी सहित कृषि आधारित उत्पाद, पर्यटन
626.		लखिम पुर खेरी	प्लाईवुड
627.		ललितपुर	जरी सिल्क साड़ी और ग्रेनाइट स्लैब
628.		लखनऊ	लखनऊ चिकन क्राफ्ट, मैंगो मलिहाबादी दशहरी, लखनऊ जरी–जरदोजी, आम, मांस,
629.		महराजगंज	फर्नीचर और चावल
630.		महोबा	गौरा स्टोन क्राफ्ट
631.		मैनपुरी	तारकशी कला (हस्तशिल्प), चावल
632.		मथुरा	डेयरी उत्पाद, धार्मिक पर्यटन, सेनेटरी फिटिंग, ठाकुर जी पोशाक
633.		मऊ	पावरलूम टेक्सटाइल्स
634.		मेरठ	खेल के सामान, आम, मेरठ कैंची, सी–मांस, क्रिकेट के लिए सुरक्षात्मक उपकरण
635.		मिर्जापुर	मिर्जापुर हस्तनिर्मित कालीन
636.		मुरादाबाद	मुरादाबाद धातु शिल्प, मेंथा उत्पाद, चावल
637.		मुजफ्फरनगर	गुड़, तिल, मांस
638.		पीलीभीत	दरी, चावल
639.		प्रतापगढ़	आंवला उत्पाद, चावल
640.		इलाहबाद (प्रयाग राज)	धार्मिक पर्यटन, कालीन और कृषि प्रसंस्करण खाद्य, अचार और जैम, चावल
641.		राय बरेली	लकड़ी का काम, इंजीनियरिंग / इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, एल्यूमिनियम कास्टिंग
642.		रामपुर	एप्लीक कार्य, चिथड़े, मेंथा उत्पाद, मांस
643.		सहारनपुर	आम, सहारनपुर वुडक्राफ्ट, हर्बल उत्पाद, हौजरी उत्पाद, फ्रोजन मीट
644.		संभल (भीम नगर)	हॉर्न बोन हैंडीक्राफ्ट और मेंथा ऑयल
645.		संत कबीर नगर	होजरी उत्पाद
646.		शाहजहांपुर	जरी और जरदोजी, चावल, सर्जिकल उपकरण और प्लाईवुड
647.		शामली (प्रबुद्ध नगर)	लौह शिल्प
648.		श्रावस्ती	चावल, पर्यटन
649.		सिद्धार्थ नगर	चावल (काला नमक)
650.		सीतापुर	कालीन और दरी, चावल
651.		सोनभद्र	एल्यूमिनियम उत्पाद
652.		सुल्तानपुर	चावल
653.		उन्नाव	चमड़े की वस्तुएं, जरी जरदोजी, प्रसंस्कृत मांस
654.		वाराणसी	रेशम उत्पाद, पर्यटन, ताजी सब्जियां (भिंडी और हरी मिर्च), बनारस ब्रोकेड और साड़ी, बनारस गुलाबी मीनाकारी शिल्प, वाराणसी वुडन लाख के बर्तन और खिलौने, बनारस मेटल रिपोज क्राफ्ट, वाराणसी ग्लास बीड्स, वाराणसी सॉफ्ट स्टोन जाली वर्क
655.	**उत्तराखंड**	अल्मोड़ा	पर्यटन, हथकरघा, हस्तशिल्प
656.		बागेश्वर	पर्यटन
657.		चमोली	पर्यटन

658.		चम्पावत	पर्यटन
659.		देहरादून	फार्मा, बासमती चावल, पर्यटन
660.		हरिद्वार	पर्यटन, कृषि उत्पाद
661.		नैनीताल	सुगंधित मोमबत्ती, पर्यटन
662.		पौड़ी गढ़वाली	पर्यटन
663.		पिथरोगढ़	पर्यटन
664.		रुद्रप्रयाग	पर्यटन
665.		टिहरी गढ़वाल	पर्यटन
666.		उधम सिंह नगर	ऑटोमोबाइल उद्योग, चावल, लीची
667.		उत्तरकाशी	पर्यटन
668.	**पश्चिम बंगाल**	अलीपुरद्वार	लकड़ी के उत्पाद
669.		बांकुरा	बांकुरा पंचमुरा टेराकॉटा शिल्प, बंगाल पटचित्र
670.		बीरभूम	कृषि सामान (धान)
671.		दक्षिण 24 परगना	चमड़ा, वस्त्र, शहद, जॉयनगर मोआ, बंगाल पटचित्र
672.		कूच बिहार	अनानास
673.		दार्जिलिंग	दार्जिलिंग चाय, पर्यटन
674.		दक्षिण दिनाजपुर	अनानास
675.		हुगली	कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, जूट
676.		हावड़ा	इंजीनियरिंग और फाउंड्री, जूट, रत्न और आभूषण, फोर्जिंग उद्योग, कपड़ा
677.		जलपाईगुड़ी	चाय, रसद, अनानास
678.		झारग्राम	चाय, पर्यटन
679.		कालिम्पोंग	इंजीनियरिंग, चमड़ा, आईटी/आईटीईएस
680.		कोलकाता	लीची, मालदा लक्ष्मण भोग आम, मालदा खिरसापति (हिमसागर) आम, मालदा फाजली आम
681.		मालदा	कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, लीची, आम
682.		मुर्शिदाबाद	रत्न और आभूषण
683.		नाडिया	चमड़ा, जूट, इंजीनियरिंग सामान, खाद्य और पेय पदार्थ
684.		उत्तर 24 परगना	चावल, मदुर काठी
685.		पश्चिम मेदिनीपुर (पश्चिम मेदिनीपुर)	चावल, बर्धमान सीताभोग, बर्धमान मिहिदान
686.		पश्चिम (पश्चिम) बर्धमान (बर्धमान)	चावल, बर्धमान सीताभोग, बर्धमान मिहिदान
687.		पुरबा बर्धमान (बर्धमान)	खाद्य प्रसंस्करण, पेट्रोरसायन
688.		पूरबा मेदिनीपुर (पूर्व मेदिनीपुर)	शैलैक, पीतल, और बेल धातु, पुरुलिया चाऊ मास्क
689.		पुरुलिया	लकड़ी का सामान
690.		उत्तर दिनाजपुर (उत्तर दिनाजपुर)	अनानास
691.	**अंडमान और निकोबार द्वीप समूह**	निकोबार	टूना, नारियल और नारियल आधारित उत्पादों पर जोर देने वाले समुद्री उत्पाद, पर्यटन, आईटी सेवाओं
692.		उत्तर और मध्य अंडमान	टूना, नारियल और नारियल आधारित उत्पादों पर जोर देने वाले समुद्री उत्पाद, पर्यटन, आईटी सेवाओं
693.		दक्षिण अंडमान	टूना, नारियल और नारियल आधारित उत्पादों पर जोर देने वाले समुद्री उत्पाद, पर्यटन, आईटी सेवाओं

694.	**चंडीगढ़**	चंडीगढ़	फुलकारी, पर्यटन, सॉफ्टवेयर सेवाएं, शैक्षिक सेवाएं
695.	**दमन, दीव, दादरा और नगर हवेली**	दादरा और नगर हवेली	यार्न, कपड़े, फार्मास्यूटिकल्स, केबल्स, रबड़, प्लास्टिक उत्पाद, रेडीमेड वस्त्र, इंजीनियरिंग उत्पाद
696.		दमन	घरेलू सामान, प्लास्टिक उत्पाद, फार्मास्यूटिकल्स, केबल्स, मत्स्य पालन, रेडीमेड वस्त्र, इंजीनियरिंग उत्पाद
697.		दीव	मत्स्य पालन, रेडीमेड वस्त्र, इंजीनियरिंग उत्पाद, प्लास्टिक उत्पाद
698.	**दिल्ली**	दक्षिण दिल्ली	विद्युत उपकरण सेवा, रेडीमेड गारमेंट्स, दूरसंचार
699.		केंद्रीय	विद्युत उपकरण सेवा, रेडीमेड गारमेंट्स, दूरसंचार
700.		उत्तर	विद्युत उपकरण सेवा, रेडीमेड गारमेंट्स, दूरसंचार
701.		दक्षिण	विद्युत उपकरण सेवा, रेडीमेड गारमेंट्स, दूरसंचार
702.		ईशान कोण	विद्युत उपकरण सेवा, रेडीमेड गारमेंट्स, दूरसंचार
703.		पश्चिम	विद्युत उपकरण सेवा, रेडीमेड गारमेंट्स, दूरसंचार
704.		शाहदरा	विद्युत उपकरण सेवा, रेडीमेड गारमेंट्स, दूरसंचार
705.		पूर्व	विद्युत उपकरण सेवा, रेडीमेड गारमेंट्स, दूरसंचार
706.		नई दिल्ली	विद्युत उपकरण सेवा, रेडीमेड गारमेंट्स, दूरसंचार
707.		उत्तर पश्चिम	विद्युत उपकरण सेवा, रेडीमेड गारमेंट्स, दूरसंचार
708.		दक्षिण पश्चिम	विद्युत उपकरण सेवा, रेडीमेड गारमेंट्स, दूरसंचार
709.	**जम्मू और कश्मीर**	अनंतनाग	हस्तशिल्प, क्रिकेट बल्ला, अखरोट, सेब, खुबानी, मुशकबुदजी, शहद, मिर्च
710.		बांदीपुरा	हस्तशिल्प, सेब, काला जीरा, प्रसंस्कृत ट्राउट मछली, क्रेवेल कढ़ाई, शहद
711.		बारामूला	सेब, अखरोट, डिब्बाबंद चेरी, शहद, सुगंधित चावल, लाल चावल
712.		बडगाम	हस्तशिल्प, सूखे मेवे, कश्मीर केसर, कनी शॉल, कश्मीरी सैंडी नाशपाती, क्रूवेल, सोजनी वर्क, जैविक सब्जियां, शहद, अखरोट की गुठली
713.		डोडा	पर्यटन
714.		गांदरबली	सेब, हस्तशिल्प, पर्यटन, विलो विकर और कनी शॉल
715.		जम्मू	खुबानी, अखरोट, क्रिकेट बल्ले
716.		कठुआ	अखरोट
717.		किश्तवाड़	कश्मीर केसर
718.		कुलगाम	सेब, अखरोट, पर्यटन, जैविक सब्जियां, लहसुन, कश्मीरी लाल मिर्च, चावल, भेड़ की ऊन, मटन, डेयरी उत्पाद, क्रू कढ़ाई, सोजनीम्ब्रायडरी, मछली, शहद, खनिज पानी
719.		कुपवाड़ा	अखरोट और सेब, लाल चावल, संगमरमर
720.		पूंछ	पर्यटन
721.		पुलवामा	पेंसिल, कश्मीर केसर, सेब
722.		राजौरी	पर्यटन
723.		रामबन	पर्यटन
724.		रियासी	पर्यटन
725.		सांबा	पर्यटन
726.		शोपियां	सेब
727.		श्रीनगर	कश्मीरी विलो (खेल के सामान), हस्तशिल्प उत्पाद, चमड़े का सामान, सेब, कश्मीर केसर, पर्यटन, कश्मीर पेपर माची, कश्मीर अखरोट की लकड़ी की

			नक्काशी, कश्मीर पश्मीना, कश्मीरी हाथ से बुना हुआ कालीन, कश्मीर सोजानी शिल्प
728.		उधमपुर	सेब, नाशपाती, अखरोट
729.	**लद्दाख**	कारगिल	पश्मीना शॉल, कश्मीर पश्मीना, समुद्री हिरन का सींग, खुबानी, कश्मीरी ऊन, पर्यटन,
730.		लेह	पश्मीना शॉल, कश्मीर पश्मीना, समुद्री हिरन का सींग, खुबानी
731.	**लक्षद्वीप**	लक्षद्वीप	मछली, खोपरा
732.	**पुदुचेरी**	पुदुचेरी	टेराकोटा उत्पाद, पेपर माची क्राफ्ट, नकली आभूषण, सुगंध और इत्र से संबंधित उत्पाद, अगरबत्ती, बहु उपयोग प्लास्टिक के घटक / उत्पाद, चावल और खाद्य उत्पाद, समुद्री उत्पाद, हर्बल, साग और खराब होने वाले उत्पाद, कॉयर उत्पाद, सामान्य इंजीनियरिंग घटक, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, रसायन (जिंक ऑक्साइड), प्लास्टिक (ओवेन बैग), परिष्कृत सीसा उत्पाद और हस्तशिल्प
733.		कराईकल	समुद्री उत्पाद, कृषि, पर्यटन, रसायन (हाइड्रोजन, तरल क्लोरीन, कास्टिक सोडा, एचसीएल, पौटाशियम क्लोराइड, सोडियम, पोटेशियम सिलिकेट), यार्न

*****

भारत सरकार | लोक सभा
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय | अतारांकित प्रश्न सं. 575
वाणिज्य विभाग

<u>दिनांक 01 दिसंबर,2021 को उत्तर दिए जाने के लिए</u>

चाय का आयात

575. डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे:
श्री चंद्र शेखर साहू:
श्री राहुल रमेश शेवाले:
श्री गिरीश भालचन्द्र बापट:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में घटिया मानक की चाय के आयात और वितरण के मामले सामने आये हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में आयातित चाय का ब्यौरा क्या है तथा उन देशों के नाम क्या हैं जहां से इस प्रकार की चाय आ रही है;

(ग) इस प्रकार के निर्यात में संलिप्त लोगों के विरुद्ध सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(घ) केंद्र सरकार ने भारतीय चाय विनिर्माताओं को संरक्षण प्रदान करने तथा ऐसे अवैध आयात को रोकने के लिए कोई निदेश, दिशानिर्देश जारी किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

<u>वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री</u>

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख) : चाय बोर्ड द्वारा छह मामलों का पता लगाया गया जिसमें आयातित चाय एफएसएसएआई-विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई । चाय बोर्ड ने चाय को अभिग्रहण कर नष्ट कर दिया । पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक के दौरान ऐसे मामलों का विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष	मामलों की संख्या	आयातित चाय की मात्रा (किग्रा.) अभिग्रहण	उस देश का नाम जहाँ से चाय का आयात किया गया
2018	**3**	**1,970**	**नेपाल**
2019	**3**	**3,600**	**नेपाल**
2020	**शून्य**	**शून्य**	--
कुल	**6**	**5,570**	

(ग) : पिछले तीन वर्षों के दौरान देश-वार चाय के आयात का विवरण अनुबंध में दिया गया है।

(घ) से (च) : चाय बोर्ड ने 11.11.2021 को अनुदेश जारी कर चाय के सभी आयातकों और खरीदारों को यह सुनिश्चित करने के निदेश दिए हैं कि आयातित चाय की उत्पत्ति का उल्लेख उनके सभी बिक्री बीजकों में किया जाए और आयातित चाय को भारतीय उत्पत्ति की चाय के रूप में पेश नहीं किया जाए। चाय के सभी वितरकों और ब्लेंडर्स को निदेश दिए गए हैं कि इस पर ध्यान दिए बगैर कि आयातित चाय सीधे या किसी मध्यस्थ के माध्यम से क्रय की गई है पैकेजिंग में लेबल पर स्पष्ट रूप से इंगित किया जाना चाहिए कि मिश्रित चाय की सामग्री आयात की गई है, आयातित चाय की उत्पत्ति के स्रोत का उल्लेख करें। भारत में वितरण के लिए भारत में चाय का आयात करने वाले सभी आयातक ऐसी चाय के भारत में प्रवेश के 24 घंटे के भीतर ऐसी आयातित चाय के भंडारण के स्थान के बारे में निकटतम चाय बोर्ड कार्यालय को सूचित करेंगे। चाय खरीदारों को दार्जिलिंग/कांगड़ा/असम(परम्परागत)/नीलगिरी (परम्परागत) की चाय के साथ आयातित चाय को मिश्रित नहीं करने के निदेश दिए गए हैं।

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) और सीमा शुल्क के क्षेत्रीय गठन, प्रवेश के बिंदु पर उपयुक्त अधिकारियों द्वारा जारी किए गए उत्पत्ति के नियम, स्वच्छता और पादप स्वच्छता प्रमाण पत्र से संबंधित प्रावधानों को लागू कर रहे हैं।

अनुलग्नक

पिछले 3 वर्षों के दौरान चाय का देश-वार आयात

(मिलियन किलोग्राम में)

देश	2018-19	2019-20	2020-21
अर्जेंटीना	0.93	1.57	0.77
चीन	0.37	0.31	0.53
जर्मनी	0.03	0.03	0.09
इंडोनेशिया	0.07	0.60	1.30
ईरान	0.76	0.02	0.06
जापान	0.01	-	-
केन्या	1.74	3.06	9.50
मलावी	0.36	0.47	0.24
मलेशिया	0.05	0.04	0.00
मोज़ाम्बिक	0.00	0.04	0.55
म्यांमार	0.00	0.02	0.02
नेपाल	16.05	7.29	10.74
रवांडा	-	-	0.08
सिंगापुर	1.38	-	-
दक्षिण अफ्रीका	-	-	0.04
श्रीलंका	0.16	0.45	0.39
ताइवान	0.02	0.02	-
तंजानिया	0.32	0.32	0.33
तुर्की	-	0.12	0.02
संयुक्त अरब अमीरात	0.00	0.03	0.07
अमेरीका	0.43	0.02	0.19
युगांडा	-	-	0.05
यूनाइटेड किंगडम	0.71	0.22	0.33
वियतनाम	0.25	0.86	2.22
ज़िम्बाब्वे	0.58	0.05	0.18
ऑस्ट्रेलिया	-	-	0.05
कुल	**24.22**	**15.54**	**27.75**

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 584

दिनांक 01 दिसंबर,2021 को उत्तर दिए जाने के लिए

अनाज का निर्यात

584. श्री खगेन मुर्मुः

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस विचार से सहमत है कि निर्यात के लिए अनाज की शीघ्र आवाजाही को सुगम बनाने के लिए उसे जिला स्तर पर भण्डारण सुविधाओं का निर्माण और आपूर्ति लाइनों को सुनिश्चित करना चाहिए और इसके साथ ही हमारे निर्यात को हतोत्साहित करने के लिए यूरोपीय देशों की दबाव की रणनीति से निपटने हेतु राजनयिक मोर्चे पर भी काम करना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो गुणवत्तापूर्ण बीजों, उर्वरकों और वस्तुओं के अंतरराष्ट्रीय निर्यात मानकों को पूरा करने के लिए विशेषज्ञों के मार्गदर्शन के साथ क्षेत्र विशेष की फसलों को सरकारी सहायता को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार द्वारा की गई/ की जा रही पहलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) जी हाँ ।

(ख): वाणिज्य विभाग निर्यात के लिए व्यापार अवसंरचना स्कीम (टीआईईएस) को लागू कर रहा है, जिसके तहत निर्यात के लिए अवसंरचना के निर्माण के लिए सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें अनाज के निर्यात के लिए आवश्यक भंडारण सुविधाएं भी शामिल हैं। कृषि और प्रसंस्कृत उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) अपनी निर्यात प्रोत्साहन स्कीम के तहत निर्यात संबंधी अवसंरचना के निर्माण के लिए भी सहायता प्रदान करता है।

यह सुनिश्चित करना कि हमारा कृषि निर्यात आयातक देशों की आवश्यकताओं को पूरा करता है, एक सतत प्रक्रिया है। एपीडा नियमित रूप से विभिन्न उत्पादों के लिए आयातक देशों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक उपायों के संबंध में किसानों और अन्य हितधारकों को शिक्षित करने के लिए आउटरीच और क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करता है। विशिष्ट उत्पादों और विशिष्ट बाजारों के लिए अनिवार्य परीक्षण और पता लगाने की प्रणाली भी स्थापित की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आयातक देशों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा रहा है ।

यूरोपीय संघ (ईयू) द्वारा कृषि उत्पादों में विभिन्न रासायनिक पदार्थों के बहुत कम अधिकतम अवशेष स्तर (एमआरएल) की स्थापना के रूप में कुछ स्वच्छता और फाइटोसैनिटरी उपाय किए गए हैं। सरकार सभी द्विपक्षीय चर्चाओं में यूरोपीय संघ के साथ इस मुद्दे को उठा रही है और वैज्ञानिक जोखिम मूल्यांकन और अंतरराष्ट्रीय मानकों जैसे कोडेक्स आदि के आधार पर एमआरएल स्थापित करने के लिए दबाव बना रही है।

(ग): उपर्युक्त (क) और (ख) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता ।

*****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.597

दिनांक 1 दिसंबर, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए

रबर उत्पादन

597. श्री थोमस चाज़िकाडन :

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में रबर उत्पादकों को उनके उत्पाद के लिए व्यय की तुलना में पर्याप्त कीमत मिल रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या स्थिति के समाधान के लिए कोई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या विगत पॉच वर्षों में कृषि कार्य के अंतर्गत भूमि के क्षेत्रफल में कमी आई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख) केरल में प्राकृतिक रबड़ उत्पादकों को उनके उत्पाद के लिए व्यय की तुलना में पर्याप्त मूल्य मिल रहा है। हाल में देश में घरेलू प्राकृतिक रबड़ की कीमतों में वृद्धि हुई है और केरल में आरएसएस 4 ग्रेड प्राकृतिक रबड़ की मासिक औसत कीमत अक्टूबर 2021 के दौरान 171.14 रुपये प्रति किलोग्राम थी, जबकि सभी भुगतान की गई लागत, कार्यशील पूंजी पर ब्याज और अचल संपत्तियों का मूल्यह्रास सहित उत्पादन की संभावित लागत यानी 99.46 रुपये प्रति किलोग्राम थी ।

चूंकि घरेलू एनआर मूल्य अत्यधिक संवेदनशील है और प्राकृतिक रबड़ की वर्तमान अंतरराष्ट्रीय कीमतों से संलग्न है, इसलिए सरकार समय-समय पर यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाती रही है कि घरेलू किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिले ।

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान रबड़ की खेती के अंतर्गत कुल क्षेत्र में कमी नहीं आई है। केरल राज्य में, यह लगभग स्थिर रहा है जैसा कि निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

	भारत में रबर के तहत क्षेत्र (हेक्टेयर)	केरल में रबर के तहत क्षेत्र (हेक्टेयर)
2016-17	818,000	551,050
2017-18	820,900	551,115
2018-19	822,000	551,200
2019-20	822,300	551,030
2020-21	823,000	550,650

स्रोत: रबर बोर्ड

*****

भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 611

दिनांक 1 दिसंबर, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए

चाय की ब्रांडिंग

611. श्री पल्लब लोचन दास:

क्या **वाणिज्य एवं उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में चाय की ब्रांडिंग की प्रणाली का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि असम और पश्चिम बंगाल की चाय को दूसरे देशों की चाय के साथ मिलाया जाता है और फिर उसे बाजार में बेचा जाता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा निर्यात और आयात की गई चाय की कुल मात्रा सहित वह कीमत जिस पर चाय का आयात किया गया है, का देश-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुपिया पटेल)

(क) चाय बोर्ड भारतीय चाय और इसकी दार्जिलिंग, असम, नीलगिरि, सिक्किम, कांगड़ा, डुआर्स-तराई और त्रिपुरा जैसी विभिन्न किस्मों को विभिन्न प्लेटफार्मों अर्थात् चाय बोर्ड वेबसाइट, सोशल मीडिया, संवर्धन कार्यक्रम, क्रेता–विक्रेता बैठक, जागरूकता अभियान, विदेशों में भारतीय मिशनों के माध्यम से एक ब्रांड के रूप में बढ़ावा देता है जिसमें भारतीय चाय की विशिष्टता/विशेषताओं और स्वास्थ्य लाभों का विस्तृत विवरण प्रदर्शित किया जाता है । चाय उद्योग के विभिन्न हितधारकों द्वारा भी

भारतीय चाय और इसकी किस्मों की ब्रांडिंग की जाती है। चाय बोर्ड ने भारत की प्रीमियम चाय की तीन अलग-अलग क्षेत्रीय चाय नामतः दार्जिलिंग, असम (परम्परागत) और नीलगिरि (परम्परागत) के लिए जीआई (भौगोलिक संकेत) प्राप्त किया है। इसके अलावा, भारतीय चाय की पहचान को सुदृढ़ करने के लिए, चाय बोर्ड ने भारतीय चाय के साथ-साथ अन्य चाय अर्थात् असम, नीलगिरि, डुआर्स-तराई, त्रिपुरा और सिक्किम के लिए लोगोज का पंजीकरण किया है।

(ख) और (ग): चाय को भारत में आयात करने की अनुमति है। कुल घरेलू उत्पादन में चाय आयात का प्रतिशत लगभग 2% है, जो मुख्य रूप से सम्मिश्रण सहित मूल्य वर्धन के बाद पुनः निर्यात के लिए है। चाय बोर्ड ने 11.11.2021 को दार्जिलिंग (पश्चिम बंगाल)/कांगड़ा/असम (परम्परागत)/नीलगिरि (परम्परागत) की चाय के साथ आयातित चाय का मिश्रण नहीं करने के अनुदेश जारी किए हैं।

(घ) भारत सरकार चाय का निर्यात या आयात नहीं करती है।

***

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं० 672

दिनांक 01 दिसम्बर, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए

निर्यात बंधु योजना

672 डॉ. हिना विजय कुमार गावीतः

डॉ. सुजय विखे पाटीलः

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदेः

श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिलः

श्री धैर्यशील संभाजीराव माणेः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या निर्यात बंधु योजना के अंतर्गत उद्देश्यों को प्राप्त करने में अब तक प्रगति हुई है;

(ख) पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजन के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार, विशेष रुप से महाराष्ट्र के लिए आवंटित, स्वीकृत और वितरित की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान लाभान्वित हुए उद्यमियों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) भारत के उद्यमियों को और प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की भविष्य की क्या कार्य–योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) विभिन्न हितधारकों के साथ साझदारी कर परामर्श, प्रशिक्षण और आउटरीच कार्यक्रमों के माध्यम से विदेश व्यापार में नए और संभावित निर्यातकों को सलाह देने के लिए निर्यात बंधु स्कीम लागू कर रहा है। वर्ष 2013 से इसकी शुरुआत से लगभग 1.15 लाख उद्यमी इस स्कीम से लाभान्वित हुए हैं।

(ख) और (ग): निर्यात बंधु स्कीम को पिछले 5 वर्षों (2016–17 से 2020–21) में 5.45 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस अवधि के दौरान 4.04 करोड़ रुपए की राशि का उपयोग किया गया है और इस स्कीम के तहत चलाई गई प्रशिक्षण और आउटरीच गतिविधियों से 65,184 उद्यमी लाभान्वित हुए हैं। पिछले 5 वर्षों के दौरान निधि का आवंटन और उपयोग निम्नानुसार हैः

वित्तीय वर्ष	**आवंटन (लाख रुपए में)**	**व्यय (लाख रुपए में)**
2016—17	100	98.52
2017—18	100	96.97
2018—19	200	99
2019—20	95	73.05
2020—21	50	36.92
कुल	**545**	**404.46**

स्कीम के तहत चालू वर्ष 2021—22 के लिए 4.48 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

निर्यात बंधु स्कीम के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र—वार निधि आवंटन, उपयोग और लाभान्वित उद्यमियों का विवरण अनुलग्नक—I पर है।

(घ): निर्यात बंधु स्कीम को बढाए गए लक्ष्यों और घटकों के साथ 2021—22 से 2025—26 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाया गया है।

अनुलग्नक–I

01 दिसम्बर, 2021 को उत्तर दिए जाने वाले लोकसभा के अतारांकित प्रश्न सं. 672 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण

निर्यात बंधु स्कीम के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और वित्तीय वर्ष–वार निधि आवंटन, उपयोग और लाभान्वित उद्यमियों का विवरण इस प्रकार है:

तालिका 1: वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	डीजीएफटी का क्षेत्रीय प्राधिकारो (आरए) जिसके पास राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का क्षेत्राधिकार है	वित्तीय वर्ष 2016-17		
			क्षेत्रीय प्राधिकारी को स्वीकृत निधि (रु. में)	उपयोग में लायी गई निधि (रु. में)	लाभान्वित उद्यमियों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	आरए विशाखापत्तनम	86,000	86,000	458
2	असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर	आरए गुवाहाटी	40,000	990	एनए
3	दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश (सीएलए क्षेत्राधिकार के तहत जिले) और हरियाणा (गुरुग्राम और फरीदाबाद)	आरए दिल्ली	2,56,000	2,56,000	775
4	गुजरात	आरए वडोदरा	85,065	85,065	1,261
5		आरए अहमदाबाद	1,86,000	1,86,000	एनए
6		आरए राजकोट	2,21,000	2,21,000	1,350
7		आरए सूरत	1,36,000	1,36,000	1,945
8	हरियाणा	आरए पानीपत	1,71,000	1,71,000	240
9	कर्नाटक	आरए बैंगलोर	1,86,000	1,860,00	380
10	केरल और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र	आरए कोच्चि	2,37,000	2,37,000	378
11	मध्य प्रदेश	आरए भोपाल/इंदौर	1,86,000	1,86,000	882
12	महाराष्ट्र, गोवा, छत्तीसगढ़ और दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र	आरए नागपुर	86,000	86,000	218
13		आरए पुणे	1,86,000	93,000	600
14		आरए मुंबई	1,36,000	1,36,000	420
15	पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश	आरए लुधियाना	86,000	86,000	720
16	राजस्थान	आरए जयपुर	1,71,000	1,71,000	1,207

17	तमिलनाडु और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र	आरए कोयंबटूर	1,36,000	1,28,017	456
18		आरए चेन्नई	1,86,000	1,86,000	1,223
19	तेलंगाना	आरए हैदराबाद	1,36,000	77,395	390
20	जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र	आरए जम्मू और आरए श्रीनगर	71,000	70,323	252
21	उत्तर प्रदेश	आरए कानपुर	1,36,000	1,36,000	569
22		आरए वाराणसी	1,36,000	1,34,295	347
23	आईआईएफटी के समन्वय से डीजीएफटी द्वारा ऑनलाइन मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स (एमओओसी) के माध्यम से प्रशिक्षित व्यक्ति	डीजीएफटी मुख्यालय	38,40,000	38,40,000	353
		कुल	**70,96,065**	**67,09,085**	**14,071**

<u>तालिका 2: वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु</u>

क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**डीजीएफटी का क्षेत्रीय प्राधिकारो (आरए) जिसके पास राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का क्षेत्राधिकार है**	**वित्तीय वर्ष 2017-18**		
			क्षेत्रीय प्राधिकारी को स्वीकृत निधि (रु. में)	**उपयोग में लायी गई निधि (रु. में)**	**लाभान्वित उद्यमियों की संख्या**
1	आंध्र प्रदेश	आरए विशाखापत्तनम	96,000	76,511	387
2	असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर	आरए गुवाहाटी	1,43,000	1,43,000	एनए
3	दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र, उत्तराखंड, यूपी (सीएलए क्षेत्राधिकार के तहत जिले) और हरियाणा (गुरुग्राम और फरीदाबाद)	आरए दिल्ली	3,70,000	3,70,000	491
4	गुजरात	आरए वडोदरा	1,90,980	1,90,980	220
5		आरए अहमदाबाद	2,86,000	2,85,968	एनए
6		आरए राजकोट	2,86,000	2,80,904	2,300
7		आरए सूरत	1,36,000	1,36,000	2,125
8	हरियाणा	आरए पानीपत	1,50,000	80,000	168
9	कर्नाटक	आरए बैंगलोर	1,36,000	1,36,000	510
10	केरल और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र	आरए कोच्चि	2,33,000	2,33,000	314

11	मध्य प्रदेश	आरए भोपाल/इंदौर	1,86,000	1,73,279	439
12	महाराष्ट्र, गोवा, छत्तीसगढ़ और दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र	आरए नागपुर	2,86,000	2,86,000	351
13		आरए पुणे	2,86,000	2,86,000	670
14		आरए मुंबई	2,38,000	2,38,000	746
15	पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश	आरए लुधियाना	1,36,000	1,36,000	546
16	राजस्थान	आरए जयपुर	1,68,000	1,68,000	1,270
17	तमिलनाडु और पुड्डुचेरी संघ राज्य क्षेत्र	आरए कोयंबटूर	1,36,000	1,36,000	495
18		आरए चेन्नई	1,90,000	1,90,000	885
19	तेलंगाना	आरए हैदराबाद	83,000	83,000	500
20	जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र	आरए जम्मू और आरए श्रीनगर	15,000	14,952	87
21	उत्तर प्रदेश	आरए कानपुर	1,36,000	1,36,000	611
22		आरए वाराणसी	1,36,000	1,24,053	313
23	पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, ओडिशा, त्रिपुरा, झारखंड, अंडमान और निकोबार संघ राज्य क्षेत्र	आरए कोलकाता	1,80,104	1,80,104	566
24	आईआईएफटी के समन्वय से डीजीएफटी द्वारा ऑनलाइन मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स (एमओओसी) के माध्यम से प्रशिक्षित व्यक्ति	डीजीएफटी मुख्यालय	46,74,000	46,74,000	388
		कुल	**88,77,084**	**87,57,751**	**13,994**

तालिका 3: वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु

क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**डीजीएफटी का क्षेत्रीय प्राधिकारो (आरए) जिसके पास राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का क्षेत्राधिकार है**	**वित्तीय वर्ष 2018-19**		
			क्षेत्रीय प्राधिकारी को स्वीकृत निधि (रु. में)	**उपयोग में लायी गई निधि (रु. में)**	**लाभान्वित उद्यमियों की संख्या**
1	आंध्र प्रदेश	आरए विशाखापत्तनम	1,52,000	78,878	798
2	असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर	आरए गुवाहाटी	1,88,000	1,88,000	एनए

3	दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र, उत्तराखंड, यूपी (सीएलए क्षेत्राधिकार के तहत जिले) और हरियाणा (गुरुग्राम और फरीदाबाद)	आरए दिल्ली	2,26,000	2,26,000	760
4	गुजरात	आरए वडोदरा	1,10,000	1,10,000	358
5		आरए अहमदाबाद	1,76,000	1,76,000	एनए
6		आरए राजकोट	2,26,000	2,26,000	1,100
7		आरए सूरत	1,26,000	1,26,000	2,344
8	हरियाणा	आरए पानीपत	1,16,000	61,907	124
9	कर्नाटक	आरए बैंगलोर	9,26,000	4,15,100	720
10	केरल और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र	आरए कोच्चि	2,00,000	2,00,000	305
11	मध्य प्रदेश	आरए भोपाल/इंदौर	1,76,000	1,76,000	598
12	महाराष्ट्र, गोवा, छत्तीसगढ़ और दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र	आरए नागपुर	1,36,000	1,36,000	244
13		आरए पुणे	1,76,000	1,76,000	710
14		आरए मुंबई	2,28,000	2,28,000	555
15	पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश	आरए लुधियाना	1,42,000	1,42,000	660
16	राजस्थान	आरए जयपुर	1,38,000	1,38,000	600
17	तमिलनाडु और पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र	आरए कोयंबटूर	1,26,000	1,18,319	493
18		आरए चेन्नई	1,76,000	1,76,000	750
19	तेलंगाना	आरए हैदराबाद	1,16,000	1,00,856	600
20	जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र	आरए जम्मू और आरए श्रीनगर	56,920	56,920	81
21	उत्तर प्रदेश	आरए कानपुर	1,26,000	1,26,000	473
22		आरए वाराणसी	1,26,000	99,011	155
23	पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, ओडिशा, त्रिपुरा, झारखंड, अंडमान और निकोबार संघ राज्य क्षेत्र	आरए कोलकाता	2,17,902	2,17,902	601
24	आईआईएफटी के समन्वय से डीजीएफटी द्वारा ऑनलाइन मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स (एमओओसी) के माध्यम से प्रशिक्षित व्यक्ति	डीजीएफटी मुख्यालय	35,15,000	35,15,000	137
		कुल	**79,01,822**	**72,13,893**	**13,029**

तालिका 4: वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु

क्र. सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	डीजीएफटी का क्षेत्रीय प्राधिकारी (आरए) जिसके पास राज्य / संघ राज्य क्षेत्र का क्षेत्राधिकार है	वित्तीय वर्ष 2018-19		
			क्षेत्रीय प्राधिकारी को स्वीकृत निधि (रु. में)	उपयोग में लायी गई निधि (रु. में)	लाभान्वित उद्यमियों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	आरए विशाखापत्तनम	2,50,000	67,954	456
2	असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर	आरए गुवाहाटी	3,60,000	1,80,000	120
3	केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, उत्तराखंड, यूपी (सीएलए क्षेत्राधिकार के तहत जिले) और हरियाणा (गुरुग्राम और फरीदाबाद)	आरए दिल्ली	7,78,000	7,78,000	1,180
4	गुजरात	आरए वडोदरा	1,70,000	1,70,000	403
5		आरए अहमदाबाद	5,72,000	5,21,639	एनए
6		आरए राजकोट	3,18,000	2,98,000	640
7		आरए सूरत	3,20,000	3,19,975	1,352
8	हरियाणा	आरए पानीपत	3,02,000	94,969	136
9	कर्नाटक	आरए बैंगलोर	5,86,000	3,16,107	1,200
10	केरल और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र	आरए कोच्चि	2,22,500	2,22,500	341
11	मध्य प्रदेश	आरए भोपाल / इंदौर	3,68,000	2,73,959	463
12	महाराष्ट्र, गोवा, छत्तीसगढ़ और दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र	आरए नागपुर	3,20,000	1,60,084	562
13		आरए पुणे	3,70,000	3,65,490	750
14		आरए मुंबई	6,92,000	6,34,700	791
15	पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश	आरए लुधियाना	5,92,000	4,84,733	524
16	राजस्थान	आरए जयपुर	1,76,000	1,54,000	452
17	तमिलनाडु और पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र	आरए कोयंबटूर	2,30,000	2,29,793	348
18		आरए चेन्नई	6,92,000	6,92,000	2,293
19	तेलंगाना	आरए हैदराबाद	4,92,000	4,14,257	800
20	जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र	आरए जम्मू और आरए श्रीनगर	98,000	98,000	160
21	उत्तर प्रदेश	आरए कानपुर	2,50,000	1,85,990	522

22		आरए वाराणसी	2,50,000	2,12,105	237
23	पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, ओडिशा, त्रिपुरा, झारखंड, अंडमान और निकोबार संघ राज्य क्षेत्र	आरए कोलकाता	5,69,396	5,69,396	1,005
24	आईआईएफटी के समन्वय से डीजीएफटी द्वारा ऑनलाइन मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स (एमओओसी) के माध्यम से प्रशिक्षित व्यक्ति	डीजीएफटी मुख्यालय	13,73,000	13,73,000	149
		कुल	**1,03,50,896**	**88,16,651**	**14,884**

तालिका 5: वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	डीजीएफटी का क्षेत्रीय प्राधिकारी (आरए) जिसके पास राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का क्षेत्राधिकार है	वित्तीय वर्ष 2018-19		
			क्षेत्रीय प्राधिकारी को स्वीकृत निधि (रु. में)	उपयोग में लायी गई निधि (रु. में)	लाभान्वित उद्यमियों की संख्या
1	असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर	आरए गुवाहाटी	2,00,000	2,00,000	एनए
2	दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र, उत्तराखंड, यूपी (सीएलए क्षेत्राधिकार के तहत जिले) और हरियाणा (गुरुग्राम और फरीदाबाद)	आरए दिल्ली	1,07,000	1,07,000	975
3	गुजरात	आरए वडोदरा	70,000	69,170	180
4		आरए सूरत	1,02,000	80,576	234
5	कर्नाटक	आरए बैंगलोर	50,000	50,000	860
6	केरल और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र	आरए कोच्चि	35,000	35,000	69
7	महाराष्ट्र, गोवा, छत्तीसगढ़ और दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश	आरए पुणे	शून्य	शून्य	900
8		आरए मुंबई	8,97,400	शून्य	60
9	पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश	आरए लुधियाना	2,90,000	2,61,376	300
10	तमिलनाडु और पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र	आरए कोयंबटूर	15,000	15,000	64

11		आरए चेन्नई	1,16,000	1,16,000	650
12	तेलंगाना	आरए हैदराबाद	1,50,000	1,03,373	200
13	जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र	आरए जम्मू और आरए श्रीनगर	शून्य	शून्य	118
14	उत्तर प्रदेश	आरए कानपुर	शून्य	शून्य	225
15	पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, ओडिशा, त्रिपुरा, झारखंड, अंडमान और निकोबार संघ राज्य क्षेत्र	आरए कोलकाता	1,80,000	1,80,000	225
16	आईआईएफटी के समन्वय से डीजीएफटी द्वारा ऑनलाइन मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स (एमओओसी) के माध्यम से प्रशिक्षित व्यक्ति	डीजीएफटी मुख्यालय	22,74,600	22,74,600	332
		कुल	**44,87,000**	**34,92,095**	**5,392**

****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 675

दिनांक 01 दिसंबर,2021 को उत्तर दिए जाने के लिए

प्रदूषणकर्ता भुगतान करे सिद्धांत

675. श्री कुरुवा गोरांतला माधव:
श्री तालारी रंगैय्या:
श्री संजय काका पाटील:
श्री अदला प्रभाकर रेड्डी:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए विश्व व्यापार संगठन में समझौता प्रस्ताव के पाठ में प्रदूषणकर्ता भुगतान करे सिद्धांत को शामिल किया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) भारत ने विकसित देशों द्वारा गहरे समुद्र में मात्स्यिकी को दी जाने वाली भारी सब्सिडी के विरुद्ध घरेलू मात्स्यिकी क्षेत्र के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग): जी हाँ । 23 सितंबर, 2021 को भारत ने विश्व व्यापार संगठन में मत्स्य पालन सब्सिडी वार्ता के लिए ' प्रदूषक भुगतान करे ' सिद्धांत वाला एक दस्तावेज पेश किया है। यह विशेष आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) से बाहर मछली पकड़ने और मछली पकड़ने से संबंधित गतिविधियों के लिए दूरस्थ पानी में मछली पकड़ने वाले देशों द्वारा सब्सिडी पर अधिस्थगन का प्रस्ताव करता है और इन देशों द्वारा दूरस्थ पानी में मछली पकड़ने की क्षमता में कमी प्रतिबद्धताओं की भी मांग करता है।

इन वार्ताओं में, भारत ने हमारे ईईजेड तक कम आय, संसाधन-गरीब या आजीविका के लिए मछली पकड़ने या मछली पकड़ने से संबंधित गतिविधियों का समर्थन करने, हमारे मत्स्य पालन सेक्टर को विकसित करने और आधुनिक बनाने और गहरे समुद्र में हमारी मछली पकड़ने की गतिविधियों के विस्तार के लिए नीतिगत स्थान की भी मांग की है।

*****

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 677

दिनांक 01 दिसंबर,2021 को उत्तर दिए जाने के लिए

निर्यात बीमा

677.श्री बी. मणिक्कम टैगोर:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने आगामी पांच वर्षों में 5.6 लाख करोड़ रुपये से अधिक के अतिरिक्त निर्यात की सुविधा के लिए निर्यात बीमा कवर प्रदान करने वाली संस्थाओं को 6000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश को मंजूरी दी है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने स्टॉक एक्सचेंजों पर राज्य संचालित निर्यात ऋण गारंटी निगम की सूची को भी मंजूरी दे दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार का लक्ष्य इन उपायों से अतिरिक्त 62 लाख रोजगार सृजित करने का है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): जी हाँ ।
(ख): विवरण नीचे दिया गया है:

I. सरकार ने 2021-22 से 2025-26 की अवधि के दौरान ईसीजीसी में 4,400 करोड़ रुपए की पूंजी निवेश की मंजूरी दी है:

II. सरकार ने 2021-22 से 2025-26 के दौरान एनईआईए ट्रस्ट में 1,650 करोड़ रुपये के सहायता अनुदान निवेश को मंजूरी दी है:

III. ईसीजीसी में पूंजी निवेश से इसकी जोखिम बीमा करने की क्षमता 88,000 करोड़ रुपए तक बढ़ जाएगी और यह ईसीजीसी को ऐसे कवर जारी करने में सक्षम बनाएगी जो मौजूदा पैटर्न के अनुरूप पांच साल की अवधि में 5.28 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त निर्यात का समर्थन कर

सकते हैं। एनईआईए ट्रस्ट में अनुदान सहायता निवेश के साथ, यह 33,000 करोड़ रुपए तक के परियोजना निर्यात का समर्थन करने में सक्षम होगा। संचित रूप से, मंजूरी से अगले पांच वर्षों में 5.61 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त निर्यात की सुविधा मिलने की संभावना है।

(ग): जी हाँ। निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) निर्णय को लागू करने की प्रक्रिया में है।

(घ): जी हाँ।

(ङ.) फरवरी 2019 में विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा प्रकाशित 'रोजगार के लिए निर्यात' पर रिपोर्ट के अनुसार, ₹5.28 लाख करोड़ के अतिरिक्त निर्यात (ईसीजीसी द्वारा अनुमानित समर्थन) से 2.6 लाख औपचारिक कामगार होंगे। रिपोर्ट के अनुसार श्रमिकों की कुल संख्या(औपचारिक और अनौपचारिक दोनों) में 59 लाख की वृद्धि होगी। इसके अलावा, ₹33,000 करोड़ के अतिरिक्त निर्यात (एनईआईए द्वारा अनुमानित समर्थन) में औपचारिक क्षेत्र में लगभग 12,000 सहित 2.6 लाख नई नौकरियां सृजित करने में मदद मिलेगी । इस प्रकार, अगले पांच वर्षों में औपचारिक और अनौपचारिक सेक्टरों में सृजित किए जा सकने वाले कुल अतिरिक्त रोजगार 61.6 लाख होने का अनुमान है।

****